रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 16, 1976 (आश्विन 24, 1898)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1976 (ASVINA 24, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय प्रबन्धक विभाग

सूचना

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 सितम्बर 1976

आ० एम० डी० सं० 7664—श्री एम० डी० दलाल, (आई० बी० आई०) के स्थान पर श्री के० एस० टी० पानी (आई० बी० आई०) ने 23 अगस्त, 1976 (कार्य प्रारम्भ) से महाप्रबन्धक (योजना) का कार्यभार संभाला ।

श्री एस० रंगाचारी (आई० बी० आई०) के स्थान पर 1 सितम्बर, 1976 से श्री जी० एस० श्रीवास्तव (आई० बी० आई०) ने महाप्रबन्धक (परिचालन) का कार्यभार संभाला।

आर० पी० गोयल
मुख्य महाप्रबन्धक

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार, संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 सितम्बर, 1976

सं० 4 सी०ए०(1)/18/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतत्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्र० सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1. 9080	श्री प्रादयोती नारायण घोरा नारायण I, फ्लौर, कुमारपुर, पी० ओ० आसनसोल, जि० बुरदान (वेस्ट बंगाल)	20-7-76

दिनांक 24 सितम्बर 1976

सं० 8 सी० ए०(1)/10/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतत्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों

को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं० सं०	नाम व पता	तिथि
1. 14577	श्री गौतम कुमार पाल ए० सी०ए०, 24-सी, श्रीनाथ मुकरजी लेन, कलकत्ता-7000 30	1-7-76
2. 14711	श्री कन्हैयालाल, मोहनलाल शाह, ए० सी० ए० मार्फत/के० एम० शाह, II फ्लौर, प्रभु निवास, किजाडा बाडा, बास, मिथाकली, अहमदाबाद-380006	1-4-76
3. 16946	श्री भरतकुमार बंसीलाल, पचीगर, ए० सी० ए० 9/670, बाडी कालीया, सिद्धमाता स्ट्रीट, सूरत-395001	1-7-76

दिनांक 20 सितम्बर, 1976

सं० 5 सी० ए० (1)/20/76-77—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सी० ए० (1)/18/75/76, दिनांक 26-2-76 (2) 4 सी० ए० (1)/6/70-71, दिनांक 25-7-70 (3) 4 सी० ए० (1)/20/75-76, दिनांक 23-3-76 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान, परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है :-

क्र० सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1. 3429	श्री श्रीजनन रखित, एफ०सी०ए०, 54, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-12	10-9-76
2. 5303	श्री कल्याण कुमार साहा, ए०सी०ए०, 768/ए, ब्लाक पी, न्यू अलिपोर, कलकत्ता-53	30-8-76
3. 10072	श्री योगन्द्र नाथ भारगवा, ए०सी०ए०, जे-46, कृष्णा मार्ग, सोस्कीम, जयपुर	9-9-76
4. 13420	श्री संतानु राय, ए० सी० ए०, दी इन्डियन ट्यूब क० लि० 43, चौरीन्धी रोड, कलकत्ता-71	15-9-76
5. 5628	श्री मिहिर रे, ए० सी० ए०, 3, मर्लिन पार्क, कलकत्ता-700019	7-9-76

दिनांक 31 जुलाई 1976

सं० 4 एस० सी० ए० (1)/5/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्र० सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1. 2966	श्री टी० एन० मानकावीलू, गरूदायर बिल्डिंग, 640, एंम्यू रोड, बेंगलूर-560 002	11-7-76
2. 3023	श्री डी० वी० रत्नाशासतरी, रत्नम एण्ड को०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जामबाग रोड, हैदराबाद,	11-6-76
3. 8056	श्री एस० रामामूर्थम्, 6 नारटन II, लेन, राजा अन्नामालापुरम्, मद्रास-600028	30-6-76

दिनांक 24 सितम्बर 1976

सं० 4 सी० ए० (1)/19/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से श्री गजनन त्रीमबक लाल मामतोरा 15, पंडीतया रामबाई, रोड, चन्द्रा भवन, सेकन्ड फ्लौर, बम्बई (स० सं० 13032) का नाम 1-7-1976 से अपनी प्रार्थना पर हटा दिया गया है ।

दिनांक 31 अगस्त 1976

सं० 4 एस० सी० ए० (1)/6/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरप्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से

मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	240	श्री के० राजाराम, राजाराम एण्ड को०, किंग कोटी रोड, हैदराबाद-500001	3-8-76
2.	1631	श्री एस० वेनकटारामन, 9-1-97, टाटाचारी कम्पाउन्ड्स, सिकन्दराबाद-25	22-10-75
3.	3905	श्री एन० सदासीवन, जाबातन हिसल दालाम निगरी, पिनांग (मालासीया)	15-2-76

दिनांक 15 सितम्बर, 1976

सं० 8 सी० ए० (1)/9/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	1112	श्री ज० बी० शाह, एफ० सी०ए०, 507, विमल, 91, बानगंगा, बम्बई-6	1-4-76
2.	1924	श्री एम० एन० बाग, ए०सी०ए०, 76, राधाकृष्ण निवास, II. फ्लोर, दादर, बम्बई-400014	1-7-76
3.	18210	श्री एन० मोहनाकृष्णन,ए०सी०ए०, ग्रुप एकाउन्ट्स आफीसर, आफिस आफ सब ऐरिया मैनेजर, गूगमा सब-ऐरिया, ईस्ट्रन कोल फिल्ड लिटेड, पी० ओ० सारसपाहरी, बाया थिरखाना, (ईस्ट) धनबाद	31-3-76

सं० 4 सी० ए० (1)/17/76-77—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम सदस्यों की मृत्यु हो जाने के कारण प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	1020	श्री एस० के० गंगोपाध्याय, 1-बी, ओल्ड पोस्ट आफिस,स्ट्रीट, I फलोर, कलकत्ता-1	28-3-76
2.	8194	श्री के० ए० आइर०, के० एस० आइर० एण्ड को०, 49, अपालो स्ट्रीट, बम्बई-1	23-7-76
3.	15658	श्री एम० के० जैन, एकाउन्ट्स आफिसर, जिवन फरटीलाइजर ऐरिया, कोटा	11-5-76

पी० एस० गोपालाकृष्णन, सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 सितम्बर 1976

सूचनायें

सं० 25/105/76-एल० आई०—फ० सा० के० जी० सिंह, की क्रमांक ए-4109, दिनांक 25-8-69 की 4000/- रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है । उप निदेशक, डाक जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिये गये हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25/107/76-एल० आई०—श्री ऐ० मूकान की क्रमांक 155340-पी, दिनांक 1-8-69 की 2000/- रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उप निदेशक, डाक जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिये गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

आर० एन० डे
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

एयर-इण्डिया

एयर-इण्डिया कर्मचारी आवास विनियम 1967

दिनांक 13 सितम्बर, 1976

सं० जी० एम०/58-5—एयर कार्पोरेशन्स एक्ट, 1953 (1953 का 27 वां) के सेक्शन 45(i) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एयर-इंडिया कर्मचारी आवास विनियम, 1967 में, एयर-इंडिया, अगला संशोधन करता है, जो निम्न-लिखित है, जैसे :—

1. (1) ये विनियम एयर-इंडिया कर्मचारी आवास (संशोधन) विनियम, 1976 कहे जा सकते हैं।

(ii) वे इस अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. एयर-इंडिया कर्मचारी आवास विनियम 1967 में विनियम 5 के उप विनियम (2) की जगह निम्नलिखित उप-विनियम बदल कर रखा जाएगा, जैसे :—

"किसी भी ऐसे कर्मचारी को ऋण नहीं दिया जाएगा जोकि निगम की नौकरी में स्थायी न हो चुका हो।"

बी० जे० सुकथनकर
सचिव

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

बम्बई, दिनांक 28 सितम्बर, 1976

सं० जी० एस० आर०. —कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 32(2) के अनुसरण में 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट और 30 जून 1976 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

कृपुविनिगम एक दृष्टि में

लाख रुपये

साधन	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1974	1975	1976		1974	1975	1976
चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित राशियां	1650	2272	2940	निम्नलिखित को प्रदान किया गया पुनर्वित्त (बकाया)			
भारत सरकार से लिए गए उधार (जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई-डीए)/अंतर्राष्ट्रीय पुन-: निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) की सहायता का अंश)	16350 (8386)	19662 (11698)	25009 (17045)	राज्य भूमि विकास बैंक (जिनमें से अभिसंघ परियोजनाओं के अधीन)	27151 (11984)	34382 (16756)	42582 (24829)
भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार दीर्घ-कालीन प्रवर्तन निधि	5400	8820	13840	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (जिनमें से अभिसंघ/अंपुवि बैंक परि-योजनाओं के अधीन प्राप्त)	2708 (433)	5150 (1388)	11195 (5353)
अल्पकालीन खुले बाजार से लिए गये उधार	1160 6621	450 9921	170 13771	राज्य सहकारी बैंक (जिनमें से अभिसंघ परियोजनाओं के अधीन प्राप्त)	1115 —	1154 —	1157 (7)

विकास का इतिहास

लाख रुपये

जून के अंत की स्थिति	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
शेयर पूंजी और आरक्षित राशियां	500	509	523	1044	1082	1650	2272	2940
विशेष जमा राशियां	61	74	87	99	117	141	179	230
राजकीय सहायता के ऋण	14	14	14	14	14	—	—	—
उधार :								
(1) भारत सरकार से—	2575	4475	6675	7713	12485	16350	19662	25009
(2) भारतीय रिजर्व बैंक से	—	—	752	839	3820	6560	9270	14010
(i) अल्पावधि	—	—	752	339	370	1160	450	170
(ii) दीर्घावधि	—	—	—	500	3450	5400	8820	13840
(3) खुले बाजार से—	—	1094	1946	2771	3871	6621	9921	13771
दिया गया पुनर्वित्त (शुद्ध)	3040	5889	8893	12341	21614	30974	40686	54939
(i) डिबेंचर	2785	5460	8124	10964	19560	27151	34382	42582
(ii) ऋण	255	429	769	1377	2054	3823	6304	12357
अन्य आस्तियां	122	159	258	360	632	929	1417	2017
निवेश और नगदी आरक्षित राशियां	52	250	1003	2	4	8	26	37
सकल आय	110	273	427	606	924	1553	2214	2991
कर पूर्व लाभ	48	67	69	109	171	309	442	585
देय कर	26	37	34	58	89	160	231	309
करोत्तर लाभ	22	30	35	51	81	149	211	276
अदा किया गया लाभांश	21	21	21	31	44	66	89	109

सारणी 1
पुनर्वित्त का प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपये

प्रयोजन	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में		
		1969-70	1970-71	1971-72
लघु सिंचाई	1283 (42.1)	2233 (78.1)	2306 (75.3)	2674 (76.4)
भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण	1388 (45.5)	332 (11.6)	437 (14.3)	237 (6.8)
कृषि मशीनीकरण	14 (0.5)	16 (0.6)	11 (0.4)	36 (1.0)
बागान/बागवानी	207 (6.7)	150 (5.2)	199 (6.5)	205 (5.9)
मुर्गीपालन और भेड़ पालन	1 (0.1)	6 (0.2)	— (—)	— (—)
मछलीपालन	56 (1.3)	36 (1.3)	37 (1.2)	59 (1.7)
डेरी विकास	— (—)	— (—)	— (—)	39 (1.1)
भण्डार और बाजार केन्द्र (मार्केट-यार्ड)	100 (3.3)	87 (3.0)	72 (2.3)	248 (7.1)
कृषि विमानन तथा अन्य	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
जोड़	3047 (100.0)	2860 (100.0)	3062 (100.0)	3498 (100.0)

सारणी 2
पुनर्वित्त का एजेंसीवार वितरण

लाख रुपये

एजेंसी	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में		
		1969-70	1970-71	1971-72
राज्य भूमि विकास बैंक	2785 (91.4)	2675 (93.5)	2665 (87.0)	2839 (81.2)
जिसमें अंविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	537
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	106 (3.5)	56 (2.0)	278 (9.1)	326 (9.3)
जिसमें अंपुवि बैंक की सहायता का अंश	—	—	111	8
जिसमें अंविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	—
राज्य सहकारी बैंक	156 (5.1)	129 (4.5)	119 (3.9)	333 (9.5)
जिसमें अविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	—
कुल जोड़	3047 (100.0)	2860 (100.0)	3062 (100.0)	3498 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल आंकड़ों का प्रतिशत है ।

सारणी 1—(जारी)
पुनर्वित्त का प्रयोजनवार वितरण

लाख रुपये

प्रयोजन	निम्नलिखित वर्षों में				30 जून 1976 को
	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	
लघु सिंचाई	8414	8530	8378	10818	44602
	(89.4)	(87.1)	(78.7)	(63.2)	(75.2)
भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण	230	178	201	492	3495
	(2.4)	(1.8)	(1.9)	(2.8)	(5.8)
कृषि मशीनीकरण	218	375	1223	4575	6504
	(2.3)	(3.9)	(11.5)	(26.7)	(10.8)
बागान/बागवानी	149	219	200	307	1636
	(1.6)	(2.3)	(1.9)	(1.8)	(2.7)
मुर्गीपालन और भेड़ पालन	15	9	65	68	164
	(0.2)	(0.1)	(0.6)	(0.4)	(0.3)
मछलीपालन	12	86	178	243	707
	(0.1)	(0.9)	(1.7)	(1.4)	(1.2)
डेरी विकास	26	82	156	288	593
	(0.3)	(0.8)	(1.5)	(1.7)	(1.0)
भण्डार और बाजार केन्द्र (मार्केट-यार्ड)	346	293	237	319	1702
	(3.7)	(3.0)	(2.2)	(1.9)	(2.9)
कृषि विमानन तथा अन्य	—	12	—	5	17
	(—)	(0.1)	(—)	(0.1)	(01)
जोड़	9414	9784	10640	17115	59420
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

सारणी 2—(जारी)
पुनर्वित्त का एजेंसीवार वितरण

लाख रुपये

एजेंसी	निम्नलिखित वर्षों में				30 जून 1976 तक का
	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	
राज्य भूमि विकास बैंक	8674	7776	7706	9909	44969
	(91.5)	(79.5)	(72.4)	(57.9)	(75.7)
जिसमें अविसंघ की सहायता का अंश	6358	5292	5198	9609	26454
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	449	1736	2787	7075	12813
	(4.8)	(17.7)	(26.2)	(41.3)	(21.5)
जिसमें अंपुवि बैंक की सहायता का अंश	4	1	10	31	165
जिसम अविसंघ की सहायता का अंश	—	342	979	4133	5454
राज्य सहकारी बैंक	351	272	147	131	1638
	(3.7)	(2.8)	(1.4)	(0.8)	(2.8)
जिसमें अविसंघ की सहायता का अंश	—	—	—	7	7
कुल जोड़	9414	9784	10640	17115	59420
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल आंकड़ों का प्रतिशत है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट 1975-76

आलोच्य वर्ष के दौरान निगम के पुनर्वित्त का वितरण 171.15 करोड़ रुपये के नये शिखर पर पहुंच गया जो पिछले वर्ष के 106.40 करोड़ रुपयों के वितरण से 61 प्रतिशत अधिक है (सारणी 1)1 इस अधिक वितरण से यह पता लगता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और कृषि के अच्छे मौसमों को देखते हुए कृषकों में खेती के लिए निवेश करने का विश्वास पैदा हो गया है।

1.2 निगम के आरंभ से लेकर अब तक का कुल वितरण 594 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस राशि में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) द्वारा सहायता की गई योजनाओं के लिए प्राप्त 321 करोड़ रुपये शामिल हैं जिनके कारण 2080 लाख डालर की विदेशी मुद्रा आई है जब कि पिछले वर्ष 1300 लाख डालर प्राप्त हुए थे।

1.3 आलोच्य वर्ष के दौरान गुजरात और नागालैंड को छोड़कर प्रत्येक राज्य को अधिकतर वितरण प्राप्त हुआ। जम्मू और काश्मीर ने तीन वर्षों के बाद पुनर्वित्त प्राप्त किया तथा मणिपुर और त्रिपुरा में पहली बार कम वितरण हुए।

1.4 उत्तर प्रदेश, पुनर्वित्त के वितरण का सबसे अधिक भाग (26 करोड़ रुपये) प्राप्त करने में तीसरे वर्ष भी अग्रणी बना रहा और इसके बाद क्रम से महाराष्ट्र (23 करोड़ रुपये) तथा कर्नाटक और मध्य प्रदेश (प्रत्येक 19 करोड़ रुपये) का स्थान था। (सारणी 4)

1.5 निगम के आरंभ से लेकर अब तक उसकी सहायता का सबसे अधिक फायदा उठाने वाले जिन राज्यों में से प्रत्येक ने कुल वितरण का 10 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त किया है वे इस प्रकार हैं :—उत्तर प्रदेश (84 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (68 करोड़ रुपये) और तमिलनाडु (62 करोड़ रुपये)। अन्य राज्यों में से हरियाणा (57 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (प्रत्येक 55 करोड़ रुपये), पंजाब और गुजरात (प्रत्येक 51 करोड़ रुपये) में से प्रत्येक ने कुल वितरण की 8 से 10 प्रतिशत के बीच की राशि प्राप्त की।

1.6 निगम से आहरित पुनर्वित्त के अनुसार राज्यों के श्रेणीक्रम सारणी 3 में दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान जिन राज्यों के श्रेणी क्रम में वृद्धि हुई है वे कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा हैं। सारणी 3

सारणी 3

निगम से आहरित पुनर्वित्त की राशि के अनुसार राज्यों का श्रेणीक्रम

राज्य	1973-74*	1974-75	1975-76
उत्तर प्रदेश	1	1	1
महाराष्ट्र	2	2	2
कर्नाटक	4	5	3
मध्य प्रदेश	7	3	4
हरियाणा	5	4	5
बिहार	8	6	6
पंजाब	9	10	7
आन्ध्र प्रदेश	10	7	8
तमिलनाडु	3	8	9
राजस्थान	11	11	10
उड़ीसा	14	13	11
गुजरात	6	9	12
केरल	12	12	13
पश्चिम बंगाल	13	14	14

*इसमें भूमि विकास बैंकों (भू वि बैंक) के सामान्य कार्यक्रम से अंतरित राशियां शामिल नहीं हैं।

सारणी 4

पुनर्वित्त का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में		
		1969-70	1970-71	1971-72
I. उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली	—	6 (0.2)	—	—
हरियाणा	303 (9.9)	263 (9.2)	362 (11.8)	326 (9.3)
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	32 (1.0)	20 (0.7)	11 (0.4)	7 (0.2)
पंजाब	653 (21.4)	654 (22.9)	556 (18.2)	386 (11.0)
राजस्थान	6 (0.2)	77 (2.7)	77 (2.5)	83 (2.4)
	994 (32.5)	1020 (35.7)	1006 (32.9)	802 (22.9)
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	70 (2.4)	4 (0.1)	—	32 (0.9)
मेघालय	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—
	70 (2.4)	4 (0.1)	—	32 (0.9)
III. पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	18 (0.6)	61 (2.1)	113 (3.7)	67 (1.9)
उड़ीसा	4 (0.1)	18 (0.6)	6 (0.2)	8 (0.2)
पश्चिम बंगाल	2 (0.1)	1 (0.1)	10 (0.3)	5 (0.2)
	24 (0.8)	80 (2.8)	129 (4.2)	80 (2.3)

सारणी 4—(जारी)

पुनर्बास का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों में				30 जून 1976 को
	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	
I. उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	—	7 (0.1)	12 (0.1)	28 (0.2)	53 (0.1)
हरियाणा	1020 (10.8)	803 (8.2)	1075 (10.1)	1569 (9.2)	5721 (9.6)
हिमाचल प्रदेश	—	4 (0.1)	4 (0.1)	16 (0.1)	24 (—)
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	17 (0.1)	88 (0.2)
पंजाब	607 (6.5)	489 (5.0)	407 (3.8)	1306 (7.6)	5056 (8.5)
राजस्थान	136 (1.4)	283 (2.9)	350 (3.3)	536 (3.1)	1548 (2.6)
	1763 (18.7)	1586 (16.3)	1848 (17.4)	3472 (20.3)	12490 (21.0)
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	—	29 (0.3)	—	5 (0.1)	139 (0.3)
मेघालय	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	4 (0.1)	4 (0.1)	2 (—)	10 (—)
मणिपुर	—	—	—	5 (—)	5 (—)
त्रिपुरा	—	—	—	1 (—)	1 (—)
	—	33 (0.4)	4 (0.1)	13 (0.1)	155 (0.3)
III. पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	154 (1.6)	585 (5.9)	932 (8.8)	1318 (7.6)	3249 (5.5)
उड़ीसा	11 (0.1)	8 (0.1)	82 (0.8)	338 (2.0)	475 (0.8)
पश्चिमी बंगाल	4 (0.1)	22 (0.2)	69 (0.6)	159 (1.0)	270 (0.4)
	169 (1.8)	615 (6.2)	1083 (10.2)	1815 (10.6)	3994 (6.7)

सारणी 4—(समाप्त)

पुनर्वित्त का एजेंसीवार वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक	निम्नलिखित वर्षों में		
		1969-70	1970-71	1971-72
IV. मध्य क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	31	49	91	187
	(1.0)	(1.7)	(2.9)	(5.3)
उत्तर प्रदेश	122	256	293	604
	(4.0)	(9.0)	(9.6)	(17.3)
	153	305	384	791
	(5.0)	(10.7)	(12.5)	(22.6)
V. पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	—	—	—	—
गुजरात	207	131	190	262
	(6.8)	(4.6)	(6.2)	(7.5)
महाराष्ट्र	189	349	233	456
	(6.2)	(12.2)	(7.6)	(13.0)
	396	480	423	718
	(13.0)	(16.8)	(13.8)	(20.5)
VI. दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	809	607	342	285
	(26.5)	(21.2)	(11.2)	(8.2)
कर्नाटक	261	166	274	325
	(8.6)	(5.8)	(8.9)	(9.3)
केरल	17	35	82	97
	(0.5)	(1.2)	(2.7)	(2.8)
पांडिचेरी	—	—	—	—
तमिलनाडु	325	162	422	368
	(10.7)	(5.7)	(13.8)	(10.5)
	1412	970	1120	1075
	(46.3)	(33.9)	(36.6)	(30.8)
कुल जोड़ (i से vi तक)	**3047**	**2860**	**3062**	**3498**
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

सारणी 4 (समाप्त)

पुनर्वित्त का एजेंसीवार वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों में				30 जून 1976 को
	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	
IV. मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	319 (3.4)	645 (6.6)	1234 (11.6)	1932 (11.3)	4489 (7.5)
उत्तर प्रदेश	1143 (12.1)	1498 (15.3)	1849 (17.3)	2598 (15.2)	8363 (14.1)
	1462 (15.5)	2143 (21.9)	3083 (28.9)	4530 (26.5)	12852 (21.6)
V. पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	—	3 (0.1)	5 (0.1)	23 (0.1)	31 (0.1)
गुजरात	2794 (29.7)	788 (8.0)	427 (4.0)	333 (1.9)	5133 (8.6)
महाराष्ट्र	732 (7.8)	1271 (13.0)	1358 (12.7)	2248 (13.2)	6837 (11.5)
	3526 (37.5)	2062 (21.1)	1790 (16.8)	2604 (15.2)	12001 (20.2)
VI. दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	847 (9.0)	423 (4.3)	892 (8.4)	1295 (7.5)	5500 (9.3)
कर्नाटक	405 (4.3)	1099 (11.2)	1008 (9.5)	1946 (11.4)	5485 (9.2)
केरल	28 (0.3)	103 (0.1)	100 (0.9)	208 (1.1)	669 (1.1)
पांडिचेरी	—	8 (0.1)	15 (0.1)	4 (0.1)	27 (0.1)
तमिलनाडु	1213 (12.9)	1712 (17.5)	817 (7.7)	1228 (7.2)	6247 (10.5)
	2493 (26.5)	3345 (34.1)	2832 (26.6)	4681 (27.5)	7928 (30.2)
कुल जोड़ (i से vi तक)	**9414** (100.0)	**9784** (100.0)	**10640** (100.0)	**17115** (100.0)	**59420** (100.0)

1.7 लघु सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करना निगम का प्रधान कार्यकलाप बना रहा जिसके लिए 446 करोड़ रुपयों का कुल वितरण अथवा सकल वितरण का 75 प्रतिशत वितरण हुआ (सारणी 1)।

इस वर्ष के अंत में कृषि मशीनीकरण के लिए किया गया वितरण पिछले वर्ष के 19 करोड़ रुपयों से बढ़कर 65 करोड़ रुपये हो गया, इसमें से आलोच्य वर्ष के दौरान 36 करोड़ रुपयों की राशि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु की कृषि ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (अंविसंघ) के पहले के ऋणों के अधिकतर उपयोग से सम्बन्धित है। भूमि विकास और भूमि संरक्षण की योजनाएं प्रगति पर हैं और कमान क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेतों के ऊपरी विकास के लिए उधार देने में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे वे जोर पकड़ेंगी। बागान और बागवानी, मछली पालन, डेरी विकास भंडार और बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) की योजनाओं के अन्तर्गत किये गये वितरण में पिछले वर्ष की अपेक्षा महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

1.8 गतवर्ष के अंत तक और जून 1976 को वितरण का बायदों से प्रतिशत सारणी 5 में दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान किए गए कुल आहरण कृषि निगम के बायदों के 297 करोड़ रुपयों का करीब 57.7 प्रतिशत है जबकि गत वर्ष के दौरान उक्त प्रतिशत 56.8 था (विवरण 1)।

1.9 पुनर्वित्त कार्यक्रम में तिरसठ सदस्य बैंकों ने भाग लिया जिनमें 16 भूमि विकास बैंक, 33 अनुसूचित वाणिज्य बैंक और 14 राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं (सारणी 2)। भूमि विकास बैंक कृषि निगम के पुनर्वित्त के मुख्य प्राप्तिकर्त्ता बने रहे। आलोच्य वर्ष के दौरान उन्हें 99 करोड़ रुपये वितरित किये गये जो कि गतवर्ष के 77 करोड़ रुपयों से काफी अधिक हैं। पांच राज्यों अर्थात् आंन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने उनके साथ तय किये गये कार्यक्रमों से अधिक कार्य किया है किन्तु अन्य सभी राज्यों के कार्यक्रमों में कमी आई। आलोच्य वर्ष के दौरान कृषि निगम के कुल वितरणों में से भूमि बैंकों का प्रतिशत 58 है जबकि पिछले वर्ष का यह प्रतिशत 72 था। आलोच्य वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 71 करोड़ रुपये आहरित किए जबकि गत वर्ष यह राशि केवल 28 करोड़ रुपये थी,

सारणी 5

वितरण का बायदों से प्रतिशत

करोड़ रुपये

प्रयोजन	1974-75 तक कृषि निगम के बायदे	30 जून 1975 तक आहरित राशि	2 से 3 का प्रतिशत	1975-76 तक कृषि निगम के बायदे	30 जून 1976 तक आहरित राशि	5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. लघु सिंचाई	465.8	338.3	72.6	611.2	446.0	73.0
2. भूमि विकास और भूमि संरक्षण	46.9	30.0	64.0	54.5	35.0	64.2
3. कृषि मशीनीकरण	32.7	18.9	57.8	100.1	65.0	64.9
4. बागान और बागवानी	25.0	13.3	53.2	30.2	16.4	54.3
5. मुर्गी और भेड़ पालन	2.1	1.0	47.6	2.7	1.6	59.3
6. मछली पालन	8.3	4.6	55.4	10.8	7.1	65.7
7. डरी विकास	9.7	3.1	32.0	14.9	5.9	39.6
8. भंडार और बाजार केन्द्र	18.3	13.8	75.4	23.4	1.0	72.6
	608.8	423.0	69.5	847.8	594.0	70.1

उनके आहरणों में लघु सिंचाई के अंतर्गत 30.7 करोड़ रुपये, कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत 30.1 करोड़ रुपये और शेष राशि विशाखीकृत योजनाओं के अंतर्गत आहरित की गई। अंविसंघ द्वारा सहायता किये गये कार्यक्रमों के अंतर्गत किये जाने वाले वितरण में उक्त बैंकों का अंश 41.6 करोड़ रुपये था अथवा इस वर्ग के अंतर्गत कुल वितरण का 31.5 प्रतिशत था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों के कुल आहरण, जून 1975 के अंत में कृपुवि निगम द्वारा इन संस्थाओं को किये गये 57 करोड़ रुपयों के सकल वितरण से काफी अधिक थे। तदनुसार कुल पुनर्वित्त में उक्त बैंकों की अंश भी गत वर्ष के 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 21.5 प्रतिशत हो गया। आलोच्य वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राशि बहुत ही कम अर्थात् 1 करोड़ रुपये ही बनी रही जोकि इस वर्ष के दौरान कृपुवि निगम के कुल वितरणों के 1 प्रतिशत से कम थी।

1.10 कृपुवि निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 594 करोड़ रुपयों के कुल वितरण किये जो आधार स्तर पर लगभग 750 करोड़ रुपयों के निवेश के द्योतक ह और इनमें सदस्य बैंकों, राज्य सरकारों और अंतिम हिताधिकारियों के अंशदान शामिल हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अधीन वास्तविक उपलब्धि की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

नलकूप	2,08,800
खोदे गए कुएं	3,02,400
बिजली के पसेट/तेल इंजन	4,80,900
उद्वाही सिंचाई	760
अन्य (बरमा और रहट)	9,500

	हेक्टेयर		हेक्टेयर
काफी	6,650	नारियल	22,000
चाय	1,550	सुपारी	1,100
रबड़	1,500	सेब	6,700
इलायची	1,250	नीबू प्रजति के	5,300
काजू	1,100	फल और अन्य फल	
तंबाकू	480		

निगम ने अपने कार्यकलाप के 13 वर्षों के दौरान करीब 20.5 लाख हेक्टेयर भूमि को बहु फसली क्षेत्र के अंतर्गत लाने में सहायता पहुंचाई है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र के अंतर्गत विकसित भूमि और भूमि संरक्षण योजनाओं के अधीन उन्नत किया गया क्षेत्र कुल मिलाकर 6.35 लाख हेक्टेयर होता है। बागान और बागानी की विभिन्न योजनाओं के अधीन विकसित कुल क्षेत्र 47,600 हेक्टेयर के आसपास है।

1.11 जिन अन्य कार्यकलापों के लिए निगम द्वारा पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

भंडार	13.07 लाख मीटरी टन
बाजार केन्द्र	58 यूनिट
ट्रैक्टर	18,118 यूनिट
कंबाईन/फसल काटने की मशीनें/ बुलडोजर/बिजली चालित जोतने की मशीनें	988 यूनिट
जालवाले पोत/यंत्रीकृत नावें	1,1,66 यूनिट
दुधारू पशु	37,500 पशु
मुर्गीपालन के पक्षी	3,64,100 चूजे
भेड़	50,300 पशु
कृषि विमान	2 यूनिट

स्वीकृतियां

स्वीकृत योजनाओं की संख्या और वायदा की गई राशि दोनों में ही उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आलोच्य वर्ष के दौरान 909 योजनाएं मंजूर की गई हैं जिन के लिए कृपुवि निगम के वायदे की राशि 297 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष 623 योजनाएं मंजूर की गई थीं और उनके वायदों की राशि 204 करोड़ रुपए थी (वितरण 2)। लघु सिंचाई एकमात्र ऐसा विशालतर प्रयोजन है जिसकी 410 योजनाओं के वायदे की राशि 167 करोड़ रुपए है। कुछ वर्षों पूर्व प्रारंभ की गई कारोबार की विशाखीकरण प्रक्रिया जारी है। लघु सिंचाई को छोड़कर अन्य प्रयोजनों की योजनाओं की संख्या 499 है इनके लिए कुल स्वीकृतियों की करीब 55 प्रतिशत राशि प्रदान की गई है और इन योजनाओं से संबंधित वायदों की राशि पिछले वर्ष के 56 करोड़ रुपयों के मुकाबले 130 करोड़ रुपए है। कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास और भूमि संरक्षण, बागान और बागबानी, मछली-पालन, डेरी-विकास और भंडार और बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) की ऐसी योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिन में भारी मात्रा के वायदे निहित हैं। कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम के लिए 80 करोड़ रुपयों की वायदा राशि प्रदान करके उसमें तेजी लाई गई है ताकि इस प्रयोजन के लिए अंविसंघ की सहायता का देर से उपयोग किए जाने में हुई कमी को पूरा किया जा सके।

2.2 भूमि विकास बैंकों (विवरण 4) के लिए 256 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जबकि पिछले वर्ष की यही संख्या 116 थी। इन योजनाओं के लिए वायदों की राशि 177 करोड़ रुपए है जो कि पिछले वर्ष के 115 करोड़ रुपयों के मुकाबले अधिक है। भूमि विकास बैंकों ने छोटे सघन क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनाएं बनाने की उपयोगिता का महत्व समझ लिया है जिन स तकनीकी

मानक सुनिश्चित किए जा सकें, जिन में अधिक पर्यवेक्षण की सुविधा हो और जिन के ऋणों के उपयोग का सत्यापन किया जा सके। यह एक स्वागत योग्य बात है कि कुछ बैंकों ने डेरी, मुर्गीपालन, भेड़ पालन, मछली पालन, आदि के वित्तपोषण जैसे कार्य के नए क्षेत्रों में पदार्पण किया है। इन बैंकों को विशाखीकृत प्रयोजनों के लिए भारी निवेश करने में जो बड़ी बाधा आड़े आती है वह जमानत के रूप में भूमि को बंधक रखने का सांविधिक परिसीमन है। यदि यह रुकावट हटाई जा सके, भूमि विकास की बैंकिंग प्रणाली विशाखीकृत प्रयोजनों के लिए अधिक योजनाएं प्रस्तुत कर सकेगी।

2.3 पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक योजनाएं स्वीकृत की गई, उन्हें 119 करोड़ रुपयों के कृषि निगम की वायदा राशि वाली 650 योजनाएं स्वीकृत की गईं जबकि पिछले वर्ष 87 करोड़ रुपयों के वायदा राशि वाली 501 योजनाएं स्वीकृत की गईं थीं। (विवरण 4)। इस प्रकार ये बैंक कृषि विकास की योजनाओं के लिए आवधिक ऋण प्रदान करने के अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रहे हैं।

2.4 जून 1976 के अंत तक कृषि निगम ने 1147 करोड़ रुपयों के अपनी वायदा राशि वाली 2905 योजनाएं स्वीकृत की हैं (विवरण 5)। इन में से 1071 योजनाएं भूमि विकास बैंकों के लिए हैं, 1784 योजनाएं वाणिज्य बैंकों के लिए स्वीकृत की गई हैं और 50 योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जानी हैं। इन योजनाओं के लिए कृषि निगम की वायदा राशि में से उक्त बैंकों के लिए वायदे क्रमशः 771 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए और 21 करोड़ रुपए हैं (विवरण 7)।

विचाराधीन योजनाएं

2.5 जून 1976 के अंत तक 690 योजनाएं विचाराधीन थीं। इन में से 151 योजनाएं सभी दृष्टियों से पूर्ण थीं और शेष 539 योजनाएं या तो अधूरी थीं अथवा कार्रवाई हेतु अतिरिक्त जानकारी के अभाव में रुकी हुई थीं। विचाराधीन योजनाओं में से 200 योजनाएं राज्यों के कम विकसित/कम बैंक वाले क्षेत्रों से संबंधित हैं। विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा विवरण 13 में दिया गया है।

क्षेत्रीय असंतुलन—

राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

2.6 कृषि के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए निगम जिस प्रकार अपने आपको उत्तरोत्तर संबद्ध करता रहा है उसका पता वर्ष 1969-70 के कार्यों से चलता है जब उसने कम विकसित क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले थे। इसके बाद से इन क्षेत्रों के विकास का संवर्धन करने के लिए निगम के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनेक उपाय किए गए हैं जिन में दो परामर्श सेवा यूनिटों का खोला जाना, निवेश पूर्व के सर्वेक्षण कराना, विशिष्ट योजनाओं का तैयार किया जाना और सभी प्रयोजनों के लिए ऋण के 90 प्रतिशत की बढ़ी हुई मात्रा में पुनर्वित्त प्रदान करने के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन का प्रदान किया जाना शामिल हैं। इन राज्यों के कतिपय जिलों तक ही कार्यक्रम को संकेन्द्रित करते हुए अंतिसंघ की परियोजनाओं की स्वीकृति भी एक प्रमुख कार्यवाही थी। इस के परिणाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर बनने वाले मध्य क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से लाभप्रद रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में अकेला उत्तर प्रदेश ही पुनर्वित्त का सब से बड़ा प्राप्तिकर्ता रहा है और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है जिसे उसका निकटतम पुनर्वित्त प्राप्त हुआ है। बिहार और पश्चिम बंगाल में उत्साहजनक प्रगति देखी गई है। पश्चिम बंगाल में चुने गए छः जिलों में अंतिसंघ द्वारा सहायता की गई योजनाओं की प्रगति के साथ साथ इस राज्य के अन्य क्षेत्रों में योजनाओं के तैयार किए जाने और उनके कार्यान्वयन ने भी जोर पकड़ा है। उड़ीसा में, विशेषकर उड़ीसा उद्वाही सिंचाई निगम की योजनाओं में, काफ़ी प्रगति हुई है। आजकल विश्व बैंक पूर्वी क्षेत्र की खाद्यान्न परियोजना पर विचार कर रहा है। इसके अंतर्गत उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के लाए जाने की आशा है। अन्य राज्यों में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है कम विकसित राज्यों में योजनाओं की स्वीकृति में की गई प्रगति, कृषि निगम के वायदे और पुनर्वित्त के वितरणों को दर्शानेवाली तालिका विवरण 8 में दी गई है। निगम यह महसूस करता है कि क्षेत्रीय असंतुलनों पर विचार करते समय एक ही राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्यमान असंतुलन की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उपलब्ध साधनों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का अधिकतम विकास प्राप्त करने के लिए आयोजना में जिले को आधार के रूप में अपनाना होगा। निगम राज्य सरकारों से अपने विचार-विमर्शों के दौरान इस पहलू पर इसलिए जोर देता रहा है कि कृषि विकास की योजनाएं तैयार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए।

2.7 इससे संबद्ध जिस एक अन्य पहलू पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है वह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत वित्तपोषक एजेंसियों की परिचालन-क्षमता में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करने से संबंधित है। जब तक ऋणदात्री संस्थाओं को परिचालन और प्रबंध की दृष्टि से मजबूत नहीं बनाया जाता, विकास प्रक्रिया की गति धीमी ही बनी रहेगी। ऋण-अंतराल को कम करने और विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिन क्षेत्रों में सहकारी ऋण विन्यास कमजोर हैं उन में उधार कार्यक्रम को अपनाने के लिए वाणिज्य बैंकों को जानबूझ कर प्रेरित किया जा रहा है।

2.8 निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के विश्लेषण से यह पता लगता है कि देश के 387 जिलों में से 53 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में से प्रत्येक में कृषि निगम द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत एक न एक प्रकार की योजना

है। जून 1976 के अंत में ये राज्य और उनमें कृषि निगम की बिना योजना वाले जिलों की संख्या नीचे दी गई है—

अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	मध्य प्रदेश	1
अरुणाचल प्रदेश	5	मणिपुर	3
असम	3	मेघालय	2
बिहार	3	मिज़ोराम	1
चंडीगढ़	1	नागालैण्ड	3
दादरा नगर हवेली	1	पांडिचेरी	2
गुजरात	2	राजस्थान	3
हिमाचल प्रदेश	7	सिक्किम	4
जम्मू और कश्मीर	5	त्रिपुरा	2
लक्ष द्वीप	1	उत्तर प्रदेश	2
		पश्चिम बंगाल	1

लघु कृषक

2.9 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम ने लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वाधान में चलने वाली 54 योजनाओं की स्वीकृति दी है। 1 जून 1976 के अंत में इन एजेंसियों के तत्वाधान में चलने वाली स्वीकृत योजनाओं की संख्या 158 (विवरण 9) है और इन के लिए निगम के वायदे की राशि 50 करोड़ रुपए है। इन में से 69 योजनाएं भूमि विकास बैंकों, 87 योजनाएं वाणिज्य बैंकों और 2 योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रयोजन के अनुसार 86 योजनाएं लघु सिंचाई के निवेश से संबंधित हैं और शेष 72 योजनाएं विशाखीकृत प्रयोजनों उदाहरणार्थ डेरी विकास (52), मुर्गी-पालन (7), भेड़ पालन (3), भूमि विकास (3), बागान और बागबानी (6) और मछली पालन (1) के अंतर्गत आती हैं।

2.10 इस वर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत आहरित राशियां 5.79 करोड़ रुपए हैं। इसमें से वाणिज्य बैंकों को 1.05 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं जब कि भूमि बैंकों द्वारा आहरित कुल राशि 4.74 करोड़ रुपए है।

2.11 निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं में लघु कृषकों की आवश्यकताओं के लिए निवेश के वित्तपोषण पर उसने जो जोर दिया है उसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। कृषि निगम की ऋण परियोजना के अधीन अंविसंघ के साथ 'लघु कृषक हिताधिकारी' की उदारीकृत परिभाषा के बारे में जो समझौता हुआ है उसे आलोच्य वर्ष में लागू किया गया है और देश के कृषि जलवायु पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों के वर्गीकरण की एकड़ सीमाएं हिसाब लगाकर निकाल ली गई हैं और वे संबंधित बैंकों को सूचित कर दी गई हैं यह परिभाषा कृषि निगम की सभी योजनाओं पर लागू कर दी गई है जिन में अंविसंघ की वे पासू योजनाएं भी शामिल हैं जिन पर पहले की परिभाषा लागू होती थी। जहां कृषि निगम के कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लघु कृषकों की संख्या अब निश्चित किए गए एकड़ के मानकों के अनुसार व्यापक हो गई है वहां लघु कृषकों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए जाने की प्रगति का दिशा-निर्देश करने की प्रणाली में अब भी कुछ त्रुटियां बनी हुई हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार उधारकर्ताओं की कुल संख्या में कृषि निगम की योजनाओं के अधीन निभाव प्रदान किए गए लघु कृषक हिताधिकारियों की संख्या 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच है परंतु उन्हें वितरित की गई राशि कुल वितरणों का लगभग 35 प्रतिशत ही कूती जा सकती है। इस पहलू के महत्व की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि सदस्य बैंक अपनी दिशा-निर्देश और सूचना प्रणाली को सरल और कारगर बनाएं ताकि लघु कृषकों को प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता का अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

2.12 इस पर भी लघु कृषक की एक जैसी परिभाषा न होने के कारण बैंकों द्वारा अभी हाल तक सामान्य योजनाओं (अर्थात् अंविसंघ की सहायता से बिना चलने वाली योजनाओं) के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। अब बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे सामान्य योजनाओं सहित लघु कृषकों के वित्तपोषण की सूचना प्रदान करें 30 जून 1976 तक कृषि निगम की योजनाओं के अंतर्गत लघु कृषकों को प्रदान किए गए पुनर्वित्त अनुमान सारणी 6 में दिया गया है:—

सारणी 6

लघु कृषकों का वित्तपोषण*

करोड़ रुपये

योजना का स्वरूप	कृषि निगम का कुल वितरण	लघु कृषकों को किया गया वितरण		कुल वित्तपोषण से लघु कृषकों के वित्तपोषण का प्रतिशत
		राशि	लेखों की (स्थूल) संख्या	
1	2	3	4	5
1. लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक परियोजनाएं	19.79	19.79	65,900	100
2. कृषि निगम की ऋण परियोजना	46.99	29.13	37,100	62

*आंकड़े अनंतिम हैं।

1	2	3	4	5
3. (क) अंविसंघ की परियोजना (कृषि ऋण परियोजनाओं में से केवल लघु (सिंचाई घटक)	227.78	41.03	54,700	18
(ख) अविसंघ की परियोजना (अन्य घटक)	41.64	—	—	—
4. सामान्य योजनायें				
(क) लघु सिंचाई	157.16	62.13	83,100	40
(ख) भूमि विकास	27.75	13.88	69,400	50
(ग) कृषि मशीनीकरण	29.37	—	—	—
(घ) भांडार/बाजार केन्द्र	13.83	—	—	—
(ङ) बागान/बागबानी	16.62	4.08	20,400	25
(च) मुर्गीपालन/भेड़पालन	1.51	1.12	100	75
(छ) डेरी विकास	4.82	3.62	3,600	75
(ज) मछली पालन	7.07	4.06	400	55
(झ) अन्य	0.17	—	—	—
कुल जोड़	594.20	178.84	3,34,700	—

अंविसंघ/अपुवि बैंक द्वारा सहायता दी गई परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान विश्व बैंक समूह से प्राप्त सहायता में से कृषि विकास की 3 और परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं। इसके नाम इस प्रकार हैं—समेकित कपास विकास परियोजना, राष्ट्रीय बीज परियोजना और आंध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना। 3.2 जून 1976 के अंत तक (सूखा प्रवण क्षेत्रों की उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनमें खेतों के ऊपरी निवेश के लिए ऋण का कोई विनिधान नहीं किया गया) अंविसंघ/अंपुवि बैंक की सहायता से 24 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए कृपुवि निगम के माध्यम से निधियाँ प्राप्त होंगी। इन परियोजनाओं में 10 कृषि ऋण परियोजनाएं (गुजरात परियोजना को छोड़कर जो इस बीच पूरी हो गई है), 4 कमान क्षेत्र विकास परियोजनाएं, 3 डेरी विकास परियोजनाएं, 2 बीज परियोजनाएँ, 2 बाजार केन्द्र परियोजनाए, एक समेकित कपास विकास परियोजना, एक सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना तथा कृपुवि निगम को प्रदान की जानेवाली सामान्य ऋण प्रणाली शामिल हैं। इन परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं अर्थात् तराई बीज परियोजना, राष्ट्रीय, बीज परियोजना, चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) और आंध्र प्रदेश सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना और अंपुवि की सहायता बैंक द्वारा की जा रही है और शेष परियोजनाओं का वित्तपोषण अंविसंघ द्वारा किया जा रहा है। प्रयोजनवार उधार कार्यक्रम अब तक किए गए वितरण और जून 1976 के अंत तक अंविसंघ द्वारा वितरित राशियों की स्थिति का सारांश सारणी 7 में दिया गया है। प्रत्येक परियोजना की प्रमुख विशेषताएं विवरण 10 में दी गई हैं और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कुल उधार देने के कार्यक्रम, वितरणों आदि की स्थिति विवरण 11 में दी गई है।

3.3 विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के कारण विश्व बैंक की विभिन्न चालू परियोजनाओं के अधीन वितरण की गति में काफ़ी तेजी आई है। जून 1976 के अंत में कृपुवि निगम द्वारा अंविसंघ/अंपुवि बैंक की परियोजना के अधीन किए गए सरल वितरणों की राशि कुल मिलाकर 321 करोड़ रुपये होती है। इसके फलस्वरूप देश को लगभग 2080 लाख डालर की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है।

कृपुवि निगम की ऋण परियोजनायें

3.4 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में अंविसंघ द्वारा कृपुवि निगम की सामान्य ऋण प्रणाली के मंजूर किये जाने का उल्लेख किया गया था। यह परियोजना एक त्रिवर्षीय कार्यक्रम है और इसके अगस्त 1975 से लागू होने की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत लघु सिंचाई के निवेशों को छोड़कर मुर्गीपालन, डेरी, बागबानी, मछली पालन आदि जैसे विशाखीकृत प्रयोजन भी प्रतिपूर्ति के योग्य थे। इस ऋण के अंतर्गत प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग देश के किसी भी भाग की योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए किया जा सकता है सिवाय उन क्षेत्रों के जो अंविसंघ की चालू परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं और जहां ऋण की शेष राशि अभी भी उपलब्ध है। आलोच्य वर्ष के दौरान परियोजना की क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और परियोजना के अधीन अक्तूबर

नवंबर 1975 से उधार देना प्रारंभ हो गया है। कृपुवि निगम ने जून 1976 के अंत तक लघु सिंचाई की एसी योजनाएं मंजूर की हैं जिनके लिए उसके वायदे की राशि 242 करोड़ रुपये है और उसने लघु सिंचाई के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए 22 करोड़ रुपयों के वायदोंवाली योजनाएं मंजूर की हैं। इस परियोजना के अधीन जून 1976 के अंत तक कृपुवि निगम के वितरण 47 करोड़ रुपये हो गये हैं जो 24 करोड़ रुपयों के प्रत्याशित स्तर से भी अधिक हैं। इनमें से लघु सिंचाई निवेशों के लिए किया गया वितरण 43 करोड़ रुपये हैं और शेष 4 रुपयों का वितरण विशाखीकृत प्रयोजनों के लिए किया गया है। कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण के पचपन प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अंविसंघ द्वारा भारत सरकार के माध्यम से की जानी है।

3.5 उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा के कम विकसित राज्यों सहित सोलह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के चालू कृषि ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत न आनेवाले जिले इस परियोजना के अधीन कृपुवि निगम की पुनर्वित सुविधाओं से लाभान्वित हुए हैं। निगम को यह आशा है कि इस वितरण की यह गति कायम रखी जायगी।

कृषि ऋण परियोजनाएं

3.6 अंविसंघ ने अब तक गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कार्यान्वित की जानेवाली 11 कृषि ऋण परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। ये परियोजनायें दो या तीन वर्गों के अंतर्गत आती हैं। पंजाब परियोजना में केवल खेती के मशीनीकरण के लिए उपकरणों के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की परियोजनाओं में केवल लघु सिंचाई के निवेश ही शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की परियोजनाओं में लघु सिंचाई के निवेश के अलावा जमीन को समतल बनाने का कार्यक्रम भी सम्मिलित है। गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की परियोजनाओं में कृषि मशीनीकरण का घटक भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की परियोजना समेकित स्वरूप की है जिसमें

सारणी 7

प्रयोजन के अनुसार अंविसंघ अंपुवि बैंक परियोजनाएं

करोड़ रुपये

प्रयोजन	आवश्यक वितरण	कृपुवि निगम कार्यक्रम के लिए अंविसंघ/अंपुवि बैंक की सहायता की राशि	30 जून, 1976 को कृपुवि निगम द्वारा दिया गया पुनर्वित्त	30 जून 1976 को भारत सरकार के माध्यम से अंविसंघ/अंपुवि बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि
1. लघु सिंचाई	452.6	263.1	270.6	166.6
2. भूमि विकास	15.1	10.8	5.5	
3. कृषि मशीनीकरण	94.6	57.3	35.7@	
4. बाजार केन्द्रों का विकास	26.7	19.0	3.2	1.3
5. बागबानी की खराब होने वाली उपज का अभिसंस्करण और विपणन	6.1	4.9	—	—
6. डेरी विकास	60.2	48.9	—	—
7. कमान क्षेत्र विकास	45.3	33.2	0.2	—
8. बीजों का उत्पादन	30.9	23.1	1.6	1.4
9. विशाखीकरण प्रयोजन (उदाहरणार्थ वृक्षीय फसलें, डेरी आदि)	9.0	4.0	4.0	1.2
10. कपास विकास*	16.1	10.3	—	—
जोड़	756.6	474.6	320.8	170.5

*समेकित कपास विकास परियोजना के अधीन उन्नत कपास की किस्में पैदा करने के लिए मौसमी ऋण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से रखे गए 75 लाख डालरों का ऋण शामिल है।

@अंविसंघ द्वारा दस लाख डालर की राशि कपुवि निगम ऋण परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययनों को चलाने के लिए उपलब्ध की गई है।

लघु सिंचाई के अलावा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, बाजारों का विकास और नदी उद्वाही सिंचाई यूनिटों का पूरा किया जाना निहित है।

3.7 अंविसंघ की विभिन्न परियोजनाओं में लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए उधार देने के सकल कार्यक्रमों की राशि 452.6 करोड़ रुपये ही और अंविसंघ सहायता की राशि 263.1 करोड़ रुपय थी। अंविसंघ की विभिन्न परियोजनाओं के अधीन लघु सिंचाई के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संतोषप्रद ढंग से चलता रहा क्योंकि भूमि विकास बैंक इस प्रकार के उधार देने के कार्य के काफ़ी समय से आदी हो चुके थे। इसके अलावा कृषि उत्पादन में उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिये जाने के कारण लघु सिंचाई के निवेशों की मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ी।

3.8 गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की परियोजनाएं मूलतः कुछ चुने हुए जिलों तक ही सीमित थी परंतु 1972-73 में संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके उन्हें प्रत्येक पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, और पश्चिमी बंगाल की परियोजनाएं करार में निर्धारित कुछ ही जिलों तक सीमित हैं और उनके अंतर्गत पूरे राज्य नहीं आते।

3.9 गुजरात परियोजना को छोड़कर महाराष्ट्र परियोजना पूरी तरह क्रियान्वित की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की परियोजनाओं का लघु सिंचाई घटक (पुनर्विनिधान के बाद) पूरा कर लिया गया है। कर्नाटक और हरियाणा में जहाँ लघु सिंचाई निवेश का मूल ऋण विनिधान पूरा कर लिया गया है वहाँ भूमि विकास और या कृषि मशीनीकरण वर्ग का कुछ ऋण लघु सिंचाई वर्ग को फिर से विनिधानित किया गया है। इस संशोधित कार्यक्रम के शीघ्र ही पूरा किये जाने की आशा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं; जून 1976 के अंतर्गत इन परियोजनाओं के अधीन भूविबैंकों/प्राप्त बैंकों ने क्रमशः 15.2 करोड़, 25.1 करोड़ और 32.7 करोड़ रुपयों के वितरण किये हैं। पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के लागू होने की घोषणा इस वर्ष के दौरान की गई थी। इसमें भाग लेनेवाले बैंकों के बीच निवेश कार्यक्रम के लिए बैंकिंग योजना के निर्धारण को कृपुवि निगम द्वारा हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। यह आशा की जाती है कि परियोजना निर्धारित अवधि के भीतर कार्यान्वित हो जायेगी।

3.10 अंवि संघ परियोजना के अंतर्गत भूमि विकास कार्यक्रम की प्रारंभ में अच्छी प्रगति नहीं हुई क्योंकि भूमि की अधिकतम सीमा के विधान, भूमि विकास बैंकों के नाम उधारकर्ताओं द्वारा बंधक किय जाने में कठिनाइयाँ और नहरों में अपर्याप्त पानी छोड़े जाने जैसे कारण विद्यमान थे। इसके साथ ही लघु सिंचाई निवेशों के लिए अधिक मांग की गई। इसके फलस्वरूप भारत सरकार और अंविसंघ के परामर्श से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की परियोजनाओं जसी कतिपय परियोजनाओं म भूमि विकास घटक से लघु सिंचाई वर्ग की निधियों का पुनर्विनिधान किया गया। हरियाणा म कृषि मशीनीकरण, घटक से ऋण का दो बार पुनर्विनिधान किया गया। लघु सिंचाई के लिए अंविसंघ के ऋण की पुनर्विनिधान से पहले और बाद की स्थिति सारणी 8 में दर्शायी गयी हैं।

3.11 गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक की कृषि ऋण परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ कृषि मशीनीकरण के उपकरण के वित्तपोषण की भी परिकल्पना की गई है और इस घटक के अन्तर्गत वितरण की प्रगति इससे पहले के वर्षों में मुख्यतः इसलिए अवरुद्ध हो गई थी कि इसमें देशी ट्रैक्टरों की शामिल किए जाने के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब हुआ। इसके बारे में जुलाई 1975 में निर्णय लिया गया और इसके बाद इसमें काफी तेजी से प्रगति हुई है। इस प्रयोजन के लिए हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की परियोजनाओं के समाप्ति के दिनांकों में वृद्धि कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि यह कार्यक्रम संशोधित अवधि के अनुसार पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अधीन जून 1976 के अन्त तक वित्तपोषित ट्रैक्टरों की संख्या और वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा वितरित राशि सारणी 9 में दी गई है।

विकास की अन्य विशेष परियोजनाएं

3.12 विश्व बैंक समूह द्वारा मंजर की गई अन्य परियोजनाएं कमान क्षेत्र विकास, डेरी विकास, बाजार केन्द्र विकास, बीज उत्पादन, बागबानी विकास, समेकित रूई विकास और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं। इनका वर्णन नीचे किया गया है :

(क) कमान क्षेत्र की परियोजनाएं

3.13 कमान क्षेत्र की तीन विकास परियोजनाएं—राजस्थान में 2 और मध्यप्रदेश में 1—कार्यान्वयन के अधीन हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने प्रत्येक परियोजना के लिए एक-एक कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया है। इन परियोजनाओं की बैंकिंग योजना को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। कमान क्षेत्र विकास में चक के अधीन आने वाले पूरे क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया जाना है और उसके किसी भी भाग को नहीं छोड़ा जाना है। चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना (राजस्थान) में कृपुवि निगम ने जलग्रहण क्षेत्र के एक कार्यक्रम को तकनीकी मंजूरी दे दी है जबकि राजस्थान में नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना के अधीन 302 चकों के लिए मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश परियोजना के अधीन कृपुवि निगम द्वारा 2 रयोजनाओं को तकनीकी मंजूरी दी गई है। यह आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं निर्धारित अवधि में कार्यान्वित हो जाएंगी।

3.14 जून 1976 में अंपुवि बैंक द्वारा कमान क्षेत्र विकास की चौथी परियोजना अर्थात् आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और

सारणी–8

कृषि ऋण परियोजनाओं के अधीन अंवि संघ ऋण का विनिधान

परियोजना का नाम	वर्ग	अंवि संघ ऋण का मूल विनिधान (10 लाख अमरीकी डालर)	पुनर्विनिधान के बाद अंवि संघ का ऋण (10 लाख अमरीकी डालर)	अंवि संघ के ऋण को खपाने के लिए आवश्यक वितरण (रुपये करोड़ों में)	भाग लेने वाले बैंकों द्वारा किया गया वितरण (रुपये करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6
1. गुजरात	ल सिं	27.30	32.475	40.27	40.27
	कृ म	7.40	2.504	3.51	3.19
	अन्य*	0.30	0.021	—	—
		35.00	35.000	43.78	43.46
2. आंध्र प्रदेश	ल सिं	14.00	16.323	21.11	21.10
	भू वि	5.24	3.40	2.30	2.30
	कृ म	4.88	4.790	8.06	1.70
	अन्य*	0.28	0.247	—	—
		24.40	24.40	31.47	25.10
3. हरियाणा	ल सिं	4.40	12.4	19.62	27.36
	कृ म (ट्रैक्टर)	17.40	12.1	15.65	12.70
	कटाई की मशीनों एवं कम्बाइनों के अतिरिक्त पुर्जे	0.50	0.5		
		2.70			
		25.00	25.00	35.27	40.06
4. महाराष्ट्र	ल सिं	22.682	26.942	36.97	36.62
	भू वि	2.719	1.200	2.26	2.26
	अन्य*	4.599	1.895	2.11	1.90
		30.00	30.000	41.34	40.78
5. तमिल नाडु	ल सिं	22.70	24.058	30.01	30.01
	भू वि	2.10	0.742	0.88	0.88
	कृ म	5.00	6.150	7.80	3.80
	अन्य*	5.20	4.050		
		35.00	35.000	38.69	34.69
6. कर्नाटक	ल सिं	13.10	25.00	29.80	28.19
	भू वि	10.00	2.00	5.25	2.30
	कृ म	6.70	9.20	15.75	6.49
	अन्य*	10.20	3.80		
		40.00	40.00	50.80	37.99

*अन्य मदों में कूयें खोदने के रिंग, मिट्टी ढोने के उपकरण, परामर्श सेवायें, अतिरिक्त पुर्जे आदि प्राप्त करना शामिल है।

सारणी 9

अंविसंघ परियोजनाएं—ट्रैक्टरों की अभिप्राप्ति

परियोजना का नाम	वित्तपोषण किये जानेवाले ट्रैक्टरों की संख्या	वित्तपोषित ट्रैक्टरों की संख्या		निम्नलिखित बैंकों द्वारा किया गया वितरण	
		देशी	आयात किए गये	भूवि बैंक (करोड़ रुपयों में)	प्रास बैंक
आंध्र प्रदेश . .	1266	174	107	1.4	0.3
कर्नाटक . .	2805	1200	941	3.5	4.0
हरियाणा . . .	4000	3408	101	5.6	7.1
पंजाब . . .	8000	2968	1386	5.2	12.5
तमिलनाडु . . .	1500	628	134	3.8	—
जोड़ . .	17571	8378	2669	19.5	23.9

संयुक्त कमान क्षेत्र विकास की परियोजना की मंजूरी दी गई थी । इसमें आंध्र प्रदेश के चार सिंचाई कमानों के अधीन आने वाली 72,000 हेक्टेयर राशि पर कमान क्षेत्र विकास की परिकल्पना की गई है ।

3.15 कमान क्षेत्र कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में अनुभव की गई कठिनाइयों में से एक यह थी कि ऐसे खेतों के विकास के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता थी जिनके मालिक सामान्य बैंकिंग ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं थे । इस प्रयोजन के लिए कृपुवि निगम ने भारत सरकार के परामर्श से अब एक योजना तैयार की है जिसके फलस्वरूप यह संभव हो जाना चाहिए कि उसके लिए क्षेत्र परियोजना का विकास कार्य अपने हाथ में लिया जा सके ।

(ख) डेरी विकास परियोजना

3.16 डेरी विकास के लिए तीन समेकित परियोजनाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही हैं । इन सभी परियोजनाओं के अधीन डेरी संघों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है । कृपुवि निगम ने भाग लेने वाले बैंकों एवं अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के लिए बंगलौर, भोपाल और जबलपुर में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ताकि इन कर्मचारियों को सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्रियाविधिक एवं परिचालनगत मामलों से अवगत कराया जा सके । राजस्थान में डेरी विकास निगम की स्थापना की गई है और उसके लिए महत्वपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्त कर ली गई है । कृपुवि निगम ने 2 डेरी संघों की तकनीकी सेवाओं के घटकों के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है । मध्यप्रदेश में भी डेरी विकास निगम की स्थापना कर दी गई है और महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है । कृपुवि निगम द्वारा भोपाल डेरी संघ के तकनीकी घटक की एक योजना को मंजूरी दी गई है । संयंत्र निर्माण के लिए डिजाइन का ब्यौरेवार अध्ययन शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है । यह आशा की जाती है कि ये दोनों परियोजनाएं निर्धारित अवधि में कार्यान्वित हो जाएंगी । कर्नाटक में परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है । हाल ही में कर्नाटक डेरी विकास निगम द्वारा एक प्रबंधक परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है जिससे इनमें सुधार होने की आशा की जाती है । इस परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है ।

(ग) बाजार केन्द्र परियोजनाएं

3.17 बाजार विकास की दो परियोजनाओं, अर्थात् बिहार बाजार केन्द्र परियोजना और कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । बिहार में कृपुवि निगम ने अब तक 4.7 करोड़ रुपयों के वायदों वाले 19 बाजारों को अनुमोदन प्रदान किया है जबकि कर्नाटक में कृपुवि निगम के 4.5 करोड़ रुपयों के बाद वाले 26 बाजारों का अनुमोदन किया गया है । बिहार एवं कर्नाटक बाजार परियोजनाओं के अन्तर्गत जून 1976 के अन्त तक कृपुवि निगम द्वारा वितरित की गई राशि क्रमशः 2.87 करोड़ रुपए और 0.32 करोड़ रुपए थी । बिहार में बाजार निर्माण कार्य में इसलिए विलम्ब हुआ है कि बाजार निर्माण के लिए स्थान प्राप्त करने में वैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं । ये कठिनाइयां दूर कर ली गई हैं और निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है । कर्नाटक में अनुमान और नक्शे तैयार करने, लेखा परीक्षा के बकायों और लिए जाने वाले बंधक के प्रकार जैसे मामलों को सुलझाने में विलम्ब होने से परियोजना की प्रगति में रुकावट आने की प्रवृत्ति पाई गई ।

(घ) बीज परियोजनाएं

3.18 अंपुवि बैंक द्वारा दो बीज परियोजनाएं एक उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र की बीज परियोजना और दूसरा

राष्ट्रीय बीज परियोजना मंजूर की गई हैं। तराई बीज परियोजना में तराई क्षेत्र के भूमि विकास की परिकल्पना की गई है। ताकि खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपलब्धि में वृद्धि की जा सके। जून 1976 के अन्त तक इस परियोजना के अधीन कृषि निगम द्वारा किए गए वितरणों की राशि 1.64 करोड़ रुपए है। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को अपने स्वयं के खेतों या पट्टे पर लिए गए खेतों में भूमि को समतल बनाने के लिए ट्रैक्टरों और पुर्जों सहित भूमि को समतल करने वाले यंत्रों को खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो आवधिक ऋण प्रदान किया गया है उसके लिए पुनर्वित प्रदान करने के लिए इस बीच कृषि निगम सहमत हो गया है।

3.19 जो राष्ट्रीय बीज परियोजना राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण है उसके अन्तर्गत चार राज्य आते हैं। इसके अन्तर्गत बीज निगम को भंडार और विपणन में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के अधीन प्रमुख अनाजों और रूई के बीजों की प्रमाणित किस्मों के उत्पादन की भी परिकल्पना की गई है। यह परियोजना अंकृवि बैंक द्वारा जून 1976 में मंजूर की गई है।

(ङ) बागवानी परियोजनाएं

3.20 हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना का उद्देश्य सेब अभिसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना में श्रेणीकरण और पैकिंग केन्द्रों, शीतगृह, रस अभिसंस्करण संयंत्र, सड़क सुधार और रज्जू मार्ग की व्यवस्था शामिल है। इस परियोजना को प्रारंभ में कुछ ऐसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा जो प्रबंध-सम्बन्धी और तकनीकी समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई थीं। अंवि संघ समीक्षा आयोग ने इस परियोजना में कुछ परिवर्तन करने के लिए विभिन्न हितों से विस्तृत विचार-विमर्श किया है। हिमाचल प्रदेश बागबानी उपज विपणन और अभिसंस्करण निगम मर्यादित ने दो पैकिंग और श्रेणीकरण केन्द्रों के सम्बन्ध में एक उप-परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और इन्हें दो वाणिज्य बकों को कार्यान्वयन हेतु दे दिया गया है।

(च) रूई विकास परियोजना

3.21 आलोच्य वर्ष के दौरान अंवि संघ द्वारा जो समेकित रूई विकास परियोजना मंजूर की गई थी, उसमें पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के चने हुए क्षेत्रों में रूई की उन्नत किस्मों के उत्पादन और अभिसंस्करण से सम्बन्धित सभी पहलुओं की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूई उत्पादकों की अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए अल्पावधि निधि में भी व्यवस्था की गई है। कृषि निगम पहली बार अल्पावधि ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करेगा। इस प्रयोजना के लिए मौसमी ऋण निधि का गठन किया जा रहा है। अल्पावधि ऋण के प्रयोजन हेतु जो वाणिज्य बैंक परियोजना में भाग लेंगे, उनमें अभिनिर्धारण कर लिया गया है और कृषि निगम द्वारा उन्हें इस परियोजना के अधीन अपने लिए अल्पावधि ऋण सीमाओं को मंजूर कराने के लिए आवेदनपत्र प्रेषित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। इस परियोजना में कपास ओंटने और बिनौलों के अभिसंस्करण की सुविधाओं का आधुनिकीकरण और अनुसंधान की भी परिकल्पना की गई है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों की परियोजना

3.22 सूखा प्रवण क्षेत्रों की जिस परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के छः जिले आते हैं उसके अन्तर्गत ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा कतिपय निवेशों का वित्तपोषण किए जाने की परिकल्पना की गई है। इनमें लघु सिंचाई कार्यक्रम, भेड़ और डेरी विकास, बागबानी, मछली पालन, रेशम उत्पादन, आदि शामिल है और सम्बन्धित योजनाओं के लिए कृषि निगम द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। परियोजना करार के अनुसार निगम से एक ऐसी बैंकिंग योजना तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक कृषि ऋण का परिमाण, एवं प्रकार, ऋण की आवक को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित वैधानिक और संस्थागत परिवर्तन और क्षेत्र में विभिन्न ऋण-दात्री संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य आते हों। तदनुसार निगम ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग अध्ययन दलों का गठन किया है और छः जिलों के लिए बैंकिंग योजनाएं तैयार कर ली हैं।

साकार की जा रही परियोजना

3.23 साकार की जा रही परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स इन दि पाइप लाइन) में गुजरात की मछली पालन विकास की समेकित परियोजना, केरल की वृक्षीय फसल परियोजना और पूर्वी क्षेत्र की खाद्यान्न परियोजना शामिल है। अभिनिर्धारण सज्जा आयोग* (अन्न और कृषि संगठन/फसल परियोजना) ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल के 7 बंदरगाह आते हैं। अंवि संघ गुजरात की एक परियोजना का मूल्यांकन कर रहा है। केरल सरकार द्वारा तैयार की गई जिस कृषि विकास परियोजना के लिए अंवि संघ से वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है, उसका मूल्यांकन वृक्षीय फसल मिशन द्वारा किया गया। परियोजना में वृक्षीय फसल, डेरी आदि के विकास की अपेक्षा की गई है। अंवि संघ के उक्त आयोग के साथ कृषि निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी को ऋण विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध किया गया था। पूर्वी क्षेत्र खाद्यान्न परियोजना तैयार की जा रही है। इसके अधीन बिहार, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य आएंगे।

वर्ष के दौरान किए गए नीति सम्बन्धी निर्णय

कृषि उत्पादन में शीघ्रता से वृद्धि को महत्व देनेवाली लघु सिंचाई योजनाओं पर कृषि निगम प्राथमिकता से ध्यान देता रहा है। कृषि निगम अगस्त 1967 से ही लघु सिंचाई

*आइडेंटीफिकेशन प्रिपेरेशन मिशन

योजनाओं के अधीन राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता के 90 प्रतिशत तक की पुनर्वित्त सहायता मंजूर करता रहा है और राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वे राभूवि बैंकों द्वारा जारी किए गए विशेष विकास डिबेंचरों में अभिदान के रूप में केवल 10 प्रतिशत की शेष राशि का ही अंशदान करें जबकि अन्य योजनाओं के लिए उनसे 25 प्रतिशत के सामान्य अंशदान की आशा की जाती है । पांचवीं योजना में इन निवेशों के तंत्रगत महत्व को ध्यान में रखते हुए निगम ने इस वर्ष के दौरान यह निर्णय किया है कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना अर्थात् 1978–79 के अन्त तक 90 प्रतिशत की पुनर्वित्त सहायता जारी रखी जाए ।

4.2 कृषिवि निगम की पुनर्वित्त सहायता से लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में चलने वाली और अधिक योजनाओं को सहायता देने के लिए सदस्य बैंकों को प्रेरित करने के हेतु निगम पिछले छः वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत की पुनर्वित्त सहायता मंजूर करता आ रहा है । बैंकों को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन को उस स्थिति में आवश्यक समझा जाता था जब लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों की नयी-नयी स्थापना हुई थी और लघु कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों को दी जाने वाली सहायता ऋण जोखिम मानी जाती थी । समाज के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की उत्तरोत्तर संबद्धता को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि वित्त पोषक बैंकों को भी इस कार्यक्रम के लिए कुछ जोखिम लेना चाहिए । अतः कृषिवि निगम ने पुनर्वित्त की मात्रा में कुछ सुधार किया है । 1 अप्रैल 1976 से कृषिवि निगम द्वारा लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में प्रवर्तित स्वयं समर्थ कृषि विकास योजनाओं के लिए सदस्य बैंकों द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहयता के 90 प्रतिशत तक की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाएगी और शेष 10 प्रतिशत की राशि राभूवि बैंकों द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के मामले में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तथा वाणिज्य और राज्य सहकारी बैंकों के मामले में बैंकों द्वारा अपने खुद के साधनों से पूरी की जाएगी ।

4.3 कृषिवि निगम द्वारा अनुमोदित लघु सिंचाई योजनाओं के अधीन कृषकों को अपने कुओं में बिजली लगाने के लिए संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों (रावि बोर्ड) के पास जमाराशियां बनाये रखने के लिए सदस्य बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों के संबंध में कृषिवि निगम ने पुनर्वित्त सुविधाएं मंजूर करने का प्रस्ताव रखा है । चूंकि निर्धारित क्रियाविधि काफी कठिन और दुष्कर सिद्ध हुई अतः इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं उठाया गया । जहां कृषकों द्वारा पहले ही निवेश किया जा चुका है वहां पंपसेटों को चलाने के लिए बिजली देने के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना की समीक्षा की गयी है । संशोधित क्रियाविधि के अधीन, कृषिवि निगम द्वारा अनमोदित लघु सिंचाई योजनाओं के अंतगत राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जिन कुओं के लिए वास्तव में बिजली दी गई है उनकी संख्या के अनुपात में सदस्य बैंकों को निधियां प्रदान करने की अनुमति दी गई है परंतु इनमें वे कूयें शामिल नहीं हैं जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अंतर्गत आ नेवाले क्षेत्रों में हैं । रावि बोर्ड द्वारा बिजली लगाये गये कुयें में 5 अश्वशक्ति तक की बिजली चालित मौटर लगाने के लिए ऋण सहायता की अधिकतम मात्रा 4,500 रुपये होगी, इसके बाद मोटर की अश्व शक्ति में 2.5 अश्व शक्ति के सीमा स्तर (स्लैब) के हिसाब से वृद्धि होने पर 1,000 रुपयों से अनधिक दर पर अधिकतर ऋण की अनुमति भी दी जा सकती है । इन ऋणों की अवधि 7 वर्ष होगी और ये वार्षिक किस्तों में अदा किये जाएंगे । जहां वाणिज्य बैंक रावि बोर्डों को ऋण प्रदान करने की स्थिति में होंगे वहां रावि बोर्डों को सीधे ही ऋण प्रदान करने के लिए राभूवि बैंकों को अपने अधिनियमों और उपविधियों में संशोधन करने पड़ेंगे । इसको देखते हुए कि यह योजना अक्तूबर 1975 में संशोधित की गई थी और राज्य विद्युत बोर्डों को ऋण देने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी थीं, इस वर्ष के दौरान कृषिवि निगम ने सदस्य बैंकों को उनके द्वारा दिये गये ऋणों के लिए 6.5 करोड़ रुपयों की भारी राशि वितरित की है। निगम यह आशा करता है कि आगामी वर्षों में इस स्रोत से निधि की अधिक मांग होगी ।

4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक और कृषिवि निगम द्वारा क्रमशः सामान्य और विशेष विकास डिबेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभूवि बैंकों/राभूवि बैंकों की शाखाओं के उधार कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए कुछ भिन्न मानदंडों का पालन करता आ रहा है । अंवि संघ द्वारा सहायता की गई परियोजनाओं सहित दोनों कार्यक्रमों के अधीन 1975-76 के प्रारंभ से इन मानदंडों में एकरूपता लायी गयी है और एक जैसी कसौटियां लागू की जा रही हैं । किसी वर्ष के दौरान उधार कार्यक्रम के लिए प्राभूवि बैंकों/राभूवि बैंकों की शाखाओं की योग्यता उनके द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किये गये वसूली कार्य से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध की गई है और उनके योग्य उधार कार्यक्रम पिछले वर्ष के दौरान उनके द्वारा वितरित की गयी राशि के निम्नलिखित मानकों के अनसार निर्धारित प्रतिशत से संबद्ध किये गये हैं :

अतिदेय राशियों की सीमा (मांग का%)	योग्य उधार कार्यक्रम (पिछले वर्ष जारी किये गये ऋणों का%)
0-25	निर्बाध
26-35	80
36-45	70
46-55	60
56-60	50
61-100	कुछ नहीं

4.5 यह आशा की जाती है कि इन कसौटियों को लागू किये जाने से प्राभूवि बैंक/राभूवि बैंकों की शाखाओं को बेहतर वसूली कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी । अतिदेयों के प्रतिशत का हिसाब लगाने के लिए भी यह छूट दी गयी है कि बैंक किसी वर्ष की अपनी मांग के 10 प्रतिशत से अनधिक की राशि के अतिदेयों को सैद्धांतिक रूप से कम करने के लिए राज्य सरकार के शेयर पूंजी के लिए किये गये अंशदान को हिसाब में ले सकते हैं और इस प्रकार उस वर्ग पर लागू होने वाले उच्चतर उधार कार्यक्रम के योग्य हो सकते हैं । राभूवि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अंतर्गत अभाव की परिस्थितियों से उत्पन्न अतिदेयों की अवधि का पुनर्निर्धारण करने की सुविधा भी प्राप्त है । राभूवि बैंकों द्वारा डिबेंचरों को जारी करने के लिए सामान्य मानदंडों की समीक्षा करते रहने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृपुवि निगम की एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया है । इस समिति द्वारा किये गये विचार-विमर्श के आधार पर 1975–76 वर्ष के लिए उक्त सिद्धांतों को लागू करने के लिए कतिपय छूटें दी गयी हैं ताकि बैंक वायदा किये गये ऋणों की दूसरी और अनुवर्ती किस्तें प्रदान कर सकें ।

4.6 कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अधीन भूमि के ऊपर किये जानेवाले निवेश चक आधार पर किये जा रहे हैं और यह आवश्यक है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए चक के अधीन आने वाली सम्पूर्ण भूमि का विकास किया जाए । इसके लिए उपयुक्त निवेश और भारी ऋण-सहायता की आवश्यकता है । परन्तु अनुभव से यह पता लगा है कि चक के अंतर्गत ऐसे भूस्वामी हैं जो किसी न किसी कारण उदाहरणार्थ भूमि पर मान्य हक न होने से बैंकों से ऋण प्राप्त करने के हकदार नहीं होते । कमान विकास क्षेत्र में ऐसे 'आयोग्य' कृषकों का वित्तपोषण करने का प्रश्न एक प्रमुख अवरोध रहा है । अब भारत सरकार और कृपुवि निगम ने एक दृढ़ क्रियाविधि निकाली है जिससे 'आयोग्य' कृषकों को कृपुवि निगम में स्थापित एक विशेष ऋण सहायता प्रदान की जा सकती है । इस लेखे में केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार और कृपुवि निगम द्वारा 50:25:25 के अनुपात में अंशदान किया जायेगा । सामान्यतः यह आशा की जाती है कि कमान क्षेत्र में अयोग्य कृषकों के कब्जे या स्वामित्व में रहनेवाले कुल क्षेत्र का प्रतिशत कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र का 20 प्रतिशत होगा । विशेष ऋण लेखे से निधियां प्रदान करने की क्रियाविधि दर्शाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत कृपुवि निगम द्वारा जारी किये गये हैं ।

4.7 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कृपुवि निगम द्वारा बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की वानि की परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है । इस प्रयोजन के लिए कृपुवि निगम ने व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि विभिन्न वन रोपण निगम अपनी योजनाएं तैयार कर सकें । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले वित्त, वित्तपोषण का तरीका, निधियां वितरित करने की क्रियाविधि, कार्यकारी पूंजी निधि की व्यवस्था और परियोजना के कार्यान्वियन का पर्यवेक्षण आदि जैसी मदें दर्शाई गई हैं । जिन मामलों के लिए संबंधित राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं उनको भी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्दिष्ट किया गया है ।

कृपुवि निगम अधिनियम, 1963 में किये गये संशोधन

4.8 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कृपुवि निगम अधिनियम में किये गये विभिन्न संशोधनों को संसद् द्वारा जुलाई—अगस्त 1975 में पारित कर दिया गया है । ये संशोधन 15 नवम्बर 1975 से लागू हुए हैं इसके फलस्वरूप निगम का नाम बदल कर "कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम" कर दिया गया है ।

4.9 अधिनियम में किये गये संशोधन तीन अलग-अलग वर्गों, अर्थात् वित्तीय, प्रशासकीय और क्रियाविधिक वर्गों के अंतर्गत आते हैं । इनमें से महत्वपूर्ण संशोधन इन बातों से संबंधित हैं—भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम की शेयर पूंजी को 25 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना, निगम को उपहार, अनुदान, चंदे, उपकारक दान स्वीकार करने के योग्य बनाना, योग्य संस्थाओं के बांडों और डिबेंचरों की बिक्री, भारत के भीतर और बाहर पूंजीगत माल के संबंध में कृपुवि निगम द्वारा आस्थगित अदायगी की गारंटी का दिया जाना, और निगम द्वारा जिस योजना या जिन योजनाओं के लिए निभाव प्रदान किया गया हो उसके या उनके स्वरूप और सीमाक्षेत्र को देखते हुए 'योग्य संस्था' अथवा 'योग्य संस्थाओं, के किसी वर्ग से जमानत में छूट देने के लिए कृपुवि निगम के बोर्ड को शक्ति प्रदान करना ।

4.10 निगम, यथासंशोधित, कृपुवि निगम अधिनियम, 1963 के फलस्वरूप इस योग्य हो गया है कि वह कार्यकारी पूंजी प्रदान कर सके । निगम ने यह निर्णय किया है कि वह विकास की समेकित योजनाओं की कार्यकारी पूंजी के लिए चयनात्मक आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करेगा अथवा वह जहां सामग्री की थोक खरीद के निवेश के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाना है वहां उसके प्राप्त होने की अवधि तक उनका वित्तपोषण करेगा । इस संशोधन के फलस्वरूप निगम समेकित कपास विकास परियोजना के अंतर्गत कपास की उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए फसली ऋण आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है ।

4.11 कृपुवि निगम अधिनियम सिक्किम राज्य पर भी लागू कर दिया गया है । निगम ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह निगम द्वारा उपलब्ध की गई संवर्धन और विकासीय सुविधाओं का लाभ उठाये ।

अन्य गतिविधियां

मूल्यांकन

5.1 मूल्यांकन कक्ष ने दो लघु सिंचाई योजनाओं अर्थात् (महाराष्ट्र) के शोलापुर जिले के 4 तालुकों में पंपसेटों सहित खुदाई वाले नये कुओं की योजना और करनाल I योजना (हरियाणा) के अधीन उथले नलकूप लगाने की योजना से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट समाप्त कर दी है । आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की योजनाओं से संबंधित अध्ययन की रिपोर्टें भी प्रायः समाप्त होने जा रही हैं ।

5.2 इस वर्ष के दौरान, गुजरात कृषि ऋण परियोजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई निवेशों से कृषकों को होने वाले लाभों का निर्धारण करने के लिये मूल्यांकन कक्ष द्वारा एक त्वरित मूल्यांकन अध्ययन प्रारंभ किया गया ।

5.3 कृषि क्षेत्र में सदस्य बैंकों द्वारा संख्या और योजनाओं दोनों ही की दृष्टि से किये जाने वाले बढ़ते हुए कारबार को देखते हुए बैंकों के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने संगठन के भीतर ही परियोजना दिशा-निर्देशन और मूल्यांकन कक्ष की स्थापना करें । इस उद्देश्य के लिये निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों और भूमि विकास बैंकों ने कृपुवि निगम से भारी मात्रा में पुनर्वित्त आहरित किया है, उन्हें यह सुझाव दिया है कि वे अध्ययन प्रारंभ करने के लिये ऐसे कक्षों की स्थापना करें । भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर मूल्यांकन कक्ष ने, उसके अधिकारियों को परियोजना के दिशा निर्देशन के प्रशिक्षण के लिये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन किया है और उक्त बैंक ने अपने स्थानीय मुख्य कार्यालयों में परियोजना दिशा-निर्देशन और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना की है ।

5.4 मूल्यांकन कक्ष चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पूर्णतः कार्यान्वित की गई कृषि ऋण परियोजनाओं की समाप्ति रिपोर्ट पर विचार करेगा । इसके अलावा, यह कक्ष कार्यक्रम के दूसरे चरण के अधीन मछली-पालन, बागवानी और उद्वाही सिंचाई जैसे विविध प्रयोजनों से संबंधित कतिपय योजनाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है ।

प्रशिक्षण

5.5 भूमि विकास और वाणिज्य बैंकों के बढ़ते हुए कारबार में होनेवाली वृद्धि के फलस्वरूप उन पर यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आया है कि ऋण प्रदान करने की नीतियां और क्रिया निधियां ठोस हों और ऋण के उद्दिष्ट उपयोग का उचित रूप से पर्यवेक्षण किया जाता हो । सदस्य-बैंकों के मूल्यांकन कर्मचारियों को भी निवेश प्रस्तावों की उचित मूल्यांकन पद्धति की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए । विकास बैंक होने के नाते निगम ने अपनी इससे संबंधित भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया है और इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम में प्रशिक्षण से संबंधित एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष उसके चेयरमैन हैं और जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, राज्य भूमि विकास बैंकों और वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । यह समिति प्रशिक्षण से संबंधित सभी पहलुओं पर निगम को सलाह देगी । एक आन्तरिक दल कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को प्रशिक्षण पाठयक्रमों को तैयार करने में तथा कार्यक्रम का सामान्य मार्गदर्शन करने में उसका दिशा-निर्देशन करेगा ।

(क) वरिष्ट और माध्यमिक स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

5.6 प्रशिक्षण पाठयक्रमों का श्रीगणेश पूना में आयोजित 'कृषि के लिए विकास बैंकिंग पर विचार गोष्ठी' से हुआ । इस विचार गोष्ठी में भूमि विकास बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और वाणिज्य बैंकों के कृषि वित्त विभागों के अध्यक्षों ने भाग लिया । भूमि विकास बैंकों, वाणिज्य बैंकों और दिलचस्पी रखने वाली अन्य संस्थाओं के वरिष्ठ और माध्यमिक स्तर के अधिकारियों के लिये पूना स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में एक कृषि परियोजना पाठयक्रम की व्यवस्था की गई है । यह पाठ्यक्रम 4 सप्ताह का है । इसके अंतर्गत अब तक, 10 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं जिनसे 305 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए । इनमें से 109 प्रशिक्षणार्थी भूमि विकास बैंकों, 117 प्रशिक्षणार्थी वाणिज्य बैंकों और शेष प्रशिक्षणार्थी दिलचस्पी रखनेवाली अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे । आगामी कार्यक्रमों के अंतर्गत पूना और अन्य सुविधाजनक केन्द्रों में 30 पाठयक्रमों का आयोजन किया जायेगा । इन पाठयक्रमों के स्वरूप में इस प्रकार की विविधता रखी जायेगी कि वे तकनीकी और गैर-तकनीकी अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें । ऐसा अनुमान है कि 1975-76 की दो वर्षों की अवधि में 1300 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिनमें से लगभग 750 अधिकारी भूमि विकास बैंकों के होंगे ।

(ख) भूमि विकास बैंकों के कनिष्ट स्तरीय कर्मचारी

5.7 कृषि पुनर्वित्त निगम की ऋण परियोजना के अंग के रूप में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा, कनिष्ट स्तरीय कर्मचारियों की अनुकूलन आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिये मुख्यतः राज्य भूमि विकास बैंकों की सहायता से एक अध्ययन का आयोजन किया गया । इस विषय से संबंधित एक रिपोर्ट भारत सरकार और अंवि संघ को प्रस्तुत कर दी गई है । इस अध्ययन के अनुसार, भूमि विकास बैंकों के लगभग 18,000 कनिष्ठ कर्मचारियों के अनुकूलन की आवश्यकता है । इनमें से क्रांतिक वर्ग में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 9,000 होगी जिन्हें दो वर्षों की अवधि में इन कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित करना है इन पाठयक्रमों में किसी संस्था के परिप्रेक्षय और उसके कार्यक्षेत्र तथा कर्मचारियों की क्षमताओं को देखते हुए कर्मचारियों के कार्य-प्रशिक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायेगा । यह इरादा नहीं है कि अलग-अलग प्रशिक्षण संस्थाएं

की स्थापना करके देश में पहले से ही कार्यरत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ होड़ लगाई जाए । ये विशिष्ट पाठयक्रम कृषि पुनर्वित और विकास निगम के सर्वोपरि पर्यवेक्षण में भूमि विकास बैंक द्वारा आयोजित किये जायेंगे तथा राज्य में पहले से ही विद्यमान वास्तविक सुविधाओं का यथासंभव उपयोग किया जायेगा । निगम ने 4 सप्ताह के ऐसे पाठयक्रमों का प्रस्ताव रखा है जिनको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वे उन तीन स्थूल वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके जिनके अंतर्गत कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारी आते हैं । 1976-77 में कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों के लिये ऐसे लगभग 160 पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव रखा गया है तथा आगामी वर्ष के लिए 135 पाठयक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है । अगस्त 1976 से प्रारंभ होनेवाले कनिष्ठ स्तरीय पाठक्रम के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिये निगम में एक कर्णधार दल का गठन किया गया है । जो प्रशिक्षक भूमि विकास बैंकों के प्रशिक्षण कर्मचारियों के लिये इन पाठयक्रमों का संचालन करेंगे उनके लिये "प्रशिक्षकों की कार्य गोष्ठी" का आयोजन रिजर्व बैंक स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय मद्रास में किया गया है । कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि उन्हें क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए । राज्य भूमि विकास बैंकों के भीतर ही आवश्यक कुशल व्यक्तियों का विकास करने के प्रयत्न किये जायेंगे ताकि विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक केन्द्रक-आधार का निर्माण किया जा सके ।

5.8 इस वर्ष के दौरान, कृषि पुनर्वित और विकास निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी को वाशिंटन स्थित आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित ग्रामीण ऋण परियोजना पाठयक्रम में एक प्रेक्षक के रूप में भेजा गया । कोलंबो योजना के अन्तर्गत ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय में विकास बैंकों के लिये परियोजना आयोजन और मूल्यांकन पाठयक्रम में भाग लेने के लिये एक अधिकारी को भेजा गया ।

भावी स्वरूप

1973-74 में, निगम ने समवेत योजना की प्रक्रिया के अंग के रूप में पांचवीं योजना के दौरान 900 करोड़ रुपयों के आधार कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा था; समय-समय पर कार्य-संपादन बजट बनाने के जो प्रयत्न किये गये उनके परिणाम-स्वरूप इस कार्यक्रम की उपलब्धियों और संभावनाओं के आधार पर समीक्षा की गयी । उसके अनुसार 120 करोड़ रुपयों की प्रत्याशित उपलब्धियों की तुलना में 1974-75 के दौरान 106 करोड़ रुपयों की उपलब्धि हुई । अतएव, योजना आयोग और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों से परामर्श करने के बाद इस कार्यक्रम की समीक्षा की गयी । जहां पांचवी योजना के पांच वर्षों में समग्र कार्यक्रम को 900 करोड़ रुपयों पर ज्यों का त्यों बनाये रखा गया वहां 1975-76 के कार्यक्रम का अनुमानित परिव्यय 140 करोड़ रुपये आंका गया । वित्तीय वर्ष (155 करोड़ रु०) और लेखा वर्ष (171 करोड़ रु०) दोनों ही के अनुसार कार्य-संपादन की जितनी आशा की गई थी वह उससे अधिक हुआ ।

संदर्श कार्यक्रम

6.2 आलोच्य वर्ष के दौरान वितरित राशि के उच्चतम स्तर को देखते हुए निगम ने यह अनुभव किया कि संदर्श उधार कार्यक्रमों में वितरण की जिस दर का उल्लेख किया गया है उसके स्तर में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है । तदनुसार पांचवीं योजना अवधि के दौरान पुनरीक्षित संदर्श उधार कार्यक्रम को अस्थायी रूप से नीचे लिखे अनुसार निर्धारित किया गया है (सारणी 10) ।

सारणी 10

संदर्भ कार्यक्रम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष (अप्रैल मार्च)	मूल कार्यक्रम	पुनरीक्षित कार्यक्रम I	पुनरीक्षित कार्यक्रम II	वितरित पुनर्वित्त	
				वित्तीय वर्ष (अप्रैल—मार्च)	लेखा वर्ष (जुलाई—जून)
(1973-74)	(120)				
1974-5 . . .	150	101 (वास्तविक)	120	101	106
1975-6 . . .	180	140	140	155	171
1976-7 . . .	210	185	220		
1977-8 . . .	140	216	260		
1978-9 . . .	—	238	285		
	900	880	1025		

6.3 वितरणों की अधिक मात्रा से संबधित धारणा इस तथ्य पर आधारित है जहां एक ओर लघु सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रयोजन बना रहेगा, कमान क्षेत्रों में खेतों के ऊपरी विकास कार्यों, वाणिज्य वानिकी सहित बागानों, कृषि मशीनीकरण, भंडार आदि के लिए निधियों की मांग में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी । राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को पांचवी योजना के शेष वर्षों तथा छठी योजना में संभवत: विशिष्ट परियोजनाओं के रूप में अमल में लाया जायेगा । राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी सिफारिशों को लागू किये जाने के लिए बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करने में यह परिकल्पना की है कि 1979 तक 1,750 करोड़ रुपयों के शुद्ध आवधिक ऋणों के लिये संस्थानिक वित्त प्रदान किया जाए । इस पर भी कृषि क्षेत्र के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण प्रदान करने में बैंकिंग प्रणाली की संबद्धता की स्थिति, पांचवीं योजना के प्रलेखों को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही स्पष्ट होगी ।

6.4 विश्व बैंक द्वारा अब जो पूर्वी खाद्यान्न परियोजना तैयार की जा रही है उससे पूर्वी क्षेत्र की क्षमता का विकास किया जा सकेगा ताकि देश के खाद्यान्न उत्पादन में अध्ययन वृद्धि हो सके । इस संबंध में उड़ीसा से संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन प्राय: समाप्त हो गया है तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश का अध्ययन चल रहा है । उड़ीसा के कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिगत जल और सतही जल स्रोतों के दोहन के अलावा कतिपय बड़ी और मझौली सिंचाई प्रणालियों, समेकित कमान क्षेत्र विकास, अनुसंधान और विस्तार व्यवस्था और उत्पादन वितरण की सुविधायें आयेंगी । इस राज्य के भूमिगत जल की क्षमता के अभिनिर्धारण और निवेश ऋण और उत्पादन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से ऋण के पुनर्गठन से संबंधित योजना तैयार करने के कार्य में निगम विश्व बैंक दल के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध रहा है । इसी प्रकार निगम अन्य राज्यों के अध्ययनों से भी संबद्ध रहा है । आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम को मूर्तरूप दिये जाने पर इस क्षेत्र की निवेश क्षमता में वृद्धि होगी ।

6.5 पिछली रिपोर्ट में देश के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण और सूअर पालन योजनाओं के तैयार किये जाने का उल्लेख किया गया था । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सर्वेक्षण निगम द्वारा किया गया और ऐसे संकेत मिले हैं कि इसके फलस्वरूप ठोस प्रस्ताव सामने आ रहे हैं । त्रिपुरा ने लघु सिंचाई, रबड़ लगाने और बांस तथा अन्य कम बढ़ने वाली किस्मों को पैदा करने की योजनाएं तैयार कर ली हैं । मेघालय ने वाणिज्य वानिकी की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें मुख्य रूप से देवदार और सागौन के वृक्ष लगाने पर अधिक बल दिया गया है । इस रिपोर्ट की अब जांच की जा रही है। इस क्षेत्र के राज्यों को अब कृषि निवेश के लिए सांस्थानिक ऋण की भूमिका के महत्व को भली-भांति समझने का अवसर मिला है । इसके परिणामस्वरूप, पिछले वर्षों में प्रारंभ किये गये संवर्धन प्रयत्नों को आगे जारी रखने का प्रस्ताव है ।

6.6 निगम से और अधिक सुविधायें प्राप्त करने की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए निगम अपने संगठन के स्वरूप और अपनी क्रियाविधियों पर नये सिरे से विचार कर रहा है । इस प्रयोजन के लिये निगम ने एक समीक्षा समिति स्थापित की है जो मोटे-तौर पर 1973 में गठित समीक्षा के आधार पर गठित की गई है । इस समीक्षा समिति से यह आशा की जाती है कि वह क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका को पूर्वाभिमुख बनाए और साथ ही सरलीकृत क्रियाविधियां और पद्धतियां लागू करे ।

वित्त

1974-75 और 1975-76 के दो वर्षों के दौरान उधार कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की निधियों के प्रमुख स्रोत तथा 1971-72 से 1975-76 के पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मदों की प्रवृत्तियां निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई हैं ।

सारणी 11

निधियों के स्मति

(करोड़ रुपयों में)

	1974–5	जोड़ का प्रतिशत	1975–6	जोड़ का प्रतिशत	जुलाई 1971–जून 1976	जोड़ का प्रतिशत
1 2	3	4	5	6	7	8
1. चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि/अधिशेष . . .	6.22	5.1	6.67	3.6	24.16	4.5
2. भारतीय रिजर्व बैंक की विशष जमा राशि	0.38	0.3	0.51	0.3	1.42	0.3
3. भारत सरकार से प्राप्त उधार						
(क) अंबि संघ की निधियां . .	33.12	2.1	53.47	29.1	170.45	31.9
	—	—	—	—	14.37	2.7

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ख) अन्य						
4.	भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार						
	(क) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	40.00	32.8	6.00	32.7	158.00	29.5
		—	—	—	—	8.21	1.5
	(ख) अन्य	33.00	27 .1	38.50	20.9	118.25	22.1
5.	बांड						
6.	बैंकों द्वारा की गई चुकौतियां	9.27	7.6	24.59	13.4	40.01	7.5
		121.99	100.00	183.74	100.00	534.87	100.0

7.2 शेयर पूंजी

इस वर्ष के दौरान निगम ने 5 करोड़ रुपयों के चुकता मूल्य के शेयरों की पांचवीं सीरीज जारी की । इन शेयरों पर गारंटीकृत न्यूनतम वार्षिक लाभांश 6.25 प्रतिशत था । 30 जून 1976 को निगम की कुल चुकता पूंजी 25 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1976 को निगम की शेयर पूंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों के अंशदान नीचे दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी-12

शेयर पूंजी में अंशदान-स्रोत

(करोड़ रुपयों में)

	शेयर संख्या	शेयर मूल्य	कुल से प्रतिशत
1. भारतीय रिजर्व बैंक	14126	14.13	56.52
2. केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	4371	4.37	17.48
3. राज्य सहकारी बैंक	2057	2.06	8.24
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4131	4.13	16.52
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	293	0.29	1.16
6. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	22	0.02	0.08
	25000	25.00	100.00

7.3 कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 में हाल ही में किये गये संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम की प्राधिकृत पूंजी की जो वर्तमान सीमा 25 करोड़ रुपये है उसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर सकता है। कृपुवि निगम ने अपनी प्राधिकृत पूंजी को 50 करोड़ रुपयों तक बढ़ाने की कारवाई पहले ही कर ली है।

भारत सरकार से लिये गये उधार

7.4 भारत सरकार से लिये गये उधारों की जो राशि आजकल विश्व बैंक के ऋणों के अधीन किये गये वितरणों तक सीमित कर दी गई है, वह 30 जून 1976 के अंत तक 250 करोड़ रुपये थी।

बाजार से लिये गये उधार

7.5 हाल ही के वर्षों में निगम ने अपने बढ़ते हुए कारोबार के वित्तपोषण के लिये साधन जुटाने के अंग के रूप में बाजार से भारी मात्रा में उधार लिये हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान कृपुवि निगम ने कुल मिलाकर 38.5 करोड़ रूपयों के बांडों की नौवीं और दसवीं सीरीज जारी की हैं। इन बांडों का इजरा मूल्य 99 रुपये है और इन पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा वे 10 वर्षों में पूग जायेंगे। जून 1976 के अंत में कृपुवि के कुल बाजार उधारों की राशि 137.71 करोड़ रुपये थी। नीचे की सारणी में इस वर्ष जारी की गई दोनों सीरीज के लिए अभिदाताओं के विभिन्न वर्गों से प्राप्त राशियां तथा पिछली सीरीज के कुल अंशदान की राशियां दी गई हैं।

भारतीय रिजर्व से लिये गये उधार

7.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने 1975-76 के दौरान प्रारंभ में राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि के अंतर्गत 40 करोड़ रुपयों की आहरण-सीमा मंजूर की और इस सीमा का पूरा उपयोग किया गया। जब जून 1976 में कृषि निगम के वितरणों में भारी वृद्धि हुई, रिजर्व बैंक ने 20 करोड़ रुपयों की अनुपूरक सीमा मंजूर की और इसका भी पूरा उपयोग कर लिया गया। पहले के ऋणों की अदायगी के लिए 9.8 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने के बाद रिजर्व बैंक को निगम द्वारा राशि जून 1976 के अंत में 138.4 करोड़ रुपये थी।

सारणी 13

बाड़ों में अभिदान

अभिदान	पहली से लेकर आठवीं सीरीज तक	नौवीं सीरीज	दसवीं सीरीज	कुल जोड़
1. भारतीय स्टेट बैंक	22.75	1.54	4.86	29.15
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	44.46	4.25	7.85	56.56
3. अन्य वाणिज्य बैंक	6.13	1.06	1.54	8.73
4. भारतीय जीवन बीमा निगम	0.95	0.10	0.25	1.30
5. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	0.21	0.25	0.50	0.96
6. सहकारी बैंक	23.91	3.80	12.50	40.20
7. अन्य	0.80	—	(0.005)	0.80
जोड़	99.21	11.00	27.50	137.71

7.7 निगम भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि ऋणों के लिए 15 करोड़ रुपयों की सीमा का भी लाभ उठाता रहा है। इस लेखे के अधीन जून 1976 के अंत में 1.7 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी।

अदायगियां

7.8. 1975-76 के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गई अदायगियों की राशि 24.59 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष की यही राशि 9.27 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1976 के अंत तक की गई 44.80 करोड़ रुपयों की कुल अदायगियों का एजेंसीवार विभाजन नीचे की सारणी में दिया गया है :

सारणी 14

पुनर्वित की अदायगियां

(करोड़ रुपयों में)

एजेंसी	अदायगियां		
	कृपुवि निगम की योजनाएं	अंवि संघ द्वारा सहायता की गई योजनाएं	जोड़
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13.52	2.66	16.18
2. राज्य भूमि विकास बैंक	7.56	16.25	23.81
3. राज्य सहकारी बैंक	4.81	—	4.81
जोड़	25.89	18.91	44.80

7.9 अंवि संघ द्वारा सहायता की गई जिन परियोजनाओं में इन बैंकों द्वारा कृपुवि निगम को वार्षिक आधार पर अदायगियां की जानी हैं उनके अधीन भूमि विकास बैंकों की अधिकतर संबद्धता को दृष्टि से कृपुवि निगम को उत्तरोतर बढ़ी हुई मात्रा में निधियां प्राप्त हो रही हैं।

7.10 इस वर्ष के दौरान 5 ग्रामीण बैंकों नामत: जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गौर ग्रामीण बैंक, मालवा, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक और संयुक्त क्षेत्रीय बैंक सहित 6 और बैंक निगम के सदस्य बन गये हैं। बेलगाम बैंक लिमिटेड और को-आपरेटिव फायर एण्ड जनरल इनश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड निगम के सदस्य नहीं रह गये हैं। इस प्रकार 30 जून 1976 को निगम की कुल सदस्य संख्या 114 है जबकि वह पिछले वर्ष 110 थी।

निदेशक बोर्ड

7.11 इस बार निदेशक बोर्ड की बैठकें 7 बार हुईं।

7.12 भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 10 (ग) के अधीन सर्वश्री ए० के० दत्त, टी पी० सिंह और एम० ए० कुरैशी के स्थान पर सर्वश्री के० पी० ए० मेनन, के० एस० नारंग और आई० जे० नायडू को नामित किया है।

7.13 श्री ए० के० दत्त, श्री० टी० पी० सिंह, और श्री एम० ए० कुरैशी द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए कृपुवि निगम उनके प्रति अपना हार्दिक आधार प्रकट करता है।

हिन्दी का प्रयोग

7.14 निगम के दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। निगम की वार्षिक

रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही छापी जाती है । हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए और कर्मचारयर्यों को हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो कदम उठाये गय हैं निगम उनसे स्वयं को संबद्ध करता आ रहा है ।

लाभ

7.15 1975-76 के दौरान निगम को विनियोजन के लिए प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि 216.83 लाख रुपए है । यह राशि विशेष आरक्षित निधि में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन अनुमत वर्तमान लाभों के 10 प्रतिशत के लिए 59.47 लाख रुपए की व्यवस्था करने के बाद बची है । निदेशक बोर्ड इस राशि को नीचे लिखे अनुसार विनियोजन करने की सिफारिश करता है :

	लाख रुपये
आरक्षित निधि को अंतरण . .	107.68
शेयरों पर लाभांश . .	109.14
	216.82

निदेशकों की ओर से
आर० के० हजारी
अध्यक्ष

21 अगस्त 1976

विवरणों की सूची

		पृष्ठ
1.	बायदों की तुलना में पुनर्वित्त प्राप्त करने की प्रवृत्ति	36
2.	1975–76 के दौरान स्वीकृतियां प्रयोजनवार	37
3.	1975–76 के दौरान स्वीकृतियां—क्षेत्रवार और राज्यवार	38
4.	1975–76 के दौरान स्वीकृतियां—एजेंसीवार	39
5.	30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का वितरण—प्रयोजनवार	39
6.	30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण	40
7.	30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का वितरण—एजेंसीवार	47
8.	कम विकसित क्षेत्रों/कम बैंक सुविधावाले राज्यों में योजनाओं की स्वीकृति और पुनर्वित्त का वितरण	47
9.	30 जून 1976 तक लघु कृषक/विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वाधान में स्वीकृत योजनाओं का वितरण	49
10.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनायें—प्रयेक परियोजना का संक्षिप्त विवरण	52
11.	30 जून 1976 की अंपुवि बैंक/अंवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति	59
12.	राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1975–76 के दौरान किए गए वितरण	65
13.	30 जून 1976 को विचाराधीन परियोजनायें	70
14.	30 जून, 1976 को शेयरधारियों की सूची	71

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. राशियों का निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकन कर दिया गया है ।
2. विवरणों में निम्नलिखित चिन्हों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है ।

चिन्ह

@अद्यतन उपलब्ध आंकड़े
--शून्य या नगण्य

संक्षिप्त नाम

एजेंसी

1. राभूवि बैंक—राज्य भूमि विकास बैंक
2. अवा बैंक—अनुसूचित वाणिज्य बैंक
3. रास बैंक—राज्य सहकारी बैंक

परियोजना : लसि—लघु सिंचाई
भूवि—भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण
कृम—कृषि मशीनीकरण
बान/वानी—बागान/बागवानी/वानिकी
मुपा/भेपा —मुर्गी पालन/भेड़ पालन
मछ—मछली पालन
डेवि—डेरी विकास
भंबा—भण्डार/बाजार केन्द्र
कृवि—कृषि विमानन

विवरण 1

वायदों की तुलना में पुनर्वित्त प्राप्त करने की प्रवृत्ति

लाख रुपये

वर्ष (जुलाई जून)	प्रत्येक वर्ष के अंत में स्वीकृत योजनाओं की संख्या	प्रावस्थाक्रम के अनुसार कृपुवि निगम के वायदे		वितरण		वितरित राशियों का वायदे से प्रतिशत	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक
1963–64 . .	3	—	—	—	—	—	—
1964–65 . .	13	447	447	45	45	10.1	10.1
1965–66 . .	36	828	873	445	490	53.7	56.1
1966–67 . .	42	940	1430	208	698	22.1	48.8
1967–68 . .	128	1850	2548	567	1265	13.6	49.6
1968–69 . .	233	4594	5859	1784	3049	38.8	52.0
1969–70 . .	371	6166	9215	2860	5909	46.4	64.1
1970–71 . .	458	6658	12567	3062	8971	46.0	71.4
1971–72 . .	711	8633	17604	3498	12469	40.5	70.8
1972–73 . .	923	16671	29140	9414	21883	56.5	75.1
1973–74 . .	1457	18820	43556	9784	31667	52.0	72.7
1974–75 . .	2053	18754	60873	10640	42307	56.8	69.5
1975–76 . .	2905	29652	84778	17115	59420	57.7	70.1

विवरण 2

1975–76 के दौरान स्वीकृतियाँ—प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
लघु सिंचाई	410	18683	16681	2002
भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण . . .	16	2750	2184	566
कृषि मशीनीकरण	264	10486	7950	2536
बागान और बागवानी	37	1089	738	351
मुर्गी पालन और भेड़पालन . . .	25	124	98	26
मछली पालन	31	656	517	139
डेरी विकास	84	925	760	165
भण्डार और बाजार केन्द्र . . .	41	916	758	158
अन्य	1	7	5	2
जोड़ . .	909	35636	29691	5945

विवरण-3

1975-76 के दौरान स्वीकृतियां—क्षेत्रवार और राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
I. उत्तरी क्षेत्र				
दिल्ली	4	48	46	2
हरियाणा	27	2464	2097	367
हिमाचल प्रदेश	2	27	24	3
जम्मू और कश्मीर	2	23	19	4
पंजाब	34	4025	3051	974
राजस्थान	57	4100	3353	747
	126	10687	8590	2097
II. उत्तर–पूर्वी क्षेत्र				
असम	3	99	90	9
मणिपुर	1	41	37	4
त्रिपुरा	3	23	21	2
	7	163	148	15
III. पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	36	2606	2313	293
उड़ीसा	53	1063	985	78
पश्चिम बंगाल	31	1104	997	107
	120	4773	4295	478
IV. मध्य क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	102	1471	1242	229
उत्तर प्रदेश	108	4888	4172	716
	210	6359	5414	945
V. पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	7	46	36	10
गुजरात	20	464	364	100
महाराष्ट्र	193	3665	3180	485
	220	4175	3580	595
VI. दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	91	5219	4441	778
कर्नाटक	77	1999	1534	465
केरल	9	107	88	19
पाण्डिचेरी	1	25	19	6
तमिलनाडु	48	2129	1582	547
	226	9479	7664	1815
कुल जोड़ (I से VI तक)	909	35636	29691	5945

विवरण 4

1975–76 के दौरान स्वीकृतियाँ - एजेंसी वार

लाख रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि/निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों से वायदे
राज्य भूमि विकास बैंक	256	20657 (58.0)	17662 (59.5)	2995
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	650	14875 (41.7)	11945 (40.2)	2930
राज्य सहकारी बैंक	3	104 (0.3)	84 (0.3)	20
जोड़	909	35636 (100.0)	29691 (100.0)	5945

विवरण 5

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का वितरण - प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	वितरण
लघु सिंचाई	1537	91538	81879	9659	44602
भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण	106	10045	7920	2125	3495
कृषि मशीनीकरण	489	16790	12869	3921	6504
बागान/बागवानी/वानिकी	296	6222	4776	1446	1636
मुर्गी पालन/भेड़ पालन	74	421	353	68	164
मछली पालन	121	2055	1579	476	707
डेरी विकास	195	2991	2461	530	593
भण्डार और बाजार केन्द्र	85	3254	2868	386	1702
कृषि विमानन	2	23	17	6	17
जोड़	2905	133339	114722	18617	59420

विवरण 6

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्राकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे				
					जोड़	प्रावस्थाकरण		वितरण	
						1975–76 तक	1975–76 के दौरान	1975–76 के दौरान	30 जून 1976 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली	2	कृम	3	120	101	67	36	28	45
		मुपा	1	20	16	16	—	—	—
		डेवि	4	47	46	40	24	—	2
	3	मुपा	1	12	12	12	—	—	6
			9	199	175	135	60	28	53
हरियाणा	1	लसि	36	6220	5599	3932	1344	467	3125
		भू वि	2	234	194	194	88	10	30
		कृ म	2	558	419	419	—	234	445
		बान/बानी	2	54	40	40	—	—	30
		डे वि	1	51	38	14	14	—	—
	2	ल सि	43	2596	2121	1722	282	445	1230
		कृ म	21	824	620	514	112	408	567
		मु पा	2	18	17	13	7	1	3
		डे वि	9	332	290	193	115	4	33
	3	डे वि	2	130	108	108	—	—	15
		भां बा	3	243	243	243	—	—	243
			123	11260	9689	7392	1962	1569	5721
हिमाचल प्रदेश	1	बान/बानी	1	37	28	18	8	3	11
	2	कृ म	1	14	11	11	11	11	11
		मु पा	1	6	6	4	4	—	—
		डे वि	2	16	16	11	8	2	2
			5	73	61	44	31	16	24
जम्मू और कश्मीर	1	भू वि	1	8	7	7	4	—	—
		कृ म	1	34	26	12	12	10	10
		बान/बानी	3	130	97	92	2	7	78
	2	कृ म	1	16	12	7	7	—	—
		ड वि	1	7	7	1	1	—	—
			7	195	149	119	26	17	88

विवरण 6—(जारी)

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार विवरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे			वितरण	
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1975-76 तक	1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	30 जून 1976 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पंजाब	1	ल सिं	31	3090	2801	2650	28	59	2442
		भू वि	12	686	553	430	141	71	283
		कृ म	3	1310	983	982	862	314	428
		बान/वानी	2	187	140	140	13	—	—
	2	ल सिं	12	967	777	578	233	74	307
		भू वि	1	30	24	8	5	—	—
		कृ म	36	2900	2174	2084	1964	760	877
		मु पा	1	1	1	1	—	—	—
		डे वि	13	190	177	118	57	13	51
		भां बा	1	122	97	97	—	—	47
	3	कृ म	1	18	16	16	16	15	15
		डे वि	4	107	89	89	—	—	—
		भां बा	4	747	730	730	—	—	651
जोड़			121	10355	8562	7923	3319	1306	5056
6. राजस्थान	1	ल सिं	66	3227	2950	1758	629	272	1023
		भू वि	5	481	360	263	14	2	13
		बान/वानी	1	39	29	23	3	2	14
	2	ल सिं	14	495	396	295	121	61	210
		भू वि	6	2613	2090	153	153	15	15
		कृ म	15	483	368	224	171	150	186
		मु पा	1	5	4	4	2	—	—
		डे वि	5	99	80	6	6	4	4
		भां बा	12	363	291	184	88	30	83
			125	7805	6568	2910	1187	536	1548
कुल जोड़			390	29887	25204	18523	6585	3472	12490
II. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र									
असम	1	बान/वानी	1	5	4	2	1	—	—
	2	ल सिं	4	182	168	55	55	4	4
		कृ म	1	3	3	1	1	—	—
		बान/वानी	9	178	154	144	10	—	413
		डे वि	1	12	12	2	2	1	1
		भां बा	1	12	11	11	11	—	—
	3	बान/वानी	1	6	6	6	—	—	—
			18	398	358	221	80	5	139

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार विवरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे				
					जोड़	प्रावस्थाकरण		वितरण	
						1975-76 तक	1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	30 जून तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
मणिपुर	2	कृ म	1	41	37	11	11	5	5
मेघालय	2	मृ पा	2	5	5	—	—	—	—
नागालैण्ड	3	भू वि	1	30	30	30	22	2	10
त्रिपुरा	2	ल सिं	2	18	16	—	—	—	—
		बान/बानी	1	5	5	1	1	1	1
			3	23	21	1	1	1	1
			25	497	451	263	114	13	155
III पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	1	ल सिं	13	3813	3432	2366	902	591	1981
		भू वि	1	112	83	83	—	—	83
		कृ म	2	142	128	40	40	—	—
		बान/बानी	1	14	11	3	2	1	1
	2	ल सिं	42	3693	3298	2428	1721	404	644
		कृ म	10	352	309	207	75	108	241
		वा	3	166	117	36	36	—	—
		भां न्ना	20	535	479	399	223	204	289
	3	डे वि	2	70	53	53	21	10	10
			94	8897	7910	5615	3020	1318	3249
उड़ीसा	1	ल सिं	13	1554	1423	522	363	87	116
		भू वि	5	85	65	52	20	4	27
		कृ म	1	80	60	50	20	4	12
		बान/बानी	8	244	192	140	30	6	47
	2	ल सिं	72	2007	1846	1244	1148	228	254
		भू वि	3	92	77	60	27	2	9
		कृ म	1	25	20	14	6	7	8
		बान/बानी	3	86	73	34	13	—	2
		म छ	1	39	35	7	7	—	—
		डे वि	1	9	8	3	1	—	—
		म छ	1	39	35	7	7	—	—
		डे वि	1	19	19	11	5	—	—
			110	4279	3853	2144	1647	338	475

विवरण 6—(जारी)

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे जोड़	प्रावस्थाकरण 1975-76 तक	1975-76 के दौरान	वितरण 1975-76 के दौरान	30 जून 1976 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पश्चिम बंगाल	1	ल सिं	30	1211	1096	480	324	129	171
		कृ म	1	28	26	5	5	—	—
		बान/वानी	6	48	44	24	11	—	4
	2	ल सिं	11	143	129	91	41	4	41
		कृ म	5	86	77	47	28	19	25
		बान/वानी	3	28	24	24	9	6	23
		म छ	2	2	2	2	—	—	2
		ड वि	3	19	18	11	7	1	4
		भां बा	3	64	57	22	22	—	—
			64	1629	1473	706	447	159	270
			268	14805	13236	8465	5114	1815	3994
IV मध्य प्रदेश									
मध्य प्रदेश	1	ल सिं	85	6211	5601	5133	1753	924	2795
		भू वि	3	166	125	121	32	5	16
		कृ म	1	100	75	75	—	1	72
	2	ल सिं	120	3834	3425	3425	1784	826	1336
		कृ म	81	764	598	390	301	176	270
		डें वि	2	17	13	10	10	—	—
		भां बा	3	48	38	14	14	—	—
	3	भां बा	1	27	20	11	11	—	—
			296	11167	9895	9130	3905	1932	4489
उत्तर प्रदेश	1	ल सिं	130	15200	13754	9490	3193	1590	6305
		भू वि	3	58	45	9	9	—	—
		बान/वानी	8	182	137	84	31	15	17
	2	ल सिं	60	1565	1380	1276	599	338	583
		भू वि	3	942	686	678	3	30	164
		कृ म	137	3231	2511	1657	837	602	1089
		मे पा	1	3	2	2	2	—	—
		ड वि	10	209	173	138	52	15	47
		भां बा	2	42	34	19	19	8	8
	3	डे वि	2	64	48	48	—	—	—
		भां बा	1	155	155	155	—	—	150
			357	21651	18925	13556	4745	2598	8363
			653	32818	28820	22686	8650	4530	12852

विवरण 6—(जारी)

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण (लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे				
					जोड़	प्रावस्थाकरण		वितरण	
						1975-76 तक	1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	30 जून 1976 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	2	ल सिं	1	5	3	3	—	—	3
		म छ	21	62	51	49	5	16	21
		म छ	1	40	30	26	26	7	7
	जोड़		23	107	84	78	31	23	31
गुजरात	1	ल सिं	51	6029	5427	5427	—	100	4414
		कृ म	1	351	263	263	—	—	233
		बान/बानी	2	29	22	22	—	—	22
	2	ल सिं	3	103	82	13	12	7	8
		कृ म	25	785	614	365	256	176	316
		म छ	1	11	9	7	3	7	7
		ड वि	11	307	257	122	86	36	114
		भां बा	2	37	28	17	6	7	17
	3	म छ	2	198	179	13	5	—	—
		भां वा	1	2	2	2	—	—	2
			99	7852	6883	6251	368	333	5133
महाराष्ट्र	1	ल सिं	148	8206	7357	3783	830	1128	4834
		भू वि	8	411	341	198	—	170	368
		कृ म	2	278	208	207	157	153	153
		बान/बानी	5	165	141	61	—	—	—
	2	ल सिं	244	2680	2141	1469	273	551	969
		कृ म	65	478	369	204	66	91	113
		बान/बानी	2	11	9	5	5	—	—
		म पा	9	36	27	27	4	4	27
		म छ	3	16	9	5	5	—	7
		डे वि	58	613	485	219	181	142	232
		भां वा	1	70	56	54	—	4	51
		कृ वि	1	7	5	5	5	5	5
	3	म छ	5	180	84	84	—	—	78
			551	13151	11232	6321	1526	2248	6837
			673	21110	18199	12650	1925	2604	12001

विवरण 6—(जारी)

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण (लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे				
					जोड़	प्रावस्थाकरण		वितरण	
						1975-76 तक	1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	30 जून 1976 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
दक्षिण क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	1	ल सिं	119	7757	7047	4662	2687	780	3401
		भू वि	21	1864	1519	1478	44	24	1309
		कृ म	3	880	660	232	232	233	233
		बान/बानी	9	263	196	65	27	14	37
		भे पा	5	55	40	17	13	4	4
		म छ	1	268	201	—	—	—	—
		डे वि	11	215	161	18	18	19	19
	2	ल सिं	50	987	836	659	61	73	274
		भू वि	1	50	38	38	—	—	38
		कृ म	18	406	311	152	121	41	52
		बान/बानी	1	4	4	4	4	4	4
		मृ पा/भेपा	29	135	110	81	52	28	53
		डे वि	25	269	223	142	99	36	37
		म छ	1	58	39	39	39	39	39
			294	13211	11385	7587	3397	1295	5500
कर्नाटक	1	ल सिं	15	3792	3412	3412	—	871	3048
		भू वि	14	1143	864	864	96	39	532
		कृ म	3	642	482	460	460	307	307
		बान/बानी	32	1161	871	777	125	146	458
	2	ल सिं	26	432	389	367	47	52	91
		भू वि	5	89	67	67	3	—	—
		कृ म	34	922	694	610	394	407	469
		बान/बानी	92	472	388	281	59	13	149
		मृ पा/भेपा	15	48	40	34	6	8	27
		म छ	14	205	165	161	89	37	81
		ड वि	10	48	40	37	15	—	—
		भां बा	28	655	514	310	195	35	64
	3	बान/बानी	2	165	165	165	—	—	25
		म छ	2	208	143	143	—	—	137
		भं बा	2	132	113	71	—	31	97
			294	10114	8347	7759	1489	1946	5485

विवरण 6—(समाप्त)

30 जून 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण (लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृ पु वि निगम के वायदे				वितरण
					जोड़	प्रावस्थाकरण			
						1975-76 तक	1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	30 जून 1976 तक
केरल	1	ल सिं	3	86	77	49	3	—	47
		भू वि	4	86	65	64	14	8	21
		बान/वानी	21	698	523	191	74	55	194
	2	ल सिं	1	39	31	31	—	2	31
		भू वि	2	185	177	177	138	110	150
		कृ म	3	46	36	30	21	13	20
		बान/वानी	20	146	137	132	3	3	112
		म छ	39	69	55	55	1	8	36
		डे वि	5	36	23	23	10	1	2
	3	मु पा	1	22	22	11	11	—	—
		म छ	3	154	154	151	66	8	56
			102	1567	1300	914	341	208	669
पाण्डिचेरी	2	ल सिं	1	6	6	6	—	1	1
		डे वि	3	24	13	13	7	—	11
	3	म छ	2	47	34	26	11	3	15
			6	77	53	45	18	4	27
तमिलनाडु	1	कृ सिं	91	5390	4859	3842	971	750	4914
		भू वि	3	627	470	470	—	—	469
		कृ म	1	780	585	585	585	286	286
		बाग/वानी	17	967	725	314	121	14	132
	2	भ वि	2	53	40	4	—	—	3
		कृ म	9	93	73	67	67	16	16
		बाग/वानी	40	732	494	184	45	17	141
		मु पा	4	17	13	13	13	7	8
		म छ	20	355	280	226	160	118	175
		ड वि	9	81	64	57	29	4	9
		कृ वि	1	16	12	12	—	—	12
		भे पा	1	38	38	38	18	16	36
	3	मछ	2	104	74	74	10	—	46
			200	9253	7727	5886	2019	1228	6247
			896	34222	28812	22191	7264	4681	17928
जोड़ (I से IV तक)			2905	133339	114722	84778	29652	17115	59420

विवरण—7

30 जुन 1976 तक स्वीकृत योजनाओं का वितरण—एजेंसीवार

लाख रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक	1071	87742 (65.8)	77081 (67.2)	10661	44969
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1784	42582 (31.9)	35000 (30.5)	7582	12813
राज्य सहकारी बैंक	50	3015 (2.3)	2641 (2.3)	374	1638
	2905	133339 (100.0)	114722 (100.0)	18617	59420

विवरण—8

कम विकसित क्षेत्रों/कम बैंक सुविधा वाले राज्यों में योजनाओं की स्वीकृतियां और पुनर्वित्त का वितरण

लाख रुपये

	स्वीकृत योजनाए			वितरण	कुल वितरण का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	वायदे	कुल वायदों का प्रतिशत		
	1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश					
1970-71 तक	32	2566	10.3	671	7.5
1971-72	33	2784	20.6	604	17.3
1972-73	26	1573	9.1	1143	12.1
1973-74 के दौरान	85	4012	18.2	1498	15.3
1974-75	75	3714	18.2	1849	17.3
1975-76	108	4172	14.1	2998	15.2
30-6-76 को	357	18925	16.5	8369	14.1
मध्य प्रदेश					
1970-71 तक	19	1709	6.9	170	1.9
1971-72	14	877	6.5	187	5.3
1972-73	18	1172	6.8	319	3.4
1973-74 के दौरान	122	5484	24.9	645	6.6
1974-75	38	795	3.9	1234	11.6
1975-76	102	1242	4.2	1932	11.3
30-6-1976 को	296	9895	8.6	4489	7.6

विवरण 8—(समाप्त)

कम विकसित क्षेत्रों/कम बैंक सुविधा वाले राज्य में योजनाओं की स्वीकृतियां और पुनर्वित्त का विवरण

लाख रुपये

	स्वीकृत योजनाएं			वितरण	कुल वितरण का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	बायदे	कुल बायदों का प्रतिशत		
	1	2	3	4	5
बिहार					
1970-71 तक	8	1360	5.5	193	2.2
1971-72	1	100	0.7	67	1.9
1972-73	4	113	0.7	154	1.6
1973-74 के दौरान	16	2738	12.4	585	5.9
1974-75	28	2069	10.1	932	8.8
1975-76	36	2313	7.8	1318	7.7
30-6-76 को	94	7910	6.9	3249	5.5
उड़ीसा					
1971-72 तक	8	155	0.6	27	0.3
1971-72	2	80	0.6	8	0.2
1972-73	8	261	1.5	11	0.1
1973-74 के दौरान	5	792	3.6	8	0.1
1974-75	38	1684	8.2	82	0.8
1975-76	53	985	3.3	338	1.9
30-6-76 को	110	3853	3.4	475	0.8
राजस्थान					
1970-71 तक	11	697	2.8	161	1.8
1971-72	16	977	7.2	83	2.4
1972-73	5	507	2.9	136	1.4
1973-74 के दौरान	20	666	3.0	283	2.9
1974-75	16	851	4.2	350	3.3
1975-76	57	3353	11.3	536	3.3
30-6-76 को	125	6568	5.7	1548	2.6
पश्चिम बंगाल					
1970-71 तक	6	160	0.6	13	0.1
1971-72	4	30	0.2	5	0.1
1972-73	4	21	0.1	4	0.1
1973-74 के दौरान	12	247	1.1	22	0.2
1974-75	9	127	0.6	69	0.6
1975-76	31	997	3.4	159	0.9
30 6-76 को	64	1473	1.3	270	0.5
30 जून 1976 को कम विकसित क्षेत्रों/कम बैंक सुविधा वाले राज्यों का जोड़ (उपर्युक्त 6 राज्यों को शामिल करके)	1083	49285	40.1	18661	31.4
कुल राज्यों का जोड़	2905	114722	100.0	59420	100.0

*इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम, तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं ।

विवरण—9

30 जून 1976 तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में स्वीकृत योजनाओं का विवरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुनि निगम के वायदे			वितरण	
					कुल वायदे	प्रावस्थाकरण			
						1975-76 तक	1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	30 जून 1976 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली	वा बैंक	डे वि	4	47	46	40	23	—	2
हरियाणा	रा भू वि बैंक	भू वि	1	17	17	17	6	—	—
	वा बैंक	मु पा	1	11	11	4	4	1	3
		डे वि	3	98	98	64	36	7	23
हिमाचल प्रदेश	वा बैंक	मु पा	1	6	6	4	4	—	—
		डे वि	2	17	16	11	8	8	4
जम्मू और कश्मीर	रा भू वि बैंक	भू वि	1	6	6	6	4	—	—
	वा बैंक	डे वि	1	7	7	1	1	—	—
पंजाब	रा भू वि बैंक	ल सि	4	179	179	179	—	7	117
	वा बैंक	डे वि	12	158	153	96	57	13	29
		मु पा	1	1	1	—	—	—	—
राजस्थान	रा भू वि बैंक	ल सि	10	621	604	526	205	111	315
			41	1168	1144	948	348	143	493
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र									
असम	वा बैंक	ल सि	4	114	106	37	37	3	3
		ड वि	1	15	13	2	2	1	1
मेघालय	वा बैंक	मु पा	2	5	5	—	—	—	—
त्रिपुरा	वा बैंक	ल सि	2	17	15	—	—	—	—
			9	151	139	39	39	4	4
3. पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	वा बैंक	ल सि	1	61	56	42	29	19	19
उड़ीसा	रा भू वि बैंक	ल सि	3	242	242	112	72	—	5
	वा बैंक	ल सि	2	397	397	158	99	—	12
		भू वि	1	16	16	16	16	2	3
		बान/बानी	2	14	15	1	1	—	—
		डे वि	1	5	5	2	1	—	—
	रा स बैंक	डे वि	1	16	16	9	5	—	—
पश्चिम बंगाल	रा भू वि बैंक	ल सि	5	106	101	62	36	19	35
	वा बैंक	बान/बानी	3	21	21	9	5	—	—
		ल सि	4	51	47	21	6	3	13
		डे वि	2	15	15	8	6	1	4
			25	944	930	440	276	44	91

विवरण 9—(जारी)

30 जून तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में स्वीकृत योजनाओं का विवरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषु निगम के वायदे			वितरण	
					कुल वायदे	प्रावस्थाकरण 1975-76 तक	प्रावस्थाकरण 1975-76 के दौरान	1975-76 के दौरान	जून 30 1976 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. मध्य क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	रा भू वि बैंक	ल सि	7	242	242	218	54	—	80
	वा बैंक	ल सि	2	24	21	21	21	—	—
		डे वि	1	11	8	8	8	—	—
उत्तर प्रदेश	रा भू वि बैंक	ल सि	7	734	734	734	118	32	557
	वा बैंक	ल सि	2	21	20	14	4	1	2
		डे वि	3	37	35	31	28	8	8
			22	1069	1060	1026	233	41	647
5. पश्चिमी क्षेत्र									
गुजरात	वा बैंक	ड वि	9	58	57	31	19	16	23
महाराष्ट्र	रा भू वि बैंक	ल सि	9	100	96	96	—	33	42
	वा बैंक	ल सि	2	11	11	4	4	—	—
		डे वि	3	9	9	9	4	1	3
			23	178	173	140	27	50	68
6. दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	रा भू वि बैंक	ल सि	10	715	709	425	349	147	253
	वा बैंक	ल सि	1	18	18	10	7	3	5
		बान/बानी	1	4	4	4	4	4	4
		पु पा	1	2	2	1	1	—	—
		भ पा	2	19	19	9	9	10	10
		ड वि	5	60	58	44	27	8	8
कर्नाटक	रा भू वि बैंक	ल सि	3	484	484	464	19	100	344
	वा बैंक	ल सि	2	54	53	37	16	—	—
		भे पा	1	4	4	3	1	—	—
केरल	वा बैंक	म छ	1	2	1	1	1	—	—
		ड वि	3	29	27	19	12	—	—
	रा स बैंक	मु पा	1	22	21	11	11	—	—
पाण्डिचेरी	वा बैंक	डे वि	1	9	6	6	—	—	6
तमिलनाडु	रा भू वि बैंक	ल सि	6	170	161	87	53	25	46
			38	1592	1567	1121	510	297	676
कुल जोड़ (i से vi तक)			158	5102	5013	3714	1433	579	1979

रिपोर्ट में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम

प्रयोजन :

ल सिं	—लघु सिंचाई
बान/बानी	—बागान/बागवानी
म छ	—मछली पालन
कृ वि	—कृषि विमानन
भू वि	—भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण
मु पा/भे पा	—मुर्गी पालन/भेड़ पालन
ड वि	—डेरी विकास
कृ म	—कृषि मशीनीकरण
भं/बा	—भण्डार सुविधाएं/बाजार केन्द्र

एजेंसी : 1. राभूवि बैंक—राज्य भूमि विकास बैंक 2. वाबैंक—अनुसूचित वाणिज्य बैंक 3. रासबैंक—राज्य सहकारी

विवरण 10

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनाएं—प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

विश्व बैंक द्वारा सहायता की गई कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिंचाई (अर्थात् खोदे गये कुंएं व बोरिंग किये गये कुंएं, उथले, माध्यम और गहरे नलकूपों, उद्वाही सिंचाई के यूनिट और कुओं में पंपसेट तथा रहटें आदि लगाने, पाइप लाइनें बिछाने तथा भूमि को समतल बनाने के अनुषंगी कार्य) के भारी निवेशों, भूमि विकास तथा आयात किये गये और देशी ट्रैक्टरों, कटाई की मशीनों (हार्वेस्टर्स) तथा कंबाइनों की खरीद के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है। अन्य परियोजनाओं के मामले में उनके नाम ही उनके अधीन हाथ में ली जानेवाली विकास की मदों के द्योतक हैं। कृपुवि निगम की ऋण परियोजना सामान्य स्वरूप की है जो निगम की लघु सिंचाई और अन्य विशाखीकृत प्रयोजनों के लिए उधार प्रदान करने के कार्यकलापों में सहायक है।

प्रत्येक परियोजना की कुल लागत, अंवि संघ/अपुंवि बैंक सहायता निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता, परियोजनाओं को कार्यान्वित करनेवाली एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण तथा परिकल्पित विकास के स्वरूप और प्रगति का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है :—

1. क. कृपुवि निगम की ऋण परियोजना

   ख. परियोजना की लागत—1685 लाख डालर (135 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 750 लाख डालर (60 करोड़ रुपये)।

   ग लघु सिंचाई और ऋण प्रदान करने के अन्य विशाखीकृत स्वरूपों, परियोजना के कार्यान्वियन से संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रशिक्षण और देश की अल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के समामेलन की सम्भावना के अध्ययन से संबंधित निगम द्वारा किये जानेवाले निवेश कार्यकलापों के समर्थन के लिए कृषि उधार देने के हेतु वित्तपोषण कार्यक्रम।

   घ. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

   ङ. दो वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1977

   च. इस परियोजना के अंतर्गत कृपुवि निगम ने अब तक 41 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अध्ययन पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट अंवि संघ को भेज दी गई है। भूमि विकास बैंकों इत्यादि के वरिष्ठ तथा मध्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पूना में नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। डा० आर० के० हजारी, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में दीर्घावधि और अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के एकीकरण की संभावनाओं के अध्ययन के लिए कृपुवि निगम में एक समिति गठित की गई है। इस समिति का कार्य प्रगति पर है।

क. परियोजना का नाम। ख. परियोजना की लागत—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता और कृषि पुनर्वित और विकास निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि।

ग. परियोजना का विवरण। घ. कार्यान्वियन एजेंसी।

ङ. कार्यान्वियन की अवधि। च. परियोजना की प्रगति।

*1975-76 में स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाता है। परिवर्तन के लिए परियोजनाओं का समझौता होने के समय प्रचलित रुपया डालर विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

क. आंध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 450 लाख डालर (33.8 करोड़ रुपये)—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244 लाख डालर (18.3 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से 232 लाख डालर (18.1 करोड़ रुपये) प्रदान किये जायेंगे।

ग. लघु सिंचाई के निवेशों, भूमि विकास और कृषि मशीनीकरण के उपकरण का वित्तपोषण।

घ. आन्ध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—इस बीच समाप्ति के दिनांक 30 जून 1974 को बढ़ाकर 30 जून 1975 कर दिया गया है और लघु सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यक्रम उक्त दिनांक को समाप्त हो गया है। कृषि मशीनीकरण के उपकरण की अवधि और बढ़ाकर 30 जून 1977 कर दी गई है।

च. कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम को छोड़कर यह परियोजना पूरी हो गई है। 1266 ट्रैक्टरों में से 281 ट्रैक्टर प्राप्त कर लिए गये हैं।

क. आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना (कृपुवि निगम कार्यक्रम)*

ख. परियोजना की लागत—2970 लाख डालर (267 करोड़ रुपये)—अंपुवि बैंक की सहायता 1450 लाख डालर (130 करोड़ रुपये) जिसमें से 91 लाख डालर (8.1 करोड़ रुपये) कृपुवि निगम के माध्यम से दिये जायेंगे।

ग. इन परियोजना में नहरें और नालियां बनाने का कार्य पूरा करने, नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कुल कार्य और नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना, पोचमपाड तथा तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर कमान क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास का कार्य प्रारंभ करना शामिल है।

घ. आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय सहकारी कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1982।

च. यह परियोजना हाल ही में मंजूर की गई है।

क. बिहार कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 600 लाख डालर (45 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंवि संघ की सहायता 320 लाख डालर (24 करोड़ रुपये)।

ग. लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें नलकूप लगाना और सतही जल को थोड़ा ऊपर उठाकर पंप करने के लिए डीजल पंप का लगाना शामिल है।

घ. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक दिसम्बर, 1976।

च. राभूवि बैंकों/प्रास बैंकों ने 15 करोड़ रुपयों का वितरण कर दिया है।

5. क. बिहार बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) परियोजना

ख. परियोजना की लागत 233 लाख डालर (16.9 करोड़ रुपये)—अंवि संघ की सहायता 140 लाख डालर (10.1 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से प्रदान की गई सहायता 138 लाख डालर (10 करोड़ रुपये)।

ग. बिहार के लगभग 50 नगरों में विपणन सुविधाओं में निवेश के लिए इन सुविधाओं से प्रवेश मार्गों का निर्माण, जमीन की सतह बनाना, बाड़ लगाना, गोदाम व्यापारियों की दुकानें आदि के निर्माण जैसे सिविल निर्माण कार्य शामिल हैं।

घ. भारतीय स्टेट बैंक।

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1978।

च. कृपुवि निगम ने अब तक इस परियोजना के अन्तर्गत *2.9 करोड़ रुपये वितरित कर दिये हैं।

6. क. गुजरात कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 670 लाख डालर (50.2 करोड़ रुपये)—अंवि संघ की सहायता 350 लाख डालर (26.3 करोड़ रुपये) इसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता 347 लाख डालर (25.3 करोड़ रुपये) है।

ग. लघु सिंचाई निवेशों और कृषि मशीनीकरण उपकरण (ट्रैक्टरों) आदि और भूमिगत जल के अध्ययन का वित्तपोषण।

घ. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति के दिनांक 30 जून, 1974 को बढ़ाकर 31 मार्च, 1975 कर दिया गया है।

च. यह योजना पूर्ण हो गई है।

7. क. हरियाणा कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 622 लाख डालर (45.2 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 250 लाख (18.2 करोड़ रुपये)

ग. लघु सिंचाई निवेशों का वित्तपोषण जिनमें उथले नलकूप बैठाने का कार्य और कृषि मशीनीकरण के आयात किये गये और देशी उपकरण अर्थात् ट्रैक्टरों कटाई संयंत्रों और स्वचालित कंबाइनों का वित्तपोषण शामिल है।

घ. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—इस बीच समाप्ति के दिनांक से 31 मार्च, 1975 से बढ़ाकर 30 जून, 1977 कर दिया गया है।

च. इस परियोजना के अन्तर्गत मूल रूप से परिकल्पित लघु सिंचाई कार्यक्रम का पूरा उपयोग किया गया है। अंविसंघ द्वारा ट्रेक्टर वर्ग से लघु सिंचाई वर्ग को 80 लाख डालर के ऋण का पुनर्विनिधान स्वीकार कर लिया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम (पुनर्विनिधानित) लगभग पूरा हो चुका है ट्रेक्टरों की पहली खेप (2704) का वितरण समाप्त हो चुका है। दूसरी प्रावस्था (1705) ट्रैक्टरों की औपचारिकतायें पूरी होने के बाद शुरू हो गई है। और उसके अन्तर्गत 805 ट्रैक्टर प्राप्त कर लिये गये हैं।

8. क. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना (कृपुवि निगम का कार्यक्रम)

ख. परियोजना की कुल लागत 215 लाख डालर (16.1 करोड़ रुपये)—अंवि संघ की सहायता 130 लाख डालर (9.8 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंविसंघ की सहायता 3.7 करोड़ रुपये।

ग. बागवानी उपज अभिसंस्करण तथा विपणन निगम की स्थापना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण तथा विपणन उद्योग के सुधार का वित्त पोषण—इस सहायता के अन्तर्गत डिब्बा-बंदी करने के कारखाने, संग्रहण केन्द्र, वाहनान्तरण केन्द्र, ठंडे गोदाम के यूनिटों का निर्माण और रस गाढ़ा करने के संयंत्र आते हैं। उपज का समय पर परिवहन करने के लिए हवाई रज्जु हवाई मार्गों और नई सड़कों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. चार वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1978।

च. प्रबंध और तकनीकी समस्याओं के कारण प्रारंभिक विलम्ब महसूस किया गया।

9. क. समेकित कपास परियोजना*

ख. परियोजना की लागत —360 लाख डालर (28.8 करोड़ रुपये)—अंविसंघ की सहायता 180 लाख डालर — (14.4 करोड़ रुपये)—जिसमें से 129 लाख डालर (10.32 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग. कपास की उन्नत किस्मों के पैदावार, कपास और कपास बीजों को उपयोगी बनाने तथा ओटाई करने, बीज उत्पादन और कपास के किस्म के नियंत्रण, अनुसंधान, कपास उपजाने तथा आधार बीज के उत्पादन के लिए उत्पादन ऋण की व्यवस्था।

घ. राज्य सहकारी बैंक चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1981।

च. भारत सरकार से अनुषंगी ऋण करार निष्पादित कर लिया गया है। मौसमी कृषि परिचालन के वित्त-पोषण के लिए कृपुवि निगम द्वारा ऋण आवेदनपत्रों की जांच की जा रही है।

10. क. कर्नाटक कृषि परियोजना

ख. परियोजना की लागत 754 लाख डालर (54.9 करोड़ रुपये) अंविसंघ की सहायता 400 लाख डालर (30 करोड़ रुपये) इसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता की राशि 377 लाख डालर (27.45) करोड़ रुपये) है।

ग. लघु सिंचाई निवेशों और भूमि उद्धार तथा ट्रैक्टरों और भूमि उद्धार के उपकरणों की खरीद का वित्त-पोषण।

घ. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—इस बीच समाप्ति के दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1976 कर दिया गया है।

च. लघु सिंचाई घटक का कार्य पूर्ण हो चुका है। ट्रैक्टर घटक के अन्तर्गत वितरण की प्रगति संतोषप्रद है।

11. क. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना

ख. परियोजना की लागत 130 लाख डालर (9.5 करोड़ रुपये)— अंवि संघ की सहायता 80 लाख डालर (6.4 करोड़ रुपये) जिसमें से निगम के माध्यम से 79 लाख डालर (6.4 रुपये) की सहायता प्रदान की जानी है।

ग. सिविल कार्यों, संरचनाओं, जनोपयोगी सेवाओं, उपकरणों आदि सहित बाजार की सुविधाएं।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1979।

च. कृ- पु वि निगम ने 4.5 करोड़ रुपये की सहायता के वायदे के साथ 26 बाजारों की स्वीकृति दे दी है।

12. क. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना

ख. परियोजना की लागत 435 लाख डालर (34.8 करोड़ रुपये)—अंविसंघ की सहायता 300 लाख डालर (24 करोड़ रुपये)—निगम के माध्यम से प्रधान की जानेवाली सहायता 209 लाख डालर (16.7 करोड़ रुपये) है।

ग. कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित कार्यक्रम हेतु संकरण

के द्वारा अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशु स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सेवाओं और दूध संग्रहण, अभिसंस्करण और विपणन के लिए विकास सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

घ. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, कर्नाटक सहकारी शिखर बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. आठ वर्ष—समाप्ति का दिनांक 30 सितम्बर, 1982।

च. कृ पु वि निगम ने चार डेरी संघों के वित्तपोषण के लिए एक बैंकिंग योजना तैयार की है।

13. क. मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 603 लाख डालर (45.2 करोड़ रुपये) अंविसंघ की सहायता 330 लाख डालर (25 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. खेतों पर किये जानेवाले निवेशों का वित्तपोषण -इन निवेशों में खुदाई वाले कुओं का निर्माण, वर्तमान कुओं में सुधार, बिजली तथा डीज़ल पंपसेट और रहटें लगाना तथा भूमि को समतल करने का अनुषंगी कार्य शामिल है।

घ. मध्य प्रदेश, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1976।

च. भूमि विकास बैंक/ प्राथमिक सहकारी बैंकों ने 33 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।

14. क. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना

ख. परियोजना की लागत —312 लाख डॉलर (25 करोड़ रुपये)—अंविसंघ की सहायता 164 लाख डालर (13.1 करोड़ रुपये) इसमें से निगम के माध्यम से 137 लाख डालर (10.9 करोड़ रुपये) प्रदान किये जायेंगे।

ग. 3 डेरी संयंत्रों, 3 पशुओं के चारादानों की मिलों, 1 पशु प्रजनन फ़ार्म आदि का निर्माण है।

घ. अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

ङ. 6 वर्ष—समाप्ति का दिनांक 30 जून, 1982

च. बैंकिंग योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कृपुवि निगम ने भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया।

15. क. मध्य प्रदेश के चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना

ख. परियोजना की लागत 458 लाख डालर (36.6 करोड़ रुपये)—अंविसंघ की सहायता 240 लाख डालर (19.2 करोड़ रुपये) जिसमें से 31 लाख डालर (2.5 करोड़ रुपये) की राशि निगम के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ग. सिंचाई और नालियां बनाने का कार्य, खेतों के ऊपर का विकास, सड़कें, घाटी-कटाव नियंत्रण, यांत्रिक उपकरण और तकनीकी सहायता।

घ. मध्य प्रदेश—राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1979

च. बैंकिंग योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। दो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मंजूरी मिल गई है।

16. क. महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 524 लाख डालर (38.2 करोड़ रुपये)—अंवि संघ की सहायता 300 लाख डालर (21.8 करोड़ रुपये) इसमें से निगम के माध्यम से 254 लाख डालर (18.5 करोड़ रुपये) प्रदान किये जायगे।

ग. नलकूपों, उद्वाही सिंचाई, खुदाई के कुओं, खुदाई के कुओं में सुधार और कुओं में बिजली लगाने सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम और भूमि को समतल बनाने के निवेश।

घ. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. तीन वर्ष—इस बीच समाप्ति के दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 को बढ़ाकर दिनांक 30 जून, 1976 कर दिया गया है।

च. इस बीच सारा कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है।

17. क. महाराष्ट्र बीज परियोजना

ख. परियोजना की लागत—527 लाख डालर (47.4 करोड़ रुपये) अंपुवि बैंक की सहायता 250 लाख डालर जिसमें से 181.5 लाख डालर (16.34 करोड़ रुपये) कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग. यह परियोजना 4 राज्यों के अन्तर्गत आनेवाले राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण होगी। यह राष्ट्रीय बीज निगम को भंडार और विपणन में सुधार लाने और सब्जियों के बीजों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करेगी। इसके अन्तर्गत प्रमुख अनाजों के प्रमाणित बीजों और कपास के प्रमाणित बीजों की किस्म के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. समाप्ति का दिनांक—31 दिसम्बर, 1980।

च. यह परियोजना हाल ही में मंजूर की गई है। मई, 1976 में राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष के साथ

प्रबंध निदेशक ने विचारविमर्श किया था और परियोजना के लिए बैंकिंग योजना के संबंध में मोटे तौर पर सहमति प्राप्त हो गई है।

18. क. पंजाब कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 400 लाख डालर (30.1 करोड़ रुपये)—अंवि संघ की सहायता 275 लाख डालर (20 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ग. आयात किये गये और देशी ट्रेक्टरों, कटाई यंत्रों और स्वचालित कंबाइनों की खरीद का वित्त-पोषण।

घ. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. दो वर्ष— समाप्ति का दिनांक जो पहले 31 दिसम्बर, 1972 निर्धारित किया गया था उसे समय समय पर बढ़ाया गया था। इसके और आगे की बढ़ोतरी दिनांक 30 जून, 1977 तक स्वीकृत की गई है।

च. 1025 ट्रैक्टरों की पहली खेप का वितरण पूर्ण हो चुका है। दूसरी खेप (6975) ट्रैक्टरों में से 3329 ट्रैक्टरों का सदस्य बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया गया है।

19. क. चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (कृपुवि निगम कार्यक्रम) —राजस्थान

ख. परियोजना की लागत—120 लाख डालर (9.6 करोड़ रुपये)—अंपुवि बैंक की सहायता -65 ला ख डालर (5.2 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जायंगी।

ग. इस परियोजना में नालियां, नहरों की मेड़ें बनाना, नहरों की क्षमता में वृद्धि, नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण अथवा सुधार, खेतों के ऊपर का विकास शामिल है जिसके अन्तर्गत नालियों के लिए गड्ढे खोदना, जमीन को आकार-प्रकार देना, सड़कों का निर्माण, वनरोपण, भूमि कटाव का नियंत्रण और उर्वरकों की पूर्ति भी आते हैं।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. छः वर्ष— समाप्ति का दिनांक 30 जून, 1981।

च. राज्य सरकार ने कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कर ली है। जलग्रहण क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए तकनीकी स्वीकृति दे दी गयी है।

20. क. राजस्थान नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना (कृपुवि निगम का कार्यक्रम)

ख. परियोजना की लागत 398 लाख डालर (31.8 करोड़)—अंविसंघ की सहायता 225 लाख डालर (18 करोड़ रुपये) जो वि. निगम के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ग. इस परियोजना में वितरक नहरों की मेड़ें बनाना, सड़क निर्माण, चारागाहों का विकास, वनरोपण उर्वरकों की व्यवस्था तथा खेती का ऊपरी विकास जिसमें भूमि को आकार-प्रकार देना, भूमि उद्धार तथा जलमार्ग के लिए मेड़ें बनाना शामिल है।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति का दिनांक 30 जून, 1980।

च. राज्य सरकार ने कमान क्षेत्र के विकास प्राधिकरण की स्थापना कर ली है। निगम ने 302 चकों में कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मंजूरी दे दी है।

21. क. राजस्थान डेरी विकास परियोजना

ख. परियोजना की लागत —518 लाख डालर (41.4 करोड़ रुपये) अंवि संघ की सहायता 270 लाख डालर (21.6 करोड़ रुपये)। इनमें से निगम के माध्यम से 223 लाख डालर (17.2 करोड़ रुपये) प्रदान किये जायेंगे।

ग. लगभग 1800 डेरी सहकारी समितियों का निर्माण जो डेरी चारा संयंत्रों से सुसज्जित 5 दुग्ध उत्पादक संघों के समूह होंगे।

घ. राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और चुने हुये वाणिज्य बैंक।

ङ. सात वर्ष—समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर, 1982।

च. बैंकिंग योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम स्थापित किया जा चुका है। महत्वपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। दो संघों के लिए तकनीकी घटकों का वित्तपोषण करने को मंजूरी दे दी गई है।

22. क. तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 623 लाख डालर (46.8 करोड़ रुपये) —अंविसंघ की सहायता 350 लाख डालर (26.2 करोड़ रुपये) जिसमें से 298 लाख डालर (22.9 करोड रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग. लघु सिंचाई निवेशों का वित्तपोषण जिसमें फिल्टर बिंदुवाले नलकूप, उथले तथा माध्यम नलकूप, भूमि जो समतल बनाना, भूमि में नालियां बनाना और ट्रैक्टर शामिल हैं।

घ. तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड।

ङ. तीन वर्ष— इस बीच समाप्ति के दिनांक को 31 दिसम्बर, 1974 से बढ़ाकर 21 दिसम्बर, 1976 कर दिया गया है।

च. ऋण का लघु सिंचाई घटक (जिसमें भूमि विकास और भूमि पर नालियां बनाने की राशियों में से पुनर्विनिधारित राशियां शामिल हैं) पूर्णतः आहरित कर लिया गया है। कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम के

विनिधान का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। 1500 ट्रैक्टरों में से 762 ट्रैक्टरों के लिए वित्त प्रदान किया गया है।

23.क. तराई बीज परियोजना–उत्तर प्रदेश

ख. परियोजना की लागत 224 लाख डालर (16.8 करोड़ रुपये)–अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता 130 लाख डालर (9.8 करोड़ रुपये) जिसमें से 90 लाख डालर (6.8 करोड रुपये) की सहायता निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का भूमि विकास ताकि अधिक उपजाऊ किस्म के खाद्यान्नों की उपलब्धि में वृद्धि हो सके।

घ. भारतीय स्टेट बैंक

ड़. इस बीच समाप्ति के दिनांक 30 जून, 1974 को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 1976 की दिया गया है।

24. क. उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना

ख. परियोजना को लागत–725 लाख डालर (54.3 करोड़ रुपये) अंविसंघ की सहायता 388 लाख डालर (28.5 करोड़ रुपये) जोकि निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

ग. खेतों के उपर के निवेशों उदाहणार्थ ईंटों की चिनाई-वालों या खुदाईवाले कुओं या नलकूपों, उथले नल-कूपों, मामूली गहराईवाले नलकूपों तथा रहटों के निर्माण और बिजली तथा डीजल पंपसेट लगाने के निवेशों का वित्तपोषण।

घ. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ड़. तीन वर्ष–समाप्ति का दिनांक 21 दिसम्बर, 1976।

च. भूमि बैंकों/प्रास बैंकों ने 25 करोड़ रुपयों का वितरण किया है।

25. क. पश्चिम बंगाल कृषि विकास ऋण परियोजना

ख. परियोजना की लागत 590 लाख डालर (47 करोड़ रुपये) –अंवि संघ की सहायता 340 लाख डालर (27.20 करोड़ रुपये) जिसमें से 150 लाख डालर (12 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

ग उथले और गहरे कुओं का निर्माण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, बाजारों का विकास और नदी की उद्वाही सिंचाई का पूरा किया जाना।

घ. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड चुने हुए वाणिज्य बैंक और पश्चिम बंगाल राज्य लघु सिंचाई निगम।

ड़. चार वर्ष– समाप्ति का दिनांक 31 मार्च, 1980।

च. बैंकिंग योजना को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है।

विवरण 11

30 जून, 1976 को अंपुवि बैंक/अंवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपयों में)

परियोजना	प्रभावी होने/समाप्ति का दिनांक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अपुविबैंक/अविसंघ से सहायता के रूप में प्राप्य धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
क. अंपुवि बैंक की परियोजनाएं								
(क) तराई बीज परियोजना (उत्तर प्रदेश)	(क) 12-9-69 भू वि (ख) 30-6-74 (ग) 31-12-76		927	695	वाणिज्य बैंक	222	164	136
(ख) चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान)	(क) 12-12-74 भू वि (ख) 30-6-81		619	520	वाणिज्य बैंक	—	1	—
(ग) राष्ट्रीय बीज परियोजना (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र)	(क)— (ख) 31-12-80		2169	1634		—	—	—
(घ) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना	(क)— (ख) 31-12-82		— 1240	— 819		— —	— —	— —
			4955	3648		222	165	136
ख. अंवि संघ की परियोजनाएं								
(क) कृपु वि निगम ऋण परियोजना	(क) 5-8-75 (ख) 31-12-77	लसि अन्य प्रयोजन	11100 900	5520 400	राभूवि बैंक वाणिज्य बैंक रास बैंक		3726 966 7	902
			12000	5920			4699	902
(ख) अंवि संघ परियोजना	(क) 24-8-76	कपास के लिए अल्पावधि फसल ऋण	889	600			—	—
	(ख) 31-12-81	कपास ओटाई और बीज संरक्षण	720	432				
			1609	1032				

विवरण 11 (जारी)

30 जून, 1976 को अंपुवि बैंक और अंवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपयों में)

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनांक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अंपुविबैंक और अवि संघ से सहायता के रूप में प्राप्य धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
(ग) कृषि ऋण परियोजना								
1. आंध्र प्रदेश	(क) 10-5-71	ल सि	2111	1393	राभूवि बैंक	1996 (425)	1776	
	(ख) 30-6-74				वाणिज्य बैंक	114 (14)	104	
	(ग) 30-6-77	भू वि	230	154	राभूवि बैंक	230 (63)	151	1426
		कृम	806	431	राभूवि बैंक	45	34	
			–	–	वाणिज्य बैंक	14	10	
			3147	1978		2510 (502)	2075	1426
2. बिहार	(क) 29-3-74	ल सि	4473	2728	राभूवि बैंक	1312 (406)	1204	
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	211 (77)	224	758
			4473	2728		1523	1428	758
3. गुजरात	(क) 14-9-70	ल सि	4027	2344	राभूवि बैंक	(483) 4027 (7)	3635	2608
	(ख) 30-6-74 (ग) 31-5-75	कृम	351	182	राभूवि बैंक	319	239	
			4378	2526		4346 (7)	3874	2608
4. हरियाणा	(क) 2-11-71 (ख) 31-3-75	ल सि	1962	903	राभूवि बैंक वाणिज्य बैंक	2660 76	1894 64	
	(ग) 30-6-66	कृम	1565	1002	राभूवि बैंक वाणिज्य बैंक	560 710	406 507	1495
			3527	1905		4006	2871	1495

विवरण 11—(जारी)

30 जून, 1976 को अंपुवि बैंक और अंवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपयों में)

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनांक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अंपुवि-बैंक और अंविसंघ से सहायता के रूप में प्राप्य धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
कर्नाटक	(क) 25-9-72 लसि		2980	1967	राभूवि बैंक	2723	2404	
	(ख) 31-10-75					(680)		
	(ग) 31-12-75 भूवि		525	315	वाणिज्य बैंक	96	76	
					राभूवि बैंक	230	165	1923
		भूमि उद्धार उपकरण	195	195	—	(54)	—	
						350	306	
		कृम	1575	1008	राभूवि बैंक			
					वाणिज्य बैंक	400	355	
			5 75	3485		3799	3306	1923
						(734)		
6. मध्य प्रदेश	(क) 10-10-73 लसि (भूवि सहित)		4003	2619	राभूवि बैंक	2018	1739	
						(194)		1506
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	1248	1223	
						(317)		
			4003	2619		3266	2962	1506
						(511)		
7. महाराष्ट्र	(क) 31-1-73 लसि		3697	2207	राभूवि बैंक	3475	3140	
						(193)		
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	187	178	
								2179
	(ग) 30-6-76					(23)		
		भूवि	226	108	राभूवि बैंक	226	170	
		कृम	211	148	राभूवि बैंक	190	143	
			4134	2463		4078	3631	2179
						(216)		
8. पंजाब	(क) 4-9-76	कृम	4000	2380	राभूवि बैंक	520	428	
								760
	(ख) 31-12-73				वाणिज्य बैंक	1250	854	
	(ग) 30-6-77							
			4000	2380		1770	1282	760

विवरण 11—(जारी)

30 जून, 1976 को ग्रंपुवि बैंक/ग्रंवि संघ की परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपयों में)

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनांक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुविनिगम को ग्रंपविबैंक और ग्रंवि संघ से सहायता के रूप में प्राप्य धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
9. तमिलनाडु	(क) 2-11-71	लसि	3001	1861	राभूवि बैंक	3001 (230)	2781	1955
	(ख) 31-12-74	भूवि	88	61	राभूवि बैंक	88	66	
	(ग) 31-12-76					380	285	
		कृम	780	492	राभूवि बैंक	—	—	
		मिट्टी ढोने की मशीनें	243	243				
			4112	2657		3469 (230)	3132	1955
10. उत्तर प्रदेश	(क) 31-10-73	लसि	5710	3565	राभूवि बैंक	1908 (1094)	1735	1296
	(ख) 31-12-76				वाणिज्य बैंक	602 (326)	559	
			5710	3565		2510 (1420)	2289	1269
11. पश्चिम बंगाल	(क) 28-8-75	लसि	2197	1206	राभूवि बैंक	37	33	—
	(ख) 31-3-80	कृम	171	90		—	—	—
		भंवा	96	54		—	—	—
जोड़ (1 से 11)			2464	1350		37	33	—
			45223	27656		31314 (4103)	26883	15879

घ. अन्य परियोजनाएं

जारी.....

विवरण 11 (समाप्त)

30 जून 1976 को ग्रंपुवि बैंक/अंविसंघ की परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपयों में)

परियोजना	प्रभावी होने/ समाप्ति का दिनांक	प्रयोजन	कुल उधार कार्यक्रम	कृपुवि निगम को ग्रंपु विबैंक और अंविसंघ से सहायता के रूप में प्राप्य धन	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/ प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	कृपुवि निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार से प्राप्त राशि
1. बिहार बाजार केन्द्र परियोजना	(क) 31-7-72 (ख) 30-6-78 (ग) 31-12-78		1680	1133	वाणिज्य बैंक	316	287	117
2. चम्बल कमान क्षेत्र विकास की परियोजना (मध्य प्रदेश)	(क) 18-9-75 (ख) 31-12-79		277	177		–	–	–
3. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना	(क) 26-9-74 (ख) 31-12-78		608	488		–	–	–
4. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना	(क) 9-9-73 (ख) 31-12-79		891	713	वाणिज्य बैंक	39	32	12
5. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना	(क) 23-12-74 (ख) 30-6-82		2497	1881		–	–	–
6. मध्य प्रदेश विकास डेरी परियोजना	(क) 23-7-75 (ख) 30-6-82		1563	1227		–	–	–
7. राजस्थान नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81		2395	1800	वाणिज्य बैंक	20	14	–
8. राजस्थान डेरी विकास परियोजना	(क) 8-8-75 (ख) 31-12-82		1957	1784		–	–	–
			11868	9203		375	333	129
कुल जोड़ (क+ख)			75655	47459	राभूवि बैंक और वाणिज्य बैंक	31911 (4103)	23080	17046

टिप्पणी : (1) कोष्टक में दिये गये आंकड़े छोटे कृषकों को किये गये वितरण से संबंधित हैं।

(2) प्रभावी/ समाप्ति का दिनांक :

(क) प्रभावी दिनांक (ख) समाप्ति का दिनांक (ग) परिवर्तित समाप्ति का दिनांक

विवरण—12

राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1975-76 के दौरान किये गये वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/ राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ ऋणों की कुल राशि	कृपुवि निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंश-दान
1. उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	39	28	11
हरियाणा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	517	467	50
		भूमि विकास	15	10	5
		कृषि मशीनीकरण	311	234	77
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	551	445	106
		कृषि मशीनीकरण	544	408	136
		मुर्गी पालन	1	1	—
		डेरी विकास	4	4	—
			1943	1569	374
हिमाचल प्रदेश	राभूवि बैंक	बागान/ बागवानी	5	3	2
	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	16	11	5
		डेरी विकास	2	2	—
			23	16	7
जम्मू और काश्मीर	राभूवि बैंक	कृषि मशीनीकरण	13	10	3
		बागान/ बागवानी	9	7	2
			22	17	5
पंजाब	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	65	59	6
		भूमि विकास	85	71	14
		कृषि मशीनीकरण	419	314	105
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	93	74	19
		कृषि मशीनीकरण	1016	760	256
		डेरी विकास	14	13	1
	रा० स बैंक	कृषि मशीनीकरण	17	15	2
			1709	1306	404
राजस्थान	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	295	272	23
		भूमि विकास	3	2	1
		बागान/ बागवानी	3	2	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	76	61	15
		भूमि विकास	20	15	6
		कृषि मशीनीकरण	188	150	38
		डेरी विकास	5	4	1
		भंडार/ बाजार केन्द्र	37	30	7
			627	536	91

(जारी)

विवरण—12 (जारी)

राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1975-76 के दौरान किये गये वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृषु वित्तनिगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंश-दान
II. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र					
असम	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	4	4	—
		डेरी विकास	1	1	—
			5	5	—
मणिपुर	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	6	5	1
नागालैंड	रासबैंक	भूमि विकास	2	2	—
त्रिपुरा	वाणिज्य बैंक	बागान/ बागवानी	1	1	—
III. पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	658	591	67
		बागान/ बागवानी	1	1	—
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	448	404	44
		कृषि मशीनीकरण	129	108	21
		भंडार/ बाजार केन्द्र	225	204	21
	रास बैंक	डेरी विकास	14	10	4
			1475	1318	157
उड़ीसा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	96	87	9
		भूमि विकास	5	4	1
		कृषि मशीनीकरण	5	4	1
		बागान /बागवानी	8	6	2
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	252	228	24
		भूमि विकास	2	2	—
		कृषि मशीनीकरण	9	7	2
			337	338	39
पश्चिम बंगाल	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	143	129	14
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	4	4	—
		कृषि मशीनीकरण	21	19	2
		बागान/ बागवानी	7	6	1
		डेरी विकास	1	1	—
			176	159	17

विवरण 12—(जारी)

राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1975-76 के दौरान किये गए वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गय डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृषु विनिगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंश-दान
IV मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	रा भू वि बैंक	लघु सिंचाई	1025	924	101
		भूमि विकास	7	5	2
		कृषि मशीनीकरण	1	1	—
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	931	826	105
		कृषि मशीनीकरण	219	186	43
			2183	1932	251
उत्तर प्रदेश	रा भू वि बैंक	लघु सिंचाई	1766	1590	176
		बागान/बागबानी	20	15	5
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	377	338	39
		भूमि विकास	40	30	10
		कृषि मशीनीकरण	750	602	148
		डेरी विकास	15	15	—
		भंडार/बाजार केन्द्र	10	8	2
			2978	2598	380
V. पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	वाणिज्य बैंक	मछली पालन	21	16	5
	रा स बैंक	मछली पालन	10	7	3
			31	23	8
गुजरात	रा भू वि बैंक	लघु सिंचाई	112	100	12
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	9	7	2
		कृषि मशीनीकरण	224	176	48
		मछलीपालन	12	7	5
		डेरी विकास	41	36	5
		भंडार/बाजार केन्द्र	9	7	2
			407	333	74
महाराष्ट्र	रा भूवि बैंक	लघु सिंचाई	1250	1128	122
		भूमि विकास	226	170	56
		कृषि मशीनीकरण	205	153	52
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	697	551	146
		कृषि मशीनीकरण	124	91	33
		मुर्गी पालन/भेड़ पालन	5	4	1
		डरी विकास	211	142	69
		भंडार/बाजार केन्द्र	5	4	1
		कृषि उड्डयन	7	5	2
			2730	2248	482

विवरण—12 (जारी)

राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1975-76 के दौरान किये गये वितरण

(लाख रुपय)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृषु विनिगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों बैंकों का अंश-दान
VI. दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	850	780	70
		भूमि विकास	32	24	8
		कृषि मशीनीकरण	310	233	77
		बागान/बागवानी	19	14	5
		मुर्गीपालन/भेड़पालन	6	4	2
		भूमि विकास	25	19	6
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	86	73	13
		कृषि मशीनीकरण	48	41	7
		बागान/बागवानी	4	4	—
		मुर्गीपालन/भेड़पालन	32	28	4
		डेरी विकास	48	36	12
	रास बैंक	मछलीपालन	39	39	—
			1499	1295	204
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	956	871	85
		भूमि विकास	52	39	13
		कृषि मशीनीकरण	408	307	101
		बागान/बागवानी	195	146	49
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	65	52	13
		कृषि मशीनीकरण	481	407	74
		बागान/बागवानी	19	13	6
		मुर्गीपालन/भड़पालन	12	8	4
		मछलीपालन	48	37	11
		भंडार/बाजार केन्द्र	39	35	4
	रास बैंक	भंडार/बाजार केन्द्र	31	31	—
			2306	1946	360
केरल	राभूवि बैंक	भूमि विकास	10	8	2
		बागान/बागवानी	74	55	19
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	3	2	1
		भूमि विकास	110	110	—
		कृषि मशीनीकरण	16	13	3
		बगान/बागवानी	3	3	—
		मछलीपालन	10	8	2
		डेरी विकास	1	1	—
	रास बैंक	मछलीपालन	8	8	—
			235	208	27

विवरण 12—(जारी)

राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1975-76 के दौरान किये गये वितरण

(लाख रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृपु विनिगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का अंश-दान
पांडिचेरी . .	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	1	1	—
	रा स बैंक	मछलीपालन	3	3	—
			4	4	—
तमिलनाडु . .	रा वि बैंक	लघु सिंचाई	830	750	80
		कृषि मशीनीकरण	380	286	94
		बागान/बागवानी	20	14	6
	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	22	16	6
		बागान/बागवानी	24	17	7
		मछलीपालन	150	118	32
		मुर्गीपालन/भेड़पालन	12	7	5
		डेरी विकास	7	4	3
	रा स बैंक	मुर्गीपालन/भेड़पालन	16	16	—
			1461	1228	233
जोड़ (I से VI)			20239	17115	3124

विवरण—13

30 जून 1976 को विचाराधीन योजनाएं

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	विचाराधीन योजनाओं की संख्या		
	जोड़	अधिकांश रूप में पूर्ण	अतिरिक्त आंकड़े अपेक्षित हैं
I. उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	1	—	1
हरियाणा	24	3	21
हिमाचल प्रदेश	7	2	5
जम्मू और काश्मीर	—	—	—
पंजाब	10	—	10
राजस्थान	47	14	33
	89	19	70
II. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
असम	12	3	9
मेघालय	3	—	3
मणीपुर	1	1	—
	16	4	12
III. पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	22	9	13
उड़ीसा	33	4	29
पश्चिम बंगाल	13	4	9
	68	17	51
IV. मध्य प्रदेश			
मध्य प्रदेश	54	6	48
उत्तर प्रदेश	15	10	5
	69	16	53
V. पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	4	1	3
गुजरात	64	4	60
महाराष्ट्र	132	20	112
	200	25	175
VI. दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	57	28	29
कर्नाटक	96	25	71
केरल	59	8	51
पांडिचेरी	—	—	—
तमिलनाडु	36	9	27
	248	70	178
कुल जोड़ (I से VI)	690	151	539

विवरण 14

30 जून 1976 को शेयरधारियों की सूची

I भारतीय रिज़र्व बैंक

II राज्य भूमि विकास बैंक (19)

1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और कश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
9. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
13. पांडिचेरी राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
14. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
15. राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
17. त्रिपुरा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
19. पश्चिम बंगाल केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड

III राज्य सहकारी बैंक (24)

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
11. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
13. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
15. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
16. नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. तमिलनाडु रज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
24. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

IV अनुसूचित वाणिज्य बैंक (62)

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक आफ इंदौर
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर
9. अलाहाबाद बैंक
10. बैंक आफ बड़ौदा
11. बैंक आफ इंडिया
12. बैंक आफ महाराष्ट्र
13. कनारा बैंक
14. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
15. देना बैंक
16. इंडियन बैंक
17. इंडियन ओवरसीज बैंक
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. सिंडीकेट बैंक
20. यूनियन बैंक आफ इंडिया
21. युनायटेड बैंक आफ इंडिया
22. युनायटेड कमर्शियल बैंक
23. आन्ध्र बैंक लिमिटेड
24. बैंक आफ कराड लिमिटेड
25. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
26. बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड
27. बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड
28. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
29. केथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड
30. कारपोरेशन बैंक लिमिटेड
31. फेडरल बैंक लिमिटेड
32. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड
33. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
34. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
35. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
36. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
37. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
38. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड

39. नारंग बैंक आफ इंडिया लिमिटेड
40. नेडुंगडी बैंक लिमिटेड
41. न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड
42. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड
43. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड
44. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
45. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
46. सांगली बैंक लिमिटेड
47. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
48. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
49. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
50. युनायटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
51. तंजौर पर्मेनेंट बैंक लिमिटेड
52. विजया बैंक लिमिटेड
53. वैश्य बैंक लिमिटेड
54. एल्गमेने बैंक नीदरलैंड्स एन० वी०
55. अमेरिकन एक्स्प्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
56. बैंक आफ अमेरिका ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
57. बैंक आफ तोकियो लिमिटेड
58. बैंके नैशनले डि परिस
59. चार्टर्ड बैंक
60. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
61. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
62. मित्सुई बैंक लिमिटेड

V ग्रामीण बैंक (5)

1. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. गौर ग्रामीण बैंक मालदा
3. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
5. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

VI बीमा और निवेश कम्पनियां आदि (3)

1. जीवन बीमा निगम
2. दि न्यू इंडिया एश्योरंस कम्पनी लिमिटेड
3. दि युनायटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इश्योरंस कंपनी लिमिटेड

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 30 जून 1976 तक के संलग्न तुलन पत्र और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के सलग्न लाभ-हानि लेखों की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि—

1. हमें जिस जानकारी और जिन स्पष्टीकरणों की जरूरत थी, वे सब हमने प्राप्त कर लिये हैं और वे संतोषजनक पाये गये हैं।

2. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये अनुसार यह तुलन पत्र पूर्ण और सही है और इसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा यह तुलन पत्र निगम के अधिनियम और सामान्य विनियमों के अनुसार उचित ढंग से इस तरह तैयार किया गया है कि इससे निगम के कार्यों की सच्ची और सही हालत का पता लग सके।

बम्बई
दिनांक 23 अगस्त 1976
नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग
दादाभाई नौरोजी रोड,
बंबई 400001.

बाटलीबाय एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार

कृषि पुनर्वित्त और

30 जून 1976

देयताएं

			30-6-197 को
1. पूंजी	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे
प्राधिकृत पूंजी . . .		25,00,00,000.00	25,00,00,000.00
प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 25,000 शेयर . . .		25,00,00,000.00	20,00,00,000.00
जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 25,000 प्रदत्त शेयर . .			
2. आरक्षित निधि और अधिशेष			
आरक्षित निधि			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार बकाया (नोट 1) . . .	2,72,36,000.00		1,49,73,000.00
जोड़िये			
(i) वर्तमान लाभ की 10% अंतरित राशि (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (8) viii के अनुसार) .	59,47,000.00		45,00,000.00
(ii) लाभ हानि लेखे से अंतरित राशि .	1,07,68,000.00		77,63,000.00
		4,39,51,000.00	2,72,36,000.00
लाभ हानि लेखा :			
आगे लाया गया लाभ . .	332.71		775.1
इस वर्ष का लाभ . . .	2,16,82,773.43		1,66,23,173.97
	2,16,83,106.14		1,66,23,949.15
घटाइये : आरक्षित निधि को अंतरित राशि .	1,07,68,000.00		77,63,000.00
	1,09,15,106.14		88,60,949.15
लाभांश की व्यवस्था के लिए अंतरित राशि	1,09,14,275.96		88,60,616.44
		830.18	332.71
3. विशेष जमा . . .		2,29,98,510.92	1,78,92,086.54
आगे ले जाया गया जोड़ . .		31,69,50,341.10	24,51,88,419.25

विकास निगम

को तुलनपत्र

आस्तियां

	रु० पैसे	रु० पैसे	30-6-1975 को रु० पैसे
1. नकदी			
(क) हाथ में	3,939.92		2,385.24
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	36,57,208.97		24,83,717.07
(ग) दूसरों के पास :			
(i) भारत में	68,308.46		74,454.63
(ii) विदेश में	—		—
		37,29,457.25	25,60,556.94
2. ऋण			
(क) पुनर्वित्त के रूप में	123,56,90,206.00		63,04,61,375.00
(ख) अन्य	—		—
घटाइये : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	—		—
		123,56,90,206.00	63,04,61,375.00
3. डिबेंचर			
4. केन्द्रीय सरकार को प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		425,81,86,776.13	343,13,15,482.38
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		—	—
6. अन्य आस्तियां		—	—
(क) फर्नीचर, फिटिंग और जुड़नार कार्यालयीन उपस्कर आदि (30-6-75 तक की लागत)	13,95,999.08		10,64,731.44
जोड़िये : इस वर्ष की वृद्धि	2,62,243.92		3,36,704.04
	16,58,243.00		14,01,435.48
घटाइये : बेची गई/समंजित मदें	—		5,436.40
	16,58,243.00		13,95,999.08
घटाइये : आज की तारीख तक का मूल्यह्रास	5,71,726.51		4,36,619.00
	10,86,516.49		9,59,380.08
(ख) सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमा राशियां	1,59,216.66		1,48,391.66
आगे ले जाया गया जोड़	12,45,733.15	549,76,06,439.38	406,43,37,414.32

कृषि पुनर्वित्त औरसं
30 जून 1976

देयताएं

	रु० पै०	रु० पै०	30-6-75 को रु० पै०
आगे लाया गया जोड़ . . .		31,69,50,341.10	24,51,28,419.25
गारंटीकृत लाभांशों के लिए केन्द्रीय सरकार को किये गये भुगतान . . .		—	—
5. बांड और डिबेंचर			
$5\frac{3}{4}$% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1982 पहली सीरीज . .	10,93,77,000.00		
$5\frac{3}{4}$% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1982 दूसरी सीरीज . .	8,52,50,000.00		
$5\frac{1}{4}$% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1984 तीसरी सीरीज . .	8,25,00,000.00		
$5\frac{1}{4}$% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1985 चौथी सीरीज . .	11,00,00,000.00		
$5\frac{3}{4}$% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड पांचवीं सीरीज . . .	16,50,00,000.00		
$5\frac{3}{4}$% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1986 छठी सीरीज . .	11,00,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1984 सातवीं सीरीज . .	16,50,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1985 आठवीं सीरीज . .	16,50,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1985 नवीं सीरीज . .	11,00,00,000.00		
6% कृषि पुनर्वित्त विकास निगम बांड 1986 दसवीं सीरीज . .	27,50,00,000.00	137,71,27,000.00	99,21,27,000.00
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण			
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन	5,00,000.00		5,00,000.00
(ख) अन्य ऋण . . .	245,09,30,955.00		191,62,14,655.00
		250,09,30,955.00	196,62,14,655.00
7. अन्य उधार			
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार :			
(1) दीर्घकालीन उधार . .	138,40,00,000.00		88,20,00,000.00
(2) अल्पकालीन उधार (नोट 2)	1,70,00,000.00		4,50,00,000.00
(ख) दूसरों से लिये गये उधार : .		140,10,00,000.00	92,70,00,000.00
(1) भारत में . . .		—	—
(2) विदेश में . . .		—	—
आगे ले जाया गया जोड़ . .		559,60,08,296.10	413,04,70,074.25

विकास निगम
को तुलन पत्र (जारी)

आस्तियां

			30-6-75 को
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
आगे लाया गया जोड़ . . .	12,45,733.15	549,76,06,439.38	406,43,37,414.32
6. (जारी)			
(ग) फुटकर अग्रिम . .	24,35,703.76		78,55,059.25
(घ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज .	3,29,68,214.49		1,51,50,880.33
(ङ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज .	15,84,58,701.37		11,44,01,897.91
(च) कृषि पुनर्वित्त निगम बाँडों पर छूट	65,62,111.11		31,51,500.00
		20,16,70,463.88	14,16,67,109.23
आगे ले जाया गया जोड़		569,92,76,903.26	420,60,24,525.55

कृषि पुनर्वित्त और

30 जून 1976

देयताएं

	रु०	पै०	रु०	पै०	30-6-76 को रु०	पै०
आगे लाया गया जोड़ . . .			559,60,08,296.10		413,04,70,074.25	
8. मियादी जमाराशियां						
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की			—		—	
(ख) दूसरों की . .			—		—	
9. लाभांशों की व्यवस्था (लाभहानि सूखे से अंतरित की गई राशि)			1,09,14,275.96		88,60,416.44	
10. कराधान की व्यवस्था (नोट 3) .			2,20,10,240.00		1,60,59,341.00	
11. अन्य देयताएं						
फुटकर लेनदार . .	93,53,711.42				48,07,366.53	
निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हैं :						
(क) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण .	4,28,27,814.88				3,09,07,893.77	
(ख) बॉंड और डिबेंचर . .	1,81,62,564.90				1,48,99,231.56	
आकस्मिक देयताएं . . .			7,03,44,091.20		5,06,14,491.86	
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिए आस्थगित अदायगी पर दी गई गारंटी के बाबत .			—		—	
(ख) अन्य मदें . . .			—		—	
जोड़ रुपये . . .			569,92,76,903.26		420,60,04,523.55	

नोट : 1. इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि शामिल है। रु० 1,25,97,000/-

2. डिबेंचरों को गिरवी रखकर अल्पावधि उधार प्राप्त किये गये हैं।

3. कराधान के लिए व्यवस्था करों की अग्रिम अदायगी के लिए समंजन करने और स्रोत पर काटे गये कर के बाद की गई है।

हमारी उक्त दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीवाय एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार

एम० एन० पटेल,
वरिष्ठ निदेशक,
वित्त और प्रशासन
बंबई, 10 अगस्त 1976

विकास निगम
को तुलन पत्र (समाप्त)

आस्तियां

			30-6-75 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०
आगे लाया गया जोड़ . . .	569,92,76,903.	26	420,60,04,523.	55
	569,92,76,903.	26	420,60,04,523.	55

आर० के० हजारी, अध्यक्ष
एम० ए० चिदम्बरम्, प्रबन्ध निदेशक

के० पी० ए० मेनन
बी० एस० विश्वनाथन्,
सी० डी० वाते
} निदेशक

बम्बई, 21 अगस्त 1976

कृषि पुनर्वित्त और वि
30 जून 1976 को समाप्त हुए

	रु०	पै०	पिछले वर्ष रु०	पै०
1. अदा किया गया ब्याज	22,05,88,274.	32	16,22,40,806.	83
2. वेतन और भत्ते	1,16,51,817.	58	93,27,112.	28
3. कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और अन्य निधियों में अंशदान	9,59,648.	47	7,63,027	81
4. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस	1,200.	00	1,100.	00
5. निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	29,788.	50	20,973.	00
6. किराया, उपकर, बीमा, बिजली आदि	9,22,594.	46	8,03,697.	54
7. यात्रा व्यय	6,66,010.	75	7,31,761.	69
8. छपाई और लेखन सामग्री	2,25,239.	52	2,37,301.	44
9. डाक, तार और टेलीफोन	2,70,494.	08	1,94,272.	14
10. संपत्ति की मरम्मत	34,293.	76	23,160.	18
11. लेखा परीक्षकों की फीस	10,000.	00	10,000.	00
12. कानूनी व्यय	16,357.	49	9,899.	76
13. विविध व्यय (नोट 1)	50,92,149.	72	28,09,281.	59
14. मूल्यह्रास	1,35,107.	51	1,20,000.	68
15. विशेष आरक्षित निधियों को अंतरण जो (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) 3 के अनुसार) वर्तमान लाभ का 10% है)	59,47,000.	00	45,00,000.	00
16. कराधान की व्यवस्था	3,09,07,550.	00	2,30,41,923.	00
17. तुलनपत्र को ले जाया गया शुद्ध लाभ	2,16,82,773.	43	1,66,23,173.	97
जोड़	रुपया 29,91,40,299.	59	22,14,21,491.	91

नोट : 1 इनमें ये राशियां शामिल हैं :

(1) बाँडों और शेयरों पर मुद्रांक शुल्क	38,50,182.00 रु०	पिछले वर्ष	19,80,333.25 रु०
(2) बाँड	4,39,388.89 रु०	पिछले वर्ष	1,48,500.00 रु०

नोट : 2 इस राशि में अभिदत्त डिबेंचर पर प्राप्त भंजन शामिल है— 30,822.35 रु० पिछले वर्ष 37,790.55 रु०

एम० एन० पटेल
वरिष्ठ निदेशक,
वित्त और प्रशासन
बम्बई, 10 अगस्त 1976

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीवाय एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार
बम्बई, 23 अगस्त 1976

विकास निगम
वर्ष का लाभ-हानि लेखा

		रु०	पै०	पिछले वर्ष रु०	पै०
1. प्राप्य ब्याज					
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	28,72,57,524.74			21,14,69,035.49	
(ख) निवेशों पर (स्रोत पर काटा गया कर रु०)	89,04,145.17	29,61,61,669.91		98,81,563.65	
				22,13,50,599.14	
2. भोजन, कमीशन आदि	—	—		—	
3. अन्य मदें					
(क) शेयर अंतरण शुल्क	2.00			—	
(ख) विविध प्राप्तियां (नोट 2)	31,565.68			38,117.09	
(ग) वायदा प्रभार	5,052.00			32,774.79	
(घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ	29,42,010.00			—	
		29,78,629.68		70,892.77	
जोड़ रुपये		29,91,40,299.59		22,14,21,491.91	

आर० के० हजारी — अध्यक्ष
एम० ए० चिदम्बरम् — प्रबंध निदेशक
बम्बई, 21 अगस्त 1976

के० पी० ए० मेनन
बी० एस्० विश्वनाथन
सी० डी० दाते
} निदेशक

STATE BANK OF INDIA

OFFICE MANAGER'S DEPARTMENT

New Delhi-110001, the 1976

NOTICE

No. OMD/7664.—Shri K. S. T. Pani (IBI) has taken over charge as General Manager (Planning) *vice* Shri M. D. Dalal (IBI) with effect from 23-8-76 (commencement).

Shri G. S. Srivastava (IBI) has taken over charge as General Manager (Operations) *vice* Shri S. Rangachari (IBI) with effect from 1st September 1976.

R. P. GOYAL
Chief General Manager

STATE BANK OF MYSORE

(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE : BANGALORE-9

NOTICE

Bangalore-9, the 4th October 1976

With reference to the Notice dated the 15th September, 1976, issued in terms of Regulation 30(2) of the Subsidiary Banks General Regulations regarding the holding of a General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Mysore at the Head Office of the Bank for the purpose of electing two persons to be Directors of the Board of the Bank in pursuance of Section 25(1)(d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT I HAVE accepted as valid the nominations proposing the names of Sarvashri (1) S. M. Ramakrishna Rao, (2) S. Ramanathan and (3) C. Sadasiva as candidates for election as Directors of the Board of the State Bank of Mysore. The names and addresses of these validly nominated candidates are hereby published, as required by Regulation 33(1) and (2) of the said General Regulations.

Shri S. M. Ramakrishna Rao,
"Lakshmi Nivas",
Krishnarajendra Road,
Fort, Bangalore-2.

Shri S. Ramanathan,
No. 28, Krishnarajendra Road,
Basavanagudi,
Bangalore-4.

Shri C. Sadasiva,
Coffee Planter,
Coitonpet,
Kolar.

H. C. SARKAR
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600 034, the 31st July 1976

No. 4 SCA(1)/5/76-77.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

S. No.	M No.	Name and Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	2966	Shri T. N. Manickavelu, Garudachar Building, 640, Avenue Road, Bangalore-560 002.	11-7-76
2.	3023	Shri D. V. Ratnasastry, M/S Ratnam & Co. Chartered Accountant Jambagh Road, Hyderabad.	11-6-76
3.	8056	Shri S. Ramamrutham 6 Norton II Lane Raja Annamalaipuram Madras-600 028.	30-6-76

The 31st August 1976

No. 4SCA(1)/6/76-77.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members :

S. No.	M. No.	Name and Address	Date of Removal
1.	240	Shri K. Rajaram M/s Rajaram & Co. Chartered Accountants King Kothi Road Hyderabad-500 001.	3-8-1976
2.	1631	Shri S. Venkataraman 9-1-97 Tatachari Compound Secunderabad-25.	22-10-1975
3.	3905	Shri N. Sadasivan Jabatan Hasil Dalam Negeri Penang Malaysia.	15-2-1976

The 15th September 1976

No. 4-CA(1)/17/76-77 :—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	M No.	Name and Address	Date of Removal
1.	1020	Shri S. K. Gangopadhyay, 1-B, Old Post Office Street, 1st Floor, Calcutta-1.	28-3-1976
2.	8194	Shri K. A. Aiyar, M/s. K. S. Aiyar & Co., 49, Apollo Street, Bombay-1.	23-7-1976
3.	15658	Shri N. K. Jain, Accounts Officer, Jeevan Fertilizers Areas, Kota.	11-5-1976

The 20th September 1976

No. 5-CA(1)/20/76-77.—With reference to this Institute's Notification No. 4 CA(1)/18/75-76 dated 26-2-76(2) 4-CA(1)/6/70-71 dated 25-7-70(3) 4-CA(1)/20-75-76 dated 23-3-76 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of powers conferred by Regulations 17 of the said Regulaions, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to

the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	3429	Shri Sreejnan Rakhit, FCA, 54, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12.	10-9-76
2.	5303	Shri Kalyan Kumar Saha, ACA, 768/A, Block' 'P', New Alipore, Calcutta-53.	30-8-76
3.	10072	Shri Yogendra Nath Bhargava, A.C.A., J-46, Krishna Marg., C-Scheme, Jaipur-1.	9-9-76
4.	13420	Shri Santanu Roy, A.C.A., The Indian Tube Co., Ltd., 43, Chowringhee Road, Calcutta-700071.	15-9-76
5.	5628	Shri Mihir Ray, A.C.A., 3, Merlin Park, Calcutta-700019.	7-9-76

The 23rd September 1976

No. 4-CA(1)/18/76-77.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:—

S. No.	M. No.	Name and Address	Date of Removal
1.	9080	Shri Praelyote Narayan Ghosh, "Narayan" Ist Floor, Kamaupur, P. O. Asansol. Dt. Burdwan (W.B.)	20-7-1976

The 24th September 1976

No. 8CA(1)/10/76-77.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M No.	Name and Address	Period from which the Certificate shall stand Cancelled.
1.	14577	Shri Goutam Kumar Pal, A.C.A., 24-C, Sree Nath, Mukherjee Lane, Calcutta-700030.	1-7-1976
2.	14711	Shri Kanaiyalal Mohanlal Shah, A.C.A., C/o N. M. Shah 2nd Floor, Prabhu Nivas Khijada Vado Vas, Mithakhali, Ahmedabad-380006.	1-4-1976
3.	16946	Shri Bharatkumar Bansilal Pachchigar, A.C.A., 9/670, Wadi Falia, Sidhamata Street, Surat-395001.	1-7-1976

No. 4-CA(1)/19/76-77.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on request with effect from 1st July, 1976 the name of Shri Gajanan Trimbaklal Mamtora, A.C.A., 15, Pandita Ramabai Road, Chandra Bhuvan, Second Floor, Bombay-400007 (M. No. 13032).

No. 8CA(1)/9/76-77.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certficate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M. No.	Name and Address	Period from which the Certificate shall stand Cancelled.
1.	1112	Shri J. V. Shah F.C.A. 507 "Vimal", 4th Floor, 91, Banganga, Bombay-6.	1-4-1976
2.	1924	Shri M. N. Wagh A.C.A., 76, Radhakrishna Niwas, 2nd Floor Hindu Colony, 2nd Lane, Dadar, Bombay-400014.	1-7-1976
3.	18210	Shri N. Mohanakrishnan A.C.A., Group Accounts Officer, Office of the Sub-Area Manager, Mugma Sub Area, Eastern Coal Field Ltd., P. O. Sarsapahari, Via Chirkhana, Dt. Dhanabad (Bihar).	31-3-1976

P. S. GOPALAKRISHNAN, Secretary

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-1, the 28th September, 1976

No. AE/1(5)Sec-20/74/56257.—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. GSR-334(E), dated the 27th July, 1974, published at Page 1500 of Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3, Sub-section (i) dated the 27th July, 1974, and in exercise of powers conferred by sub-section (2), (3) and (4) of section 20 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (No. 37 of 1974), I, K. S. Naik, Central Provident Fund Commissioner, hereby authorise Shrimati Gita Mazumdar, Shri Sunil Kumar Das, Shrimati Asnikana Saha and Shri J. C. Dey as officers for the purpose of said Act and the Scheme framed thereunder in respect of employers of the employees [other than employees referred to in clauses (a) and (b) of section 3 of the said Act] to exercise jurisdiction over whole of the State of West Bengal and Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

K. S. NAIK
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th September 1976

No. S.R.O.243/45/Tall Tox.—Whereas a Notice of certain draft amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 378, dated the 21st November, 1968, was published by affixing a copy thereof in a conspicuous part of the office of the Cantonment

Board, Ranikhet, on the 13th February, 1976, as required by section 61, read with section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty five days from the publication of the said notice,

And whereas no objections and suggestions were received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924, the Cantonment Board, Ranikhet, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. SRO-378, dated the 21st November, 1968, namely :—

In the said Notification :—

(a) in proviso 2, for the abbreviation and figure "Rs. 1/-", abbreviation and figure "Rs. 2/-" shall be substituted;

(b) in proviso 4, after the words and figure "within 2 hours of its issue, "the following shall be inserted namely :—

"in the case of Trucks and Buses and one hour in the case of Cars and Taxies";

(c) for proviso 7, the following provisos shall be substituted, namely :—

"7. Provided that the Vehicles belonging to the Drugs Factory, Amalgamated Units, Tarikhet, Soil Conservation Department and their Officials stationed at Brewery, Dulikhet areas entering the Cantonment from the above vicinities and returning the same day may be charged Rs. 20.00 per month each as monthly fee for light and heavy vehicles;

7A. Provided further that the School Vehicle owned by the Government Girls Inter College, Ranikhet, shall be exempted from the payment of Toll Tax";

(d) for clause 8, the following clause shall be substituted, namely :—

"8. Non-transferable Passes shall be issued by the Cantonment Executive Officer, Ranikhet as under :—

(a) Permanent resident of the Cantonment—Rs. 15.00 per annum.

(b) Residents of Panyali, Ganyade oli, Tarikhet, Brewery, Chiliyanaula and Dulikhet areas situated in close proximity of the Cantonment Area—Rs. 20.00 per annum.

(c) Bicycle—Rs. 12.00 per annum.

(d) Motor Cycle/Scooter/Bullock Carts—Rs. 20.00 per annum.

(e) Private Car, Jeep, Station Wagon or other light vehicles not used for business purposes—Rs. 40.00 per annum.

All such passes shall expire on the 31st March next after the date of issue.";

(e) In the Schedule of Toll Tax, for Serial No. 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"11, Motor Lorries, Buses, Trucks carrying Goods, Passengers or empty—Rs. 10.00 per Vehicles plus Re. 1/- for each occupied seat."

(File No. 53/21/C/L&C/74)

N. S. MUNDEIR
Cantonment Executive Officer,
Ranikhet

INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF POSTS & TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 28th September 1976

NOTICE

No. 25/107/76-LI.—Postal Life Insurance Policy No. 155340-P dated 1-8-69 for Rs. 2000/- held by Shri A. Mookan having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/105/76-LI.—Postal Life Insurance Policy No. A-4109 dated 25-8-69 for Rs. 4000/- held by Shri Flt. Sgt. K. G. Singh having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

R. N. DEY
Director (PLI)

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 24th September 1976

No. UT./NP-2-76.—The following amendment made to the Reinvestment Plan, 1966, [formulated under Section 19(1)(cc) of the Unit Trust of India Act 1963] by the Board of Trustees of the Unit Trust of India at its meeting held on August 26, 1976 are published for general information.

In the Reinvestment Plan, 1966, at the end of paragraph 9, the following proviso shall be added :

"Provided that where a non-resident holding a certificate containing units upto three decimal places issued as above —

(i) wants to terminate, in terms of paragraph 17 of this plan, his participation in respect of such certificate, he shall, in exchange of the certificate in respect of which he wants to terminate his participation, be issued a fresh certificate for a number of units in multiple of ten, the balance of units (less than ten units) being repurchased (Termination will not be allowed unless the certificate is surrendered); or

(ii) Offers such a certificate for repurchase of a part of units comprised in such certificate, the number of units left after such repurchase shall be in multiple of ten; or

(iii) transfers units comprised in such certificate, the transfer shall be allowed only if it results in the transferee and/or the transferor being a holder of a number of units in multiples of ten, the balance of units, if any, being repurchased; or

(iv) becomes a resident of India, he shall, in exchange of such certificate be issued a fresh certificate for a number of units in multiple of ten, the balance (less than ten units) being repurchased by the Trust".

V. V. ABHYANKAR
Secretary

AIR - INDIA

AIR-INDIA STAFF HOUSING REGULATIONS, 1967

September 13, 1976

No. GM/58-5.—In exercise of the powers conferred by Section 45(i) of the Air Corporations Act, 1953 (27 of

1953), Air-India hereby makes the following regulations further to amend the Air-India Staff Housing Regulations, 1967, as follows, namely :—

1. (i) these regulations may be called the Air-India Staff Housing (Amendment) Regulations, 1976.

(ii) they shall come into force from the date of this notification.

2. In the Air-India Staff Housing Regulations, 1967, for Sub-regulation (2) of Regulation 5, the following Sub-regulation shall be substituted namely :—

"No such loan shall be granted to any employee who has not been confirmed in the service of the Corporation."

B. J. SUKTHANKAR
Secy.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Bombay, the 28th September 1976

No. G.S.R.—In pursuance of Section 32(2) of the Agricultural refinance and Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1976 and the balance sheet and profit and loss account of the Corporation for the year ended 30 June 1976 are published hereunder.

ARDC AT A GLANCE

(Rs. lakhs)

Sources	Year ended 30 June			Uses	Year ended 30 June		
	1974	1975	1976		1974	1975	1976
				Refinance provided to : (outstanding)			
Paid-up Share capital and reserves	1650	2272	2940	State Land Development Banks	27151	34382	42582
Borrowings from :				(Of which under IDA) projects)	(11984)	(16756)	(24829)
GOI	16350	19662	25009	Scheduled Commercial Banks	2708	5150	11200
(Of which IDA/IBRD assistance	(8386)	(11698)	(17045)	(Of which under IDA/ IBRD projects)	(433)	(1388)	(5353)
R B I				State Co-operative Banks	1115	1154	1157
LTO Fund	5400	8820	13840				
Short Term	1160	450	170				
				(Of which under IDA			
Open Market	6621	9921	13771	project)	—	—	(7)

RECORD OF GROWTH

(Rs. lakhs)

Particulars	As at the end of June							
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Paid-up share capital and reserves	500	509	523	1044	1082	1650	2272	2940
Special Deposit	61	74	87	99	117	141	179	230
Subvention loans	14	14	14	14	14	—	—	—
Borrowings from : ..								
GOI	2575	4475	6675	7713	12485	16350	19662	25009
RBI	—	—	752	839	3820	6560	9270	14010
Short term	—	—	752	339	370	1160	450	170
Long term	—	—	—	500	3450	5400	8820	13840
Open market	—	1094	1946	2771	3871	6621	9921	13771
Refinance granted (net)	3040	5889	8893	12341	21614	30974	40686	54939
Debentures	2785	5460	8124	10964	19560	27151	34382	42582
Loans	255	429	769	1377	2054	3823	6304	12357
Other assets	122	159	258	360	632	929	1417	2017
Investment and cash reserves	52	250	1003	2	4	8	26	37
Gross income	110	273	427	606	924	1553	2214	2991
Profits before tax	48	67	69	109	171	309	442	585
Tax payable	26	37	34	58	89	160	231	309
Profits after tax	22	30	35	51	81	149	211	276
Divident paid	21	21	21	31	44	66	89	109

Table 1

DISBURSEMENT OF REFINANCE—PURPOSEWISE

(Rs. lakhs)

Purpose	Upto 30 June 1969	During 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	Upto 30 June 1976
Minor irrigation	1281 (42·1)	2233 (78·1)	2306 (75.43)	2674 (76·4)	8418 (89·4)	8530 (87·1)	8378 (78·7)	10818 (63·2)	44602 (75·2)
Land development/Reclamation/ Soil conservation	1388 (45·5)	332 (11·6)	437 (14·3)	237 (6·8)	230 (2·4)	178 (1·8)	201 (1·9)	492 (2·8)	3495 (5·8)
Farm mechanization	14 (0·5)	16 (0·6)	11 (0·4)	36 (1·0)	218 (2·3)	375 (3·9)	1223 (11·5)	4575 (26·7)	6504 (10·8)
Plantation/Horticulture	207 [(6·7)	150 (5·2)	199 (6·5)	205 (5·9)	149 (1·6)	219 (2·3)	200 (1·9)	307 (1·8)	1636 (2·7)
Poultry/Sheep breeding	1 (0·1)	6 (0·2)	—	—	15 (0·2)	9 (0·1)	65 (0·6)	68 (0·4)	164 (0·3)
Fisheries	56 (1·8)	36 (1.3)	37 (1·2)	59 (1·7)	12 (0·1)	86 (0·9)	178 (1·7)	243 (1·4)	707 (1·2)
Dairy development	—	—	—	39 (1·1)	26 (0·3)	82 (0·8)	158 (1·5)	288 (1·7)	593 (1·0)
Storage & Market yards	100 (3·3)	87 (3·0)	72 (2·3)	248 (7·1)	346 (3·7)	293 (3·0)	237 (2·2)	319 (1·9)	1702 (2·9)
Agricultural aviation	—	—	—	—	—	12 (0·1)	—	5 (0·1)	17 (0·1)
Total	**3047** (100·0)	**2860** (100·0)	**3062** (100·0)	**3498** (100·0)	**9414** (100·0)	**9784** (100·0)	**10640** (100·0)	**17115** (100·0)	**59420** (100·0)

Figures in parenthesised italics are percentages of the total.

Table 2

DISBURSEMENT OF REFINANCE—AGENCYWISE

(Rs. lakhs)

Agency	Upto 30 June 1969	During 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	Upto 30 June 1976
State Land Development Banks	2785	2675	2665	2839	8614	7776	7706	9909	44969
	(91·4)	(93·5)	(87·0)	(81·2)	(91·5)	(79·5)	(72·4)	(57·9)	(75·7)
of which under IDA *projects*	—	—	—	537	6358	5292	5198	0969	26454
Scheduled Commercial Banks	106	56	278	326	449	1736	2787	7075	12813
	(3·5)	(2·0)	(9·1)	(9·3)	(4·8)	(17·7)	(2624)	(41·3)	(21·5)
of which under IBRD *projects*	—	—	111	8	4	1	10	31	165
IDA *projects*	—	—	—	—	—	342	979	4133	5444
State Co-operative Banks	156	129	119	333	351	272	147	131	1638
	(5·1)	(4·5)	(3·9)	(9·5)	(3·7)	(2·8)	(1·4)	(0·8)	(2·8)
of which under IDA *project*	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Total	**3047** (100·0)	**2860** (100·0)	**3062** (100·0)	**3498** (100·0)	**9414** (100·0)	**9784** (100·0)	**10640** (100·0)	**17115** (100·0)	**59420** (100·0)

Figures in parenthesised italics are percentages of the total.

THIRTEENTH ANNUAL REPORT 1975-76

During the year, the Corporation's disbursement of refinance touched a new high of Rs.171.15 crores, an increase of 61 per cent over last year's disbursement of Rs. 106.40 crores (Table 1). The larger disbursement reflects the confidence geenrated among the farmers to undertake agricultural investments in the context of the prevailing economic conditions and good agricultural seasons.

1.2 Gross disbursement since inception has touched Rs. 594 crores. This amount includes Rs. 321 crores in respect of IDA-assisted projects, which has brought in foreign exchange worth $ 208 million against $ 130 million as of last year.

1.3 Every state, with the exception of Gujarat and Nagaland, received larger disbursement during the year. Jammu and Kashmir drew refinance after a lapse of three years and there were small disbursements for the first time in Manipur and Tripura.

1.4 Uttar Pradesh maintained its lead for the third year with the largest share of disbursement (Rs. 26 crores) followed by Maharashtra (Rs. 23 crores) and Karnataka and Madhya Pradesh (Rs. 19 crores each) (Table 4).

1.5 Since inception, the largest beneficiaries of ARDC assistance receiving more than 10 per cent each of the total disbursement are Uttar Pradesh (Rs. 84 crores), Maharashtra (Rs. 68 crores) and Tamil Nadu (Rs. 62 crores). From among the other states Haryana (Rs. 57 crores), Andhra Pradesh and Karnataka (Rs. 55 crores each), Punjab and Gujarat (Rs. 51 crores each) availed themselves between 8 and 10 per cent each of the total.

1.6 The ranking of states according to refinance drawn from the Corporation is shown in Table 3. The states which improved their ranking during the year were Karnataka, Punjab, Rajasthan and Orissa.

Table 3

RANKING OF STATES ACCORDING TO REFINANCE DRAWN FROM THE CORPORATION

State	1973-74*	1974-75	1975-76
Uttar Pradesh	1	1	1
Maharashtra	2	2	2
Karnataka	4	5	3
Madhya Pradesh	7	3	4
Haryana	5	4	5
Bihar	8	6	6
Punjab	9	10	7
Andhra Pradesh	10	7	8
Tamil Nadu	3	8	9
Rajasthan	11	11	10
Orissa	14	13	11
Gujarat	6	9	12
Kerala	12	12	13
West Bengal	13	14	14

*Excludes amount transferred from normal programme of LDBs.

Table 4

DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Upto 30 June 1969	During 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	Upto 30 June 1976
I. NORTHERN REGION									
Delhi	—	6 (0·2)	—	—	—	7 (0·1)	12 (0·1)	28 (0·2)	53 (0·1)
Haryana	303 (9·9)	263 (9·2)	362 (11·8)	326 (9·3)	1020 (10·8)	803 (8·2)	1075 (10.1)	1569 (9·2)	5721 (9·6)
Himachal Pradesh	—	—	—	—	—	4 (0·1)	4 (0·1)	16 (0·1)	24 (—)
Jammu & Kashmir	32 (1·0)	20 (0·7)	11 (0·4)	7 (0·2)	—	—	—	17 (0·1)	88 (0·2)
Punjab	653 (21·4)	654 (22·9)	556 (18·2)	386 (11·0)	607 (6·5)	489 (5·0)	407 (3·8)	1306 (7·6)	5056 (8·5)
Rajasthan	6 (0·2)	77 (2·7)	77 (2·5)	83 (2·4)	136 (1·4)	283 (2·9)	350 (2·3)	536 (3·1)	1548 (2·6)
	994 (32·5)	1020 (35·7)	1006 (32·9)	802 (22·9)	1763 (18·7)	1586 (16·3)	1848 (17·4)	3472 (20·3)	12490 (21·0)
II. NORTH-EASTERN REGION									
Assam	70 (2·4)	4 (0·1)	—	32 (0·9)	—	29 (0·3)	—	5 (—)	139 (0·3)
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	—	—	—	—	—	4 (0·1)	4 (0·1)	2 (—)	10 (—)
Manipur	—	—	—	—	—	—	—	5 (—)	5 (—)
Tripura	—	—	—	—	—	—	—	1 (—)	1 (—)
	70 (2·4)	4 (0·1)	—	32 (0·9)	—	33 (0·4)	4 (0·1)	13 (0·1)	155 (0·3)
III. EASTERN REGION									
Bihar	18 (0·6)	61 (2·1)	113 (3·7)	67 (1·9)	154 (1·6)	585 (5·9)	932 (8·8)	1318 (7·6)	3249 (5·5)
Orissa	4 (0·1)	18 (0·6)	6 (0·2)	8 (0·2)	11 (0·1)	8 (0·1)	82 (0·8)	338 (2·0)	475 (0·8)
West Bengal	2 (0·1)	1 (0·1)	10 (0·3)	5 (0·2)	4 (0·1)	22 (0·2)	69 (0·6)	159 (1·0)	270 (0·4)
	24 (0·8)	80 (2·8)	129 (4·2)	80 (2·3)	169 (1·8)	615 (6·2)	1083 (10·2)	1815 (10·6)	3994 (6·7)

Table 4 (*Concld.*)

DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Upto 30 June 1969	During 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	Upto 30 June 1976
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	29	49	91	187	319	645	1234	1932	4489
	(1·0)	(1·7)	(2·9)	(5·3)	(3·4)	(6·6)	(11·6)	(11·3)	(7·5)
Uttar Pradesh	122	256	293	604	1143	1498	1849	2598	8363
	(4·0)	(9·0)	(9·6)	(17·3)	(12·1)	(15·3)	(17·3)	(15·2)	(14·1)
	151	305	384	791	1462	2143	3083	4530	12852
	(5·0)	(10·7)	(12·5)	(22·6)	(15·5)	(21·9)	(28·9)	(26·5)	(21·6)
V. WESTERN REGION									
Goa	—	—	—	—	—	3	5	23	31
						(0·1)	(0·1)	(0·1)	(0·1)
Gujarat	207	131	190	262	2794	788	427	333	5133
	(6·8)	(4·6)	(6·2)	(7·5)	(29·7)	(8·0)	(4·0)	(1·9)	(8·6)
Maharashtra	189	349	233	456	732	1271	1358	2248	6837
	(6·2)	(12·2)	(7·6)	(13·0)	(7·8)	(13·0)	(12·7)	(13·2)	(11·5)
	396	480	423	718	3526	2062	1790	2604	12001
	(13·0)	(16·8)	(13·8)	(20·5)	(37·5)	(21.1)	(16·8)	(15·2)	(20·2)
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	809	607	342	285	847	423	892	1295	5500
	(26·5)	(21·2)	(11·2)	(8·2)	(9.0)	(4·3)	(8·4)	(7·6)	(9·3)
Karnataka	261	166	274	325	405	1099	1008	1946	5485
	(8·6)	(5·8)	(8·9)	(9·3)	(4·3)	(11·2)	(9.5)	(11·4)	(9·2)
Kerala	17	35	82	97	28	103	100	208	669
	(0·5)	(1·2)	(2·7)	(2·8)	(0·3)	(1·0)	(0·9)	(1·2)	(1·1)
Pondicherry	—	—	—	—	—	8	15	4	27
						(0·1)	(0·1)	(0·1)	(0·1)
Tamil Nadu	325	162	422	368	1213	1712	817	1228	6247
	(10·7)	(5·7)	(13·8)	(10·5)	(12·9)	(17·5)	(7·7)	(7·2)	(10·5)
	1412	970	1120	1075	2493	3345	2832	4681	17928
	(46·3)	(33·9)	(36·6)	(30·8)	(26·5)	(34·1)	(26·6)	(27·5)	(30·2)
Total (I to VI)	**3047**	**2860**	**3062**	**3498**	**9414**	**9784**	**10640**	**17115**	**59420**
	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)	(100·0)

Figures in parenthesised italics are percentages of the total.

1.7 Support for minor irrigation continues to be the predominant activity of the Corporation, accounting for a total disbursement of Rs. 446 crores or 75 per cent of the aggregate disbursement (Table 1).

Disbursement for farm mechanisation increased from Rs. 19 crores at the end of last year to Rs. 65 crores; of this Rs. 36 crores was on account of larger utilization of earlier IDA credits under the agricultural credit projects for Andhra Pradesh, Karnataka, Haryana, Punjab and Tamil Nadu during the year. Schemes for land development and soil conservation are also looking up and will gather momentum when on-farm lending under command area programmes catches up. Disbursement under schemes for plantation and horticulure, fisheries, dairy development and storage and market yards has shown significant improvement as compared to the previous year.

1.8 Disbursement as percentage of commitments upto the end of the previous year and as of June 1976 is indicated in Table 5. Aggregate drawal during the year constituted nearly 57.7 per cent of the ARDC commitments of Rs. 297 crores as against 56.8 per cent during the last year (Statement 1).

Table 5

DISBURSEMENT AS PERCENTAGE OF COMMITMENTS

Rs. Crores

Purpose	ARDC commitments up to 1974-75	Amount drawn upto 30 June 1975-	Per cent of 3 to 2	ARDC commitments up to 1975-76	Amount drawn upto 30 June 1976	Per cent of 6 to 5
1	2	3	4	5	6	7
1. Minor irrigation	465·8	338·3	72·6	611·2	446·0	73·0
2. Land development and soil conservation	46·9	30·0	64·0	54·5	35·0	64·2
3. Farm mechanisation	32·7	18·9	57·8	100·1	65·0	64·9
4. Plantation and horticulture	25·0	13·3	53·2	30·2	16·4	54·3
5. Poultry and sheep breeding	2·1	1·0	47·6	2·7	1·6	59·3
6. Fisheries	8·3	4·6	55·4	10·8	7·1	65·7
7. Dairy development	9.7	3·1	32·0	14·9	5·9	39·6
8. Storage facilities and market yards	18·3	13·8	75·4	23·4	17·0	72·6
Total	608·8	423·0	69·5	847·8	594·0	70.1

9 Sixty-three member-banks participated in the refinance programme, comprising 16 land development banks, 33 scheduled commercial banks and 14 state co-operative banks (Table 2). Land development banks continued to be the principal recipients of ARDC refinance. The amount disbursed to them during the year was Rs. 99 crores and was substantially higher than the previous year's disbursement of Rs. 77 crores. Five states, namely, Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh substantially exceeded the programmes agreed with them but there were shortfalls in all other states. As percentage of the total ARDC disbursement during the year, LDBs accounted for 58 per cent against 72 per cent i nthe previous year. Scheduled commercial banks drew Rs. 71 crores during the year as compared with only Rs. 28 crores during the previous year; their drawals comprised Rs. 30.7 crores under minor irrigation, Rs. 30 crores under farm mechanisation and the balance under diversified schemes. Their share in the disbursement under the IDA-assisted programmes was Rs. 41.6 crores or 31.5 per cent of the total under that category. The total drawals by the commercial banks during the year thus far exceeded the aggregate ARDC disbursement of Rs. 57 crores to these institutions as at the end of June 1975. Accordingly their share in total refinance also improved from 13.6 per cent in the previous year to 21.5 per cent. The availment of refinance by the state co-operative banks continued to be small at Rs. 1 crore during the year, constituting less than 1 per cent of ARDC total disbursement during the year.

1.10. The aggregate disbursement of Rs. 594 crores by the ARDC since its inception would represent investment at the ground level of nearly Rs. 750 crores, inclusive of contributions by member-banks, state governments and ultimate beneficiaries. The achievement in physical terms under the various schemes on the basis of the latest data available is indicated below :

Tubewells	2,08,800
Dugwells	3,02,400
Electric pumpsets/oil engines	4,80,900
Lift irrigation	760
Others, (boring and rahats)	9,500

	Hectares
Coffee	6,650
Tea	1,550
Rubber	1,500
Cardamom	1,250
Cashewnut	1,100
Tobacco	480
Coconut	22,00
Arecanut	1,100
Apple	6,700
Citrus and other fruits	5,300

During 13 years of its activities the Corporation assisted in bringing about 20.5 lakh hectares under multiple cropping. Lands developed under the command area of major irrigation projects and the area improved under soil conservation schemes aggregated 6.35 lakh hectares. The total area developed under various schemes for plantation and horticulture is of the order of 47,600 hectares.

1.11 Other activities which have recieved refinance facilities from the Corporation are as under :

Storage	13·07	lakh tonnes
Market yards	58	units
Tractors	18,118	units
Combines/harvesters/bulldozers/power tillers	988	units
Trawlers/mechanised boats	1,166	uinits
Milch cattle	37,700	animals
Poultry birds	3,64,100	chicks
Sheep	50,300	animals
Agricultural aircraft	2	units

SANCTIONS

There has been considerable increase both in the number of schemes sanctioned and the amount committed. 909 schemes involving ARDC's commitment of Rs. 297 crores were sanctioned during the year as compared with 623 schemes with commitment of Rs. 204 crores last year (Statement 2). Minor irrigation schemes continued to be the largest single purpose, accounting for 410 schemes with a commitment of Rs. 167 crores. The process of diversification of business initiated a few years back is, however, continuing. Schemes for purposes other than minor irrigation numbered 499, constituting nearly 55 per cent of the total sanctions and the commitments in regard to these schemes amounted to Rs. 130 crores as against Rs. 56 crores during the previous year. Schemes involving sizable commitments were sanctioned for farm mechanisation, land development and soil conservation, plantation and horticulture, fisheries, dairy development and storage and market yards. The farm mechanisation programme was stepped up with a commitment of Rs. 80 crores with a view to making up for the earlier delay in utilisation of IDA assistance for this purpose.

2.2 Land development banks (Statement 4) were sanctioned 256 schemes as against 116 schemes during the previous year; the commitment in regard to these schemes was also correspondingly higher at Rs. 177 crores against Rs. 115 crores in the previous year. The land development banks have now appreciated the utility of preparing schemes for small compact areas which would ensure technical standards, facilitate closer supervision and verification of utilization of loans. A welcome development has been that a few of these banks have now ventured into new fields of activity such as financing of dairy, poultry, sheep breeding, fishery, etc. The major obstacle which inhibits these banks from undertaking large investments in diversified purposes is the statutory limitation of having to take mortgage of land as security. If this constraint could be removed, there can be greater flow of schemes for diversified purposes from the land development banking system.

2.3 As in the previous year, commercial banks accounted for a large number of schemes; 650 schemes with ARDC's commitment of Rs. 119 crores were sanctioned to them against 501 schemes with commitment of Rs. 87 crores for the previous year (Statement 4). Thus, these banks have been enlarging their activities in providing term loans for schemes of agricultural development.

2.4 At the end of June 1976, ARDC had sanctioned 2905 schemes with its own commitment of Rs. 1147 crores (Statement 5). Of these, 1071 schemes were in favour of land development banks, 1784 were sanctioned to commercial banks and 50 to be implemented by the state co-operative banks. ARDC's commitments in regard to these schemes aggregated Rs. 771 crores, Rs. 350 crores and Rs. 26 crores respectively (Statement 7).

SCHEMES UNDER CONSIDERATION

2.5 As at the end of June 1976, 690 schemes were under consideration. Of these, 151 schemes were complete in most respects and the remaining 539 schemes were either incomplete or were pending for want of additional data for processing Of the pending schemes, 200 schemes related to the states in the less developed/underbanked areas. The details in respect of the schemes under consideration are given in Statement 13.

REGIONAL IMBALANCES—

RESPONSE FROM STATE GOVERNMENTS

2.6 The Corporation's growing involvement in reduction in the regional imbalances in agricultural development can be traced to the year 1969-70 when it opened regional offices in less developed states. Since then, a number of measures have been taken, insofar as they lie within the purview of the Corporation to promote development in these areas including the opening of two consultancy service units, conducting of pre-investment surveys, formulation of specific schemes and provision of financial incentive by way of increased quantum of refinance upto 90 per cent of loan assistance for all purposes. The sanction of IDA projects in some of these states concentrating the programme on certain districts has also been a major step. The results have been markedly favourable in the central region comprising Uttar

Pradesh and Madhya Pradesh. Uttar Pradesh has been the single largest recipient of refinance in the last three years, closely followed by Madhya Pradesh. In Bihar and West Bengal, encouraging progress has been recorded. In West Bengal, with the progress of the IDA-assisted schemes in the selected six districts, formulation and implementation of schemes in other areas of the state is also picking up. In Orissa, considerable progress has been made particularly with the schemes of the Orissa Lift Irrigation Corporation. The World Bank is presently considering the Eastern Region Foodgrains Project which is expected to cover Orissa, Assam, West Bengal and Bihar. There still remains a good deal to be done in other states. A table showing the progress of sanction of schemes, ARDC's commitments and disbursements of refinance in the less developed states is given in Statement 8. The Corporation feels that while considering the regional imbalances as between states, imbalances as between different regions within the same state should not be lost sight of. For achieving optimum development of different regions, consisted with the resources available for development, the planning will have to adopt the district as the base. The Corporation has been emphasising this aspect in its discussions with the state governments so that it is taken into consideration while formulating schemes for agricultural development.

2.7 Another related aspect which also requires constant attention pertains to the removing the disparities in the operational efficiency of the financing agencies functioning in different regions. The development process is bound to be slow unless the credit institutions are made operationally and managerially strong. In order to reduce the credit gap and speed up the process of development, commercial banks have been deliberately inducted into the lending programme being undertaken in areas where the co-operative credit structure is weak.

2.8. An analysis of the schemes sanctioned by the Corporation indicates that every district in the country except for 53 out of 387 districts, has one type or other of ARDC schemes sanctioned for implementation. The states and the number of districts without any ARDC scheme as at the end of June 1976 are :—

Andaman & Nicobar Islands	1
Arunachal Pradesh	5
Assam	3
Bihar	3
Chandigarh	1
Dadra & Nagar Haveli	1
Gujarat	2
Himachal Pradesh	7
Jammu & Kashmir	5
Lakshadweep	1
Madhya Pradesh	1
Manipur	3
Meghalaya	2
Mizoram	1
Nagaland	3
Pondicherry	2
Rajasthan	3
Sikkim	4
Tripura	2
Uttar Pradesh	2
West Bengal	1

SMALL FARMERS

2.9 During the year, the Corporation sanctioned 54 schemes under the aegis of SFD/MFAL agencies. At the end of June 1976, the total number of schemes sanctioned under the aegis of these agencies stood at 158 (Statement 9) with the Corporation's commitment of Rs. 50 crores. Of these, 69 schemes are being implemented through the LDBs, 87 through the commercial banks and 2 schemes through the state co-operative banks. Purpose-wise, 86 schemes are for minor irrigation investment and the remaining 72 schemes covered diversified purposes, such as dairy development (52), poultry (7), sheep breeding (3), land development (3), plantation and horticulture (6) and fisheries (1).

2.10. Drawals under these schemes during the year under review amounted to Rs. 5.79 crores; the commercial banks availed of a sum of Rs. 1.05 crores while the drawals by the LDBs aggregated Rs. 4.74 crores.

2.11. The emphasis laid by the Corporation in financing the investment needs of small farmers in the schemes sanctioned by it has met with good response. The liberalised definition of a 'small farmer beneficiary' negotiated with IDA under the ARC Credit Project has been made effective during the year and the acreage limits for classification of the farmers for different agroclimatic regions in the country have been worked out and communicated to the banks concerned. The definition has also been made applicable to all ARDC schemes including the on-going IDA projects where the earlier definition was operative. While the coverage for small farmers under the ARDC programme is wide on the basis of acreage norms now finalised, there are still some imperfections in the system of monitoring the progress made by the banks in disbursing loans to small farmers. According to preliminary reckoning, the number of small farmer beneficiaries accommodated under ARDC schemes appears to be between 50 and 60 per cent of the total number of loanees but the amount disbursed can be placed around 35 per cent of the total disbursements. In view of the importance of this aspect, there is an urgent need for the member-banks to streamline their monitoring and information system to get a more realistic picture of the credit support extended to small farmers.

2.12. However, in the absence of a uniform definition of a small farmer, information was not furnished by the banks till recently in respect of the normal (i.e., non-IDA-assisted) schemes. The banks have now been advised to furnish the information regarding small farmer finance even in respect of normal schemes. An estimate of refinance provided to small farmer beneficiaries under the ARDC schemes as on 30 June 1976 is given in Table 6.

Table 6

FINANCE TO SMALL FARMERS

Rs. Crores

Nature of scheme	Total disbursement by ARDC	Disbursement to small farmers		Percentage of finance to small farmers in total
		Amount	No. of accounts (Approx.)	
1	2	3	4	5
1. SFDA/MFAL Projects	19·79	19·79	65,900	100
2. ARC Credit Project	46·99	29·13	37,100	62
3. (*a*) IDA Projects (Minor Irrigation component of Agricultural Credit Projects only)	227·78	41·03	54,700	18
(*b*) IDA Projects—Other Components	41·64	—	—	—

1	2	3	4	5
4. Normal schemes				
(a) Minor Irrigation	157·16	62·13	63·100	40
(b) Land Development	27·75	13·88	69·400	50
(c) Farm Mechanisation	29·37	—	—	—
(d) Storage/Market Yards	13·83	—	—	—
(e) Plantation/Horticulture	16·32	4·08	20400	25
(f) Poultry/Sheep breeding	1·51	1·12	100	75
(g) Dairy Development	4·82	3·62	3,600	75
(h) Fisheries	7·07	4·06	400	55
(i) Others	0·17	—	—	—
Total	594·20	178·84	3,34,700	—

*Provisional.

IDA/IBRD—ASSISTED PROJECTS

During the year, 3 more projects for agricultural development were sanctioned with assistance from the World Bank Group. These were the Integrated Cotton Development Project, National Seed Project and Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project.

3.2 At the end of June 1976, 24 projects (excluding the Drought Prone Areas Project in which no credit allocation has been made for on-farm investments) are being implemented with assistance from IDA/IBRD for which funds are to be routed through the ARDC. These comprised 10 agricultural credit projects (excluding the Gujarat Project since completed), 4 command area development projects, 3 dairy development projects, 2 seeds projects, 2 market yards projects, an integrated cotton development project, an apple processing and marketing project and a General Line of Credit to the ARDC. Four of these projects, viz., Tarai Seeds Project, National Seed Project, Chambal Command Area Development Project (Rajasthan) and Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project are being assisted by the IBRD and the remaining projects are being financed by IDA. A summary position indicating the purposewise lending programme, the disbursements made so far and the amounts reimbursed by IDA as at the end of June 1976 is presented in Table 7. The salient features of individual projects are given in Statement 10 and position regarding total lending programme, disbursements, etc., under each project is given in Statement 11.

Table 7

IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

Rs. Crores

Purpose	Disbursements necessary	Amount of IDA/IBRD assistance for ARDC programme	Refinance Provided by ARDC as on 30 June 1976	Amount of reimbursement from IDA/IBRD through GOI as on 30 June 1976
1. Minor irrigation	452·6	263·1	270·6	
2. Land development	15·1	10·8	5·5	166·6
3. Farm mechanisation	94·6	57·3	35·7	
4. Market yards development	26·7	19·0	3·2	1·3
5. Processing and marketing of perishable horticulture poduce	6·1	4·9	—	—
6. Dairy development	60·2	48·9	—	—
7. Command area development	45·3	33·2	0·2	—
8. Seeds production	30·9	23·1	1·6	1·4
9. Diversified purposes (such as tree crops, dairy etc.)	9·0	4·0	4·0	1·2
10. Cotton development @.	16·1	10·3	—	—
Total	756·6	474·6	320·8	170. 5

$1 milion is made available $ by IDA under the ARC Credit Project for training programmes and conducing studies.
@ Includes credit of $7·5 million earmarked for provision of seasonal credit for growing improved variety of cotton under the Integrated Cotton Development Project.

3.3 There has been considerable step-up in the pace of disbursement under the various on-going World Bank Projects due to the co-ordinated efforts of various agencies. At the end of June 1976, the aggregate disbursement by the ARDC under the IDA/IBRD projects totalled Rs. 321 crores. The resultant foreign exchange accrual to the country was nearly $ 208 million.

ARC CREDIT PROJECT

3.4 Mention was made in the last year's annual report to the sanctioning of a General Line of Credit to the ARDC by IDA. The project is a two year programme and was declared effective from August 1975. Besides minor irrigation investments, diversified purposes such as poultry, dairy, horticulture, fisheries, etc. were also eligible for reimbursement under the project. The proceeds under the credit could be used for financing schemes in any part of the country excluding those areas which came within the on-going IDA projects where balance of credit is still available. During the year, the procedural formalities connected with the project were gone through and lending commenced from October-November 1975 under the project. ARDC has sanctioned schemes for minor irrigation with its commitment of Rs 242 crores and for purposes other than minor irrigation, Rs. 22 crores at the end of June 1976. ARDC disbursement

under the project at Rs. 47 crores at the end of June 1976 exceeded the anticipated level of Rs. 24 crores. Of these, the disbursement for minor irrigation investments was Rs. 43 crores and the balance of Rs. 4 crores was for diversified purposes. Fifty five per cent of the disbursement by ARDC is reimbursable from IDA through GOI.

3.5 Sixteen states/union territories including the less developed states of Orissa, Rajasthan, Tripura and the districts in West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar not covered under the on-going agricultural credit projects have benefited from the refinance facilities of ARDC under the project. The Corporation expects that the pace of disbursement will be sustained.

AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS

3.6 The IDA has so far sanctioned 11 agricultural credit projects to be implemented in the state of Gujarat, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Haryana, Maharashtra and West Bengal. These projects fall into two or three categories. The Punjab project envisaged only financing of farm mechanisation equipment. The projects for Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar comprised only investment in minor irrigation. In the projects for Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra, besides minor irrigation investment, a land levelling programme was also included. The projects for Gujarat, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka also had a farm mechanisation component. The project for West Bengal is of an integrated nature involving, besides minor irrigaiton, setting up of agro-service centres, development of markets and completion of river lift irrigation units.

3.7 The aggregate lending programme for minor irrigation purposes in the various IDA projects was Rs. 452.6 crores and the amount of IDA assistance was Rs. 263.1 crores. The implementation of the minor irrigation programmes under the various IDA projects proceeded on a satisfactory note since the LDBs were conversant with this type of lending for a long time. Besides, the urge to shift to a higher level of technology in agricultural production also contributed to the increased demand for minor irrigation investments.

3.8 The projects for Gujarat, Haryana, Karnataka and Maharashtra were originally confined to a few selected districts only but in 1972-73 were extended to the whole of each state in consultation with the respective state governments. The Projects in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal cover only some of the districts specified in the agreements and not the whole state.

3.9 Apart from the Gujarat project, the Maharashtra project has also been fully implemented. The minor irrigation component (after reallocation) has been completed in the projects for Andhra Pradesh and Tamil Nadu. In Karnataka and Haryana while the original credit allocation for minor irrigation investment has been completed, some credit has been reallocated from land development and/or farm mechanisation category to minor irrigation category. The revised programme is likely to be completed shortly. Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh projects are under various stages of implementation; the SLDB/PCBs had made disbursements of the order of Rs. 15.2 crores, Rs. 25.1 crores and Rs. 32.7 crores respectively at the end of June 1976 under these Projects. In the West Bengal agricultural development project which was declared as effective during the year, the banking plan allocating the investment programme between the participating banks has been recently finalised by the ARDC. The project implementation is expected to be on schedule.

3.10 The land development programme under the IDA projects did not initially progress well mainly due to factors such as land ceiling legislation, difficulties in the creation of mortgages by borrowers in favour of land development banks and inadequate release of water in the canals. At the same time, there was a larger demand for minor irrigation investments. Consequently, in consultation with Government of India and IDA, there has been a reallocation of funds from land development component to minor irrigation category in some of the projects such as Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka. In Haryana, there was reallocation of credit twice from farm mechanisation component. The position of IDA credit for minor irrigation before and after reallocation is presented in Table 8.

3.11 The agricultural credit projects for Gujarat, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Haryana and Karnataka had envisaged, inter alia, the financing of farm mechanisation equipment. The progress of disbursement under this component was halting in the earlier years mainly due to the delay in taking a decision about inclusion of indigenous tractors. This was resolved in July 1975 and progress has been quite

Table 8

IDA CREDIT ALLOCATION UNDER AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS

Name of the Project	Category	Original IDA credit allocation (US$ Million)	IDA Credit after reallocation (US$ Million)	Disbursement necessary to absorb IDA credit (Rs. crores)	Disbursements by participating banks (Rs. crores)
1	2	3	4	5	6
1. Gujarat	M.I.	27·30	32·475	40·27	40·27
	F.M.	7·40	2·504	3·51	3·19
	Others*	0·30	0·021	—	—
		35·00	35·000	43·78	43·46
2. Andhra Pradesh	M.I.	14·00	16·323	21·11	21·10
	L.D.	5·24	3·040	2·30	2·30
	F. M.	4·88	4·790	8·06	1·70
	Others*	0·28	0·247		
		24·40	24·400	31·47	25·10
3. Haryana	M.I.	4·40	12·400	19·62	27·36
	F.M.	17·40	12·100	15·65	12·70
	(Tractors)				
	Harvesters and combines	0·50	0·500		
	Spare parts	2·70			
		25·00	25·000	35·27	40·06

1	2	3	4	5	6
4. Maharashtra	M.I.	22·682	26·942	36·97	36·62
	L.D.	2·719	1·200	2·26	2·26
	Others*	4·599	1·858	2·11	1·90
		30·000	30·000	41·34	40·78
5. Tamil Nadu	M.I.	22·70	24·058	30·01	30·01
	L.D.	2·10	0·742	0·88	0·88
	F.M.	5·00	6·150	7·80	3·80
	Others*	5·20	4·050		
		35·00	35·000	38·69	34·69
6. Karnataka	M.I.	13·10	25·00	29·80	28·19
	L.D.	10·00	2·00	5·25	2·30
	F.M.	6·70	9·20	15·75	7·50
	Others*	10·20	3·80		
		40·00	40·00	50·80	37·99

*Other items include procurement of well drilling rigs, earth moving equipment, consultancy services, spare parts, etc.

rapid since then. The closing dates of Haryana, Punjab, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu projects were extended for this purpose. It is expected that the programme will be completed according to the revised schedule. The number of tractors financed under these projects and the amount disbursed by the financing institutions at the end of June 1976 are given in Table 9.

Table 9

IDA PROJECTS—PROCUREMENT OF TRACTORS

Name of the Project	No. of tractors to be financed	No. of tractors financed		Disbursement by	
		Indigenous	Imported	LDBs	PCBs
				Rs crores	
Andhra Pradesh	1266	174	107	1·4	0·3
Karnataka	2805	1200	941	3·5	4·0
Haryana	4000	3408	101	5·6	7·1
Punjab	8000	2968	1386	5·2	12·5
Tamil Nadu	1500	628	134	3·8	—
Total	17571	8378	2669	19·5	23·9

Other special development projects

3.12 Other projects sanctioned by World Bank Group relate to command area development, dairy development, market yards development, seed production, horticulture development, integrated cotton development and drought prone areas programme. These are discussed below :

(a) *Command area projects*

3.13 Three command area development projects, 2 in Rajasthan and 1 in Madhya Pradesh are under implementation. The respective state governments have set up a command area development authority, one for each project. The banking plans under these projects have also been finalised. In command area development, the entire area coming within a *chak* is fully developed and no portion is left out. In the Chambal command area development project (Rajasthan), ARDC has technically cleared one catchment area programme while in the Rajasthan canal command area development project 302 *chaks* have been cleared. In the Madhya Pradesh project 2 schemes have been technically cleared by ARDC. These projects are expected to be implemented on schedule.

3.14 The fourth command area development project, viz., Andhra Pradesh irrigation and command area development composite project envisaging command area development on 72,000 hectares in four irrigation commands in Andhra Pradesh was sanctioned by the IBRD in June 1976.

3.15 One of the difficulties experienced in effectively implementing the command area programme was the need to find resources for the development of farms the owners of which were not eligible for normal banking loans. The ARDC in consultation with GOI have now formulated a scheme for the purpose which should make it possible to undertake the development of the area project.

(b) *Dairy development projects*

3.16. Three integrated projects for dairy development are being implemented in Rajasthan, Madhya Pradesh and Karnataka. In all these projects banking plans for financing the dairy unions have been finalised. ARDC organised short duration training programmes in Bangalore, Bhopal and Jaipur for the officers of the participating banks and other agencies connected with the implementation of the projects with a view to familarising these personnel with the procedural and operational matters connected with the implementation of the respective projects. In Rajasthan, Dairy Development Corporation has been set up and key staff appointed. ARDC has also given clearance for the component for technical services of 2 dairy unions. In Madhya Pradesh also the Dairy Development Corporation has been set up and important staff positions have also been filled. One scheme for the technical component of Bhopal dairy union has been cleared by the ARDC. Detailed design studies for plant construction are expected to commence shortly. These two projects are expected to be implemented on schedule. In Karnataka there has been some delay in the implementation of the project. Improvement is now expected with the recent appointment by the Karnataka Dairy Development Corporation of a management consultant. Training programme for the staff connected with the implementation of the project is also going on.

(c) *Market yards projects*

3.17 Two projects for market development viz., the Bihar market yards project and Karnataka agricultural wholesale market project are under implementation. In Bihar, ARDC has so far approved 19 markets involving a commitment of Rs. 4.7 crores while in Karnataka 26 markets with ARDC's commitment of Rs. 4.5 crores have been approved. The disbursement by ARDC at the end of June 1976 under the Bihar and Karnataka market projects was Rs. 2.87 crores and Rs. 0.32 crore respectively. Market construction in Bihar was delayed due to legal difficulties in acquiring sites for construction. These difficulties have been got over and construction work is proceeding satisfactorily. In Karnataka, delay in settling issues such as preparation of estimates and plans, arrears in audit and the type of mortgage to be taken tended to retard the progress of the project.

(d) *Seeds projects*

3.18 Two seeds projects, one in the Tarai region of Uttar Pradesh and the National seed project were sanctioned by IBRD. The Tarai seed project contemplated land development in the Tarai region of Uttar Pradesh with a veiw to increasing the availability of high yielding variety of foodgrains. Disbursement by ARDC under the project at the end of June 1976 was Rs. 1.64 crores. ARDC has since agreed to provide refinance under the project to the State Bank of India against term loans provided by the latter to the G. B. Pant University for the purchase of tractors and land levellers with spare parts for land levelling work in its own farm or farms taken on lease.

3.19 The National seed project which is the first phase for the development of a national seed programme covers four states. It would provide assistance to the seeds corporations to improve storage and marketing. The production of certified varieties of seeds of major cereals and cotton is also contemplated under the project. The project was sanctioned by JBRD in June 1976.

(e) *Horticulture project*

3.20 The Himachal Pradesh apple processing and marketing project is designed to promote apple processing and marketing. The project comprised grading and packing centres, cold storage, juice processing plant, road improvement and cable ways. The project encountered initial difficulties which could, by and large, be traced to managerial and technical problems. An IDA review mission had detailed discussions with the various interest about effecting some changes in the project. A sub-project report has been prepared by the Himachal Pradesh Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation Ltd. in respect of two packing and grading centres and these have been earmarked to two commercial banks for implementation.

(f) *Cotton development project*

3.21 The Integrated cotton development project which was sanctioned by the IDA during the year envisaged all aspects relating to production of improved varities of cotton and processing in selected areas of Punjab, Haryana and Maharashtra. A significant feature of this project is the provision of short-term funds for financing the short-term credit requirements of cotton growers. For the first time, ARDC will be providing refinance against short-term credit. A seasonal credit fund is being constituted for this purpose. The commercial banks which will participate in the project for provision of short-term credit have been identified and necessary guidelines were issued by ARDC to these banks for submission of applications for sanction of short-term credit limits under the project. The project also envisages modernisation of ginning and cotton seed processing facilities and research.

(g) *Drought prone areas project.*

3.22 The Drought prone areas project which covers six districts in all in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Rajasthan, envisages certain investments to be financed through the credit institutions. These include minor irrigation programme sheep and dairy development, horticulture, fisheries, sericulture, etc. and the relative schemes will be refinanced by the ARDC. In terms of the Project Agreement, the Corporation is required to prepare a banking plan covering, inter alia, the volume and type of agricultural credit required, legislative and institutional changes required to facilitate credit flow and the role to be played by various credit institutions in the area. The Corporation had accordingly constituted separate study teams for each state and had prepared the banking plans for the six districts.

Projects in the pipeline

3.23. The projects in the pipeline include an integrated fisheries development project in Gujarat, a tree crops project in Kerala and an Eastern Region Foodgrains Project. An Identification/Preparation Mission (FAO/CP) has prepared a project report covering 7 ports in Andhra Pradesh, Gujarat and Kerala. IDA has taken up the appraisal of a project in Gujarat. A Tree Crops Mission appraised the agricultural development project prepared by the Government of Kerala envisaging financial assistance from IDA. The project contemplates the development of tree crops dairy, etc. A senior officer from the ARDC was associated as a credit specialist with the IDA Mission. The Eastern Region foodgrain project covering Bihar, Assam, Orissa and West Bengal is under preparation.

POLICY DECISIONS DURING THE YEAR

Minor irrigation schemes with emphasis on quick increase in agricultural production have been receiving priority attention of the ARDC. Beginning with August 1967, ARDC has been granting refinance facilities to the extent of 90 per cent of loan assistance extended by the state land development banks under schemes for minor irrigation and only the balance of 10 per cent was required to be contributed by the state government as subscription to the special development debentures floated by SLDBs, as against the normal contribution of 25 per cent expected of them in other schemes. Keeping in view the strategic importance of these investments in the Fifth Plan, the Corporation decided during the year to continue the 90 per cent refinance facility upto the end of the Fifth Five Year Plan, viz., 1978-79.

4.2. In order to motivate the member-banks to support more schemes under the aegis of SFD/MFAL agencies with refinance assistance from ARDC, the Corporation had been granting 100 per cent refinance facilities for these schemes during the last six years. Financial incentive to the banks was considered necessary at a stage when the SFD/MFAL agencies were newly set up and the small farmers and landless labourers were considered a credit risk. With increasing involvement of financial institutions for expanding the flow of credit to weaker sections of the community, it was considered necessary that the financing banks also should have a stake in the programme. ARDC has, therefore, modified the quantum of refinance slightly. Beginning from 1 April 1976, refinance facilities for viable agricultural development schemes sponsored under the aegis of SFD/MFAL agencies would be made available by the ARDC to the extent of 90 per cent of financial assistance provided by the member-banks; the balance portion of 10 per cent will be met by the respective state governments in the case of schemes sanctioned to SLDBs and in respect of commercial and state cooperative banks, by the banks, from their own resources.

4.3. ARDC had proposed granting refinance facilities to member banks in respect of loans granted by them to the cultivators to enable the latter to keep deposits with the concerned State Electricity Boards (SEBs) for energisation of their wells under minor irrigation schemes approved by it. As the procedure prescribed was found to be rather cumbersome, facility was not availed of fully. The scheme was reviewed in view of the importance of energising the pumpsets where the farmer had already made the investment. Under the revised procedure, the member-banks are allowed to provide funds for energisation of wells directly to the SEBs relating the quantum to the number of pumpsets actually exceeding Rs. 1,000 for every increase in the horse power of approved by the ARDC but excluding those in areas covered by the programme of Rural Electrification Corporation Ltd. The quantum of loan assistance will be subject to a maximum of Rs. 4,500 for electric motor upto 5 HP on a well energised by the SEB; a higher loan may also be allowed at a rate not exceeding Rs. 1,000 for every increase in the horse power of the motor in slabs of 2.5 HP. The period of such loans will be 7 years repayable in annual instalments. While commercial banks will be in a position to make loans to SEBs.

SLDBs may have to amend their acts and byelaws to give loans direct to the SEBs. Considering that the scheme was modified in October 1975 and that some formalities had to be completed before giving loans to SEBs, the sum of Rs. 6.5 crores disbursed by ARDC during the year against loans given by the member-banks was sizable. The Corporation expects a large demand for funds from this source in the coming years.

4.4. The Reserve Bank of India and the ARDC had been following slightly different norms for regulating the lendings of PLDBs/branches of SLDBs under the ordinary and special development debenture programmes respectively. Beginning from 1975-76, uniformity in these norms has been brought about and common criteria are being applied under both the programmes including the IDA-assisted projects. The eligibility of PLDB/branch of SLDB for the lending programme during the year is directly linked to its recovery performance during the previous year and the lending programme eligible is a specified percentage of disbursements made by it during the previous year, according to the following scale.

Range of Overdues (% of demand)	Eligible lending programme (% of loans issued in the previous year)
0-25	Unrestricted
26-35	80
36-45	70
46-55	60
56-60	50
61-100	Nil

4.5. It is hoped that application of these criteria will impel the PLDBs/branches of SLDBs to achieve a better recovery performance. A concession is also given in computing the percentage of overdues in that the banks may take into account the share capital contribution by the state government to notionally reduce the overdues to an amount not exceeding 10 per cent of the demand for the year and thus become eligible for a higher lending programme applicable to that category. The facility of rescheduling of overdue loans arising out of scarcity conditions is also available to the SLDBs subject to certain conditions laid down by the Reserve Bank. A Standing Committee has also been set up by the RBI in the ARDC for keeping under review the common norms for the issue of debentures by the SLDBs. On the basis of the deliberations of this Committee, certain relaxations in the application of the above criteria to enable the banks to cover the second and subsequent instalments of committed loans have been given for the year 1975-76.

4.6. The on-farm investments under command area development projects are being carried out on a *chak* basis and it is necessary that all lands coming within the *chak* are developed to secure maximum benefit. This calls for substantial investment and sizable loan assistance. But experience has revealed that there are cases of landholders within the *chak* who are not entitled to get loans from banks for one reason or the other, such as not having valid titles to lands. One of the major constraints in command area development has been the question of financing such 'ineligible' farmers. The Government of India and the ARDC have now evolved a procedure by which funds may be made available to the 'ineligible' farmers through a special loan account constituted for the purpose in the ARDC. The contribution to this account will be made by the central government, concerned state government and the ARDC in the ratio of 50 : 25 : 25. The total area occupied or owned by ineligible farmers in the command area is generally expected ot be about 20 per cent of the area covered under the command area development programme. Detailed guidelines have been issued by ARDC setting out the procedure for release of funds from the special loan account.

4.7. Mention was made in the last year's annual report to the approval of three forestry projects by ARDC in Bihar, Andhra Pradesh and West Bengal. In order to enable the various forest plantation corporations to prepare suitable schemes of forestry development, ARDC issued comprehensive guidelines indicating the items which can be covered by bank finance, mode of financing, procedure for disbursement of funds, provision of working capital funds and supervision of the implementation of the project. The guidelines also specify the matters for which the respective state governments are responsible.

Amendments to the ARDC Act, 1963

4.8. Mention was made in the last year's annual report to the passing of various amendments to the ARDC Act by the Parliament in July-August 1975. These amendments took effect from 15 November 1975. Consequently, the Corporation has been renamed as the "Agricultural Refinance and Development Corporation".

4.9. The amendments to the Act fall into three distinct categories, viz., financial, administrative and procedural. Amendments of importance relate to the provision to raise the authorised share capital of the Corporation from Rs. 25 crores to Rs. 100 crores by the RBI with the prior approval of the Government of India, enabling the Corporation to accept gifts, grants, donations or benefactions form government or any other source, purchasing or subscribing to the bonds and debentures of eligible institutions and selling such bonds and debentures, permitting the ARDC to guarantee deferred payments in connection with the purchase of capital goods within and outside India, empowering the Board of ARDC to waive security in respect of an "eligible institution" or any class of "eligible institutions" having regard to the nature and scope of scheme of schemes for which accommodation is granted by the Corporation.

4.10. The ARDC Act, 1963, as amended now, enables the Corporation to provide working capital funds. The Corporation had decided that it would provide refinance against working capital on a selective basis in integrated schemes of development or by way of bridging finance where bulk purchase of materials for investments to be refinanced is involved. Following this amendment, the Corporation has agreed to provide refinance against the additional requirements of crop loans for growing improved varieties of cotton under the integrated cotton development project.

4.11. The ARDC Act has been extended to the State of Sikkim. The Corporation has requested the state government to make use of the promotional and financial facilities made available by it.

OTHER DEVELOPMENTS

Evaluation

5.1. The Evaluation Cell has completed study reports in respect of two minor irrigation schemes, viz. new dugwells with pumpsets scheme in 4 taluks of Sholapur district (Maharashtra) and installation of shallow tubewells under Karnal I Scheme (Haryana). The reports of the studies relating to the schemes in Andhra Pradesh and Karnataka are nearing completion.

5.2. During the year, a quick evaluation study to assess the the benefits accruing to the cultivators from minor irrigation investments under the Gujarat Agricultural Credit Project was undertaken by the Evaluation Cell.

5.3. With the growing volume of business of the member-banks in the agricultural sector, both in terms of number and as well as the types of schemes, the need for the banks to create within their organisation a project monitoring and evaluation cell is vital. For this purpose, the Corporation has suggested to the public sector banks and land development banks who have drawn sizable refinance from ARDC to set up such cells to initiate studies. At the request of the State Bank of India the Evaluation Cell also conducted a 3-day programme of training on project monitoring for their officers and the bank has set up project monitoring and evaluation cells in its Local Head Offices.

5.4. During the current year the Evaluation Cell will be looking into the completion report on the agricultural credit projects fully implemented in Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Besides, the Cell is also contemplating to take up some schemes for diversified purposes such as dairy, fisheries, plantations and lift irrigation for evaluation under the second phase of the programme.

Training

5.5. The increasing volume of business of the land development and commercial banks casts a responsibility upon them to ensure that lending policies and procedures are

sound and the end-use of credit is properly supervised. The appraisal staff of the member-banks should also be trained in the techniques of proper appraisal of investment proposals. As a development bank, the Corporation has recognised its role in this regard and has agreed to take upon itself the organisation of such a training programme. A Committee on Training has been set up in the ARDC headed by its Chairman and comprising representatives of the Government of India, Reserve Bank of India, NIBM, state land development banks and commercial banks to advise the Corporation on all aspects relating to training. An Internal Group will guide the ARDC on preparation of syllabus for the training courses and for generally guiding the programme.

(a) *Training of senior and middle level staff*

5.6. The training courses commenced with a 'Seminar on Development Banking for Agriculture' conducted in Pune in which the Chief Executives of LDBs and heads of agricultural finance departments of commercial banks participated. An agricultural projects course for the senior and middle level staff of LDBs, commercial banks and other interests has been arranged in the College of Agricultural Banking, Pune. The course is of 4 weeks duration. So far, 10 programmes have been completed in which 305 participants have benefitted. Of these, 109 were from LDBs, 117 from commercial banks and the remaining represented other interests. The future programme includes arranging 30 courses at Pune and other convenient outstations. These courses will be varied in nature to suit the requirements of technical and non-technical officers. It is estimated that nearly 1300 officers will be imparted training during the two year period 1975-77, of which at least 750 will be from the LDB structure.

(b) *Training of Junior level LDB staff*

5.7. As part of the ARC Credit Project a study for assessing the orientation requirements of the junior-level LDB staff was conducted by the ARDC mainly with the help of SLDBs. A report on the subject has since been furnished to GOI and IDA. According to the study, about 18,000 junior level LDB staff require orientation. Of these, the minimum number falling in the critical category who are to be put through the programme during a two year period is placed at around 9000. The main focus in these courses would be organising on-the-job training, specially required for the personnel of the organisation taking into account the perspective of the institution the areas in which it is functioning and the capacities of the staff. The intention is not to organise separate training institutes competing with the facilities provided by the institutions already existing in the country. These specialised courses would be organised by the SLDB under the overall supervision of the ARDC utilising to the extent feasible physical facilities already available in the state. The Corporation has proposed courses of 4 weeks duration which have been suitably structured to cater to the needs of the three broad categories into which the junior level staff belong. About 160 junior level courses are proposed in 1976-77 and 135 in the next year. A Steering Group has been set up in the Corporation to guide the conduct of junior level course which is expected to commence from August 1976. 'A Workshop for Trainers' for the training staff of the LDBs who will be conducting these courses is also proposed to be held at the Reserve Bank's Staff Training College, Madras. The training of junior level staff will lay emphasis on imparting training in the regional local languages. Efforts will also be made to develop the necessary skills within the SLDBs themselves so that a nucleus can be created for organising specialised training.

5.8. During the year a senior officer from the ARDC was deputed as observer to the Rural Credit Project course conducted by the Economic Development Institute, Washington. An officer was also deputed for Project Planning and Appraisal for Development Bankers at the University of Bradford, U.K. under the Colombo Plan.

PERSPECTIVE

In 1973-74 the Corporation had proposed a lending programme of Rs. 900 crores during the Fifth Plan, as part of the process of corporate planning; as a result of the performance budgeting attempted from time to time the programme was periodically reviewed on the basis of achievements and prospects. The achievement during 1974-75 was Rs. 106 crores against Rs. 120 crores anticipated. Therefore, in consultation with the Planning Commission and the different Departments in the Ministries in the Government of India, the programme was reviewed. While the overall programme for the five years of the Fifth Plan was kept unchanged at Rs. 900 crores, the programme for 1975-76 was estimated at Rs. 140 crores. Both in terms of the financial year (Rs. 155 crores) and in terms of the accounting year (Rs. 171 crores) the performance exceeded the expectations.

Perspective programme

6.2. Considering the high level of disbursements reached during the year under review the Corporation realised that potential exists for stepping up of the pace of disbursements to a level higher than what has been indicated in the perspective lending programme. Accordingly, the revised perspective lending programme during the Fifth Plan period has been tentatively fixed as under (Table 10).

Table 10

PERSPECTIVE PROGRAMME

Rs. Crores

Year (April-March)	Original Programme	Revised Programme I	Revised Programme II	Refinance Disbursed	
				Financial year (April-March)	Accounting year (July-June)
(1973-74)	(120)				
1974-75	150	101 (actual)	120	101	106
1975-76	180	140	140	155	171
1976-77	210	185	220		
1977-78	240	216	260		
1978-79	—	238	285		
	900	880	1025		

6.3. The assumption of a higher volume of disbursements is based on the fact that while minor irrigation will continue as an important purpose, demand for funds is likely to be on the increase in respect of one-farm development in command areas, plantations including commercial forestry, farm mechanisation, storage, etc. The recommendations of the National Commission on Agriculture are likely to get translated in terms of specific projects during the remaining years of the Fifth Plan and in the Sixth Plan. The National Commission on Agriculture has also recommended a higher volume of involvement on the part of the banking system to give effect to its recommendations. The Commission envisages institutoinal finance for term loans at Rs. 1,750 crores (net) by 1979. However, the position regarding the involvement

of banking system in achieving the targets and objectives for agricultural sector will be clear when the Fifth Plan document is finalised.

6.4. The Eastern Region Foodgrains Projects now being worked out by the World Bank will enable the potential of the Eastern Region to be developed to achieve a substantial increase in foodgrains production in the country. The study in this respect in regard to Orissa is almost complete and that in regard to West Bengal, Assam, and Bihar is in progress. The programme for Orissa will cover besides exploitation of ground water and surface water resources, a few major and medium irrigation systems, integrated command area development, arrangements for extension and research and facilities for input distribution. The Corporation was actively associated with the World Bank team in regard to the identification of ground water potential in the state and the preparation of the plan for the reorganisation of the credit system to meet the requirements of investment credit and production credit. Similarly, the Corporation is associated with the studies in the other states also. With this programme taking shape in the coming years, the investment potential in the area will be boosted.

6.5. In the last year's Report, mention was made of the pre-investment survey of the North Eastern Region of the country and the formulation of piggery schemes, again on the basis of the studies conducted by the Corporation; there are indications that concrete proposals are emerging. Tripura has formulated schemes for minor irrigation and for plantation of rubber, bamboo and other short growing species. Meghalaya has drawn up a project report for commercial forestry mainly emphasising the growing of pine and teak. The report is under scrutiny. The states in the region have now a better appreciation of the role of institutional credit in agricultural investment. Consequently it is proposed to continue the promotional effort initiated in the previous years.

6.6. With the increasing demand for facilities from the Corporation, the Corporation is having a fresh look at its organisational pattern and procedures. For the purpose, the Corporation has set up another Review Committee broadly on the lines of the one set up in 1973. The Review Committee would be expected to give a reorientation to the role of the regional offices and at the same time introduce simplified procedures and practices.

FINANCES

The main sources of funds of the ARDC for financing its lending programme during the two years 1974-75 and 1975-76 as well as the trends in various items during the five years 1971-72 to 1975-76 are presented in the following table :

Table 11

SOURCES OF FUNDS

Rs. Crores

	1974-75	Per cent of total	1975-76	Per cent of total	July 1971-June 1976	Per cent of total
1. Paid-up share capital and reserves/surplus ..	6·22	5·1	6·67	3·6	24·16	4·5
2. Special deposit by Reserve Bank of India ..	0·38	0·3	0·51	0·3	1·42	0·3
3. Borrowings from the Government of India ..						
(a) IDA funds	33·12	27·1	53·47	29·1	170·45	31·9
(b) Others	—	—	—	—	14·37	2·7
4. Borrowing from the Reserve Bank of India						
(a) N.A.C. (LTO) Fund	40·00	32·8	60·00	32·7	158·00	29·5
(b) Others	—	—	—	—	8·21	1·5
5. Bonds	33·00	27·1	38·50	20·9	118·25	22·1
6. Repayments by banks	9·27	7·6	24·59	13·4	40·01	7·5
Total	121·99	100·00	183·74	100·00	534·87	100·00

Share Capital

7.2. During the year, the ARDC issued the Fifth series of shares of paid-up value of Rs. 5 crores. The guarnteed dividend on the shares was 6.25 per cent. At the end of 30 June 1976 the authorised capital of the Corporation stood fully paid-up at Rs. 25 crores. The contributions of the various categories of shareholders to the share capital as on 30 June 1976 are as follows :

Table 12

CONTRIBUTIONS TO SHARE CAPITAL—SOURCES

Rs. Crores

	Shares		Per cent of total
	No.	Value	
1. Reserve Bank of India	14126	14·13	56·52
2. Central land development banks	4371	4·37	17·48
3. State co-operative banks	2057	2·06	8·24
4. Scheduled commercial banks	4131	4·13	16·52
5. Life Insurance Corporation of India ..	293	0·29	1·16
6. Other insurance and investment companies ..	22	0·02	0·08
	25000	25·00	100·00

7.3 In terms of the recent amendments to ARDC Act, 1963 the authorised share capital of the Corporation can be raised to Rs. 100 crores by the Reserve Bank of India with the previous approval of the Central Government. The ARDC has already initiated steps to augment its authorised share capital to Rs. 50 crores.

Borrowings from the Government of India

7.4 The borrowings from the Government of India which are at present limited to the rupee equivalent of the disbursements made under the World Bank Credits stood at Rs. 250 crores at the end of 30 June 1976.

Market Borrowings

7.5 In recent years sizable market borrowings have been resorted to by the ARDC as part of resource mobilization to finance its growing business. During the year under review the ARDC issued IX and X series of bonds for an aggregate sum of Rs. 38.5 crores. The issue price of these bonds was Rs. 99, carrying interest at 6 per cent per annum and maturing in 10 years. At the end of June 1976, the total market borrowings of the ARDC stood at Rs. 137.71 crores. The following table shows the amounts received from various categories of subscribers for the two series issued during the year and the aggregate contributions for the previous issues.

Table 13

SUBSCRIPTIONS TO BONDS

Rs. Crores

Subscribers	I to VIII	IX	X	Total
1. State Bank of India and subsidiaries	22·75	1·54	4·86	29·15
2. Nationalised banks	44·46	4·25	7·85	56·56
3. Other commercial banks	6·13	1·06	1·54	8·73
4. Life Insurance Corporation of India	0·95	0·10	0·25	1·30
5. Other insurance and investment companies	0·21	0·25	0·50	0·96
6. Co-operative banks	23·91	3·80	12·50	40·21
7. Others	0·80	—	(0·005)	0·80
Total	99·21	11·00	27·50	137·71

Borowings from the Reserve Bank of India

7.6 During 1975-76, the Reserve Bank of India initially sanctioned a limit of Rs. 40 crores for drawals under the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and this limit was fully utilised. In June 1976 when there was considerable step-up of ARDC's disbursements, RBI granted a supplementary limit of Rs. 20 crores which was also fully availed of. After allowing for repayments of Rs. 9.8 crores in respect of earlier loans the balance due from the ARDC to the Reserve Bank of India stood at Rs. 138,4 crores as at the end of June 1976.

7.7 The ARDC is also enjoying a limit of Rs. 15 crores for short-term loans from the Reserve Bank of India. At the end of June 1976, outstanding balance under this account was Rs. 1.7 crores.

Repayments

7.8 Repayments by the member-banks amounted to Rs. 24.59 crores during 1975-76 as against Rs. 9.27 crores the previous year. The agency-wise break-up of the aggregate repayments of Rs. 44.80 crores as at the end of 30 June is as under :

Table 14

REPAYMENT OF REFINANCE

Rs. Crores

Agency	Repayments		Total
	ARDC schemes	IDA-assisted schemes	
1. Scheduled commercial banks	13·52	2·66	16·18
2. State land development banks	7·56	16·25	23·81
3. State co-operative banks	4·81	—	4·81
Total	25·89	18·91	44·80

7.9 In view of the larger involvement of the land development banks under IDA-aided projects in which the repayments by these bank to the ARDC are on an annual basis, there is an increased inflow of funds into the ARDC.

Members

7.10 During the year, 6 more banks including 5 rural banks viz., Jammu and Kashmir Bank Ltd., Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gaur Gramin Bank, Malda, Haryana Kshetriya Gramin Bank, Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank and Samyut Kshetriya Gramin Bank, Belaisa became members of the Corporation. The Belgaum Bank Ltd. and Co-operative Fire and General Insurance Society Ltd., ceased to be members. The total membership of the Corporation as on 30 June 1976 stood at 114 as against 110 at the end of June 1975.

Board of Directors

7.11 The Board of Directors met 7 times during the year.

7.12 The Government of India nominated Sarvashri K. P. A. Menon, K. S. Narang and I. J. Naidu in place of Sarvashri A. K. Dutt, T. P. Singh and M. A. Quraishi respectively in terms of Section 10 (c) of the Agricultural Refinance and Development Corporaiton Act, 1963.

7.13 The Board placed on record their deep appreciation of the valuable services rendered to the ARDC by Shri A. K. Dutt, Shri T. P. Singh and Shri M. A. Quraishi.

Use of Hindi

7.14 The ARDC has been represented on the Official Languages Implementation Committee of the RBI to popularise the use of Hindi in the day-to-day working of the ARDC. All letters received in Hindi are being answered simultaneously in English and Hindi. The ARDC's Annual Report is published both in English and Hindi. The ARDC is associating itself with the steps taken by the Reserve Bank of India for popularising the use of Hindi and providing training facilities in Hindi for members of the staff.

Profits

7.15 The net profits of the Corporation during the year 1975-76 available for appropriation amounted to Rs. 216.83 lakhs after providing a sum of Rs. 59.47 lakhs towards special reserve being 10 per cent of the current profits as permissible under the Income Tax Act, 1961. The Directors recommend appropriation of the profits as under :

	Rs. lakhs
Transfer to Reserve Fund	107.68
Dividend on shares	109.14
	216.82

On behalf of the Directors
R. K. HAZARI

21 *August* 1976

Chairman

LIST OF STATEMENTS

		Page No.
1.	Trends in availment of refinance in relation to commitments	37
2.	Sanctions during 1975-76—Purposewise	37
3.	Sanctions during 1975-76—Regionwise and Statewise	38
4.	Sanctions during 1975-76—Agencywise	39
5.	Distribution of schemes sanctioned upto 30 June 1976—Purposewise	39
6.	Distribution of schemes sanctioned upto 30 June 1976 by State, Agency and Purpose	40
7.	Distribution of schemes sanctioned upto 30 June 1976—Agencywise	48
8.	Position of schemes sanctioned and refinance disbursed in less developed/under banked states	48
9.	Schemes sanctioned under the aegis of SFD/MFAL agencies as on 30 June 1976	50
10.	IDA/IBRD Projects—Brief description of each Project	52
11.	Position of IBRD/IDA Projects as on 30 June 1976	57
12.	Disbursement during 1975-76 according to State, Agency and Purpose	61
13.	Schemes under consideration as on 30 June 1976	66
14.	List of shareholders as on 30 June 1976	67

EXPLANATORY NOTES

1. The amounts have been rounded off to the nearest lakh of rupees.
2. The following symbols/abbreviations have been used in the Statements.

Symbols

@Latest available data
—Nil or negligible.

Abbreviations

Purpose :
- MI = Minor irrigation
- LD = Land development/Reclamation/Soil conservation
- FM = Farm mechanization
- P/H/FR = Plantation/Horticulture/Forestry
- P/SB = Poultry/Sheep breeding
- F = Fisheries
- DD = Dairy development
- S & M = Storage & Market yards
- AA = Agricultural aviation

Agency :
- 1: SLDB = State Land Development Bank
- 2: Com. Banks = Scheduled Commercial Banks
- 3: SCB = State Co-operative Bank

Statement 1

TRENDS IN AVAILMENT OF REFINANCE IN RELATION TO COMMITMENTS

Rs lakhs

Year (July-June)	No. of schemes sanctioned at the end of the year	ARDC commitment as phased		Disbursement		Disbursement as percentage of commitment	
		During the year	Upto the end of the year	During the year	Upto the end of the year	During the year	Upto the end of the year
1963-64	3	—	—	—	—	—	—
1964-65	13	447	447	45	45	10·1	10·1
1965-66	36	828	873	445	490	53·7	56·1
1966-67	42	940	1430	208	698	22·1	48·8
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30·6	49·6
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38·8	52·0
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46·4	64·1
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46·0	71·4
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40·5	70·8
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56·5	75·1
1973-74	1457	18820	43556	9784	31667	52·0	72·7
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56·8	69·5
1975-76	2905	29652	84778	17115	59420	57·7	70·1

Statement 2

SANCTIONS DURING 1975-76—PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commintment	Commitment of State Governments/Banks
Minor irrigation	410	18683	16681	2002
Land development/Reclamation/Soil conservation	16	2750	2184	566
Farm mechanization	264	10486	7950	2536
Plantation/Horticulture/Forestry	37	1089	738	351
Poultry/Sheep breeding	25	124	98	26
Fisheries	31	656	517	139
Dairy development	84	925	760	165
Storage & Market yards	41	916	758	158
Agricultural aviation	1	7	5	2
Total	**909**	**35636**	**29691**	**5945**

Statement 3

SANCTIONS DURING 1975-76—REGIONWISE AND STATEWISE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/Banks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. NORTHERN REGION				
Delhi	4	48	46	2
Haryana	27	2464	2097	367
Himachal Pradesh	2	27	24	3
Jammu & Kashmir	2	23	19	4
Punjab	34	4025	3051	974
Rajasthan	57	4100	3353	747
	126	10687	8590	2097

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II. NORTH-EASTERN REGION				
Assam	3	99	90	9
Manipur	1	41	37	4
Tripura	3	23	21	2
	7	163	148	15
III. EASTERN REGION				
Bihar	36	2606	2313	293
Orissa	53	1063	985	78
West Bengal	31	1104	997	107
	120	4773	4295	478
IV. CENTRAL REGION				
Madhya Pradesh	102	1471	1242	229
Uttar Pradesh	108	4888	4172	716
	210	6359	5414	945
V. WESTERN REGION				
Goa	7	46	36	10
Gujarat	20	464	364	100
Maharashtra	193	3665	3180	485
	220	4175	3580	595
VI. SOUTHERN REGION				
Andhra Pradesh	91	5219	4441	778
Karnataka	77	1999	1534	465
Kerala	9	107	88	19
Pondicherry	1	25	19	6
Tamil Nadu	48	2129	1582	547
	226	9479	7664	1815
Total (I to VI)	909	35636	29691	5945

Statement 4

SANCTIONS DURING 1975-76—AGENCYWISE

Rs lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/Banks
State Land Development Banks	256	20657 *(58·0)*	17662 *(59·5)*	2995
Scheduled Commercial Banks	650	14875 *(41·7)*	11945 *(40·2)*	2930
State Co-operative Banks	3	104 *(0·3)*	84 *(0·3)*	20
Total	909	35636 *(100·0)*	29691 *(100·0)*	5945

Figures in parenthesised italics are percentages of the total.

Statement 5

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976—PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments Banks	Disbursement
Minor irrigation	1537	91538	81879	9659	44602
Land development/Reclamation/Soil conservation	106	10045	7920	2125	3495
Farm mechanization	489	16790	12869	3921	6504
Plantation/Horticulture/Forestry	296	6222	4776	1446	1636
Poultry/Sheep breeding	74	421	353	68	164
Fisheries	121	2055	1579	476	707
Dairy development	195	2991	2461	530	593
Storage & Market yards	85	3254	2868	386	1702
Agricultural aviation	2	23	17	6	17
Total	**2905**	**133339**	**114722**	**18617**	**59420**

Statement 6

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region /State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1975-76	Upto 30 June 1976
						Upto 1975-76	During 1975-76		
I. *NORTHERN REGION*									
Delhi	2	FM	3	120	101	67	36	28	45
		P	1	20	16	16	—	—	—
		DD	4	47	46	40	24	—	2
	3	P	1	12	12	12	—	—	6
			9	199	175	135	60	28	53
Haryana	1	MI	36	6220	5599	3932	1344	467	3125
		LD	2	234	194	194	88	10	30
		FM	2	558	419	419	—	234	445
		P/H	2	54	40	40	—	—	30
		DD	1	51	38	14	14	—	—
	2	MI	43	2596	2121	1722	282	445	1230
		FM	21	824	620	514	112	408	567
		P	2	18	17	13	7	1	3
		DD	9	332	290	193	115	4	33
	3	DD	2	130	108	108	—	—	15
		S & M	3	243	243	243	—	—	243
			123	11260	9689	7392	1962	1569	5721
Himachal Pradesh	1	P/H	1	37	28	18	8	3	11
	2	FM	1	14	11	11	11	11	11
		P	1	6	6	4	4		
		DD	2	16	16	11	8	2	2
			5	73	61	44	31	16	24
Jammu & Kashmir	1	LD	1	8	7	7	4	—	—
		FM	1	34	26	12	12	10	10
		P/H	3	130	97	92	2	7	78
	2	FM	1	16	12	7	7	—	—
		DD	1	7	7	1	1	—	—
			7	195	149	119	26	17	88

Statement 6 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC	Commitment		Disbursement	
					Total	Phasing		During 1975-76	Upto 30 June 1976
						Upto 1975-76	During 1975-76		
Punjab	1	MI	31	3090	2801	2650	28	59	2442
		LD	12	686	553	430	141	71	238
		FM	3	1310	983	982	862	314	428
		P/H	2	187	140	140	13	—	—
	2	MI	12	967	777	578	233	74	307
		LD	1	30	24	8	5	—	—
		FM	36	2900	2174	2084	1964	760	877
		P	1	1	1	1	—	—	—
		DD	13	190	177	118	57	13	51
		S & M	1	122	97	97	—	—	47
	3	FM	1	18	16	16	16	15	15
		DD	4	107	89	89	—	—	—
		S & M	4	747	730	730	—	—	651
			121	10355	8562	7923	3319	1306	5056
Rajasthan	1	MI	66	3227	2950	1758	629	272	1023
		LD	5	481	360	263	14	2	13
		P/H	1	39	29	23	3	2	14
	2	MI	14	495	396	295	121	61	210
		LD	6	2613	2090	153	153	15	15
		FM	15	483	368	224	171	150	186
		P	1	5	4	4	2	—	—
		DD	5	99	80	6	6	4	4
		S & M	12	363	291	184	88	30	83
			125	7805	6568	2910	1187	536	1548
			390	29887	25204	18523	6585	3472	12490
II. NORTH-EASTERN REGION									
Assam	1	P/H	1	5	4	2	1	—	—
	2	MI	4	182	168	55	55	4	4
		FN	1	3	3	1	1	—	—
		P/H	9	178	154	144	10	—	134
		DD	1	12	12	2	2	1	1
		S&M	1	12	11	11	11	—	—
	3	P/H	1	6	6	6	—	—	—
			18	398	358	221	80	5	139
Manipur	2	FM	1	41	37	11	11	5	5
Meghalaya	2	P	2	5	5	—	—	—	—
Nagaland	3	LD	1	30	30	30	22	2	10
Tripura	2	MI	2	18	16	—	—	—	—
		P/H	1	5	5	1	1	1	1
			3	23	21	1	1	1	1
			25	497	451	263	114	13	15
III. EASTERN REGION									
Bihar	1	MI	13	3813	3432	2366	902	591	1981
		LD	1	112	83	83	—	—	83
		FM	2	142	128	40	40	—	—
		P/H	1	14	11	3	2	1	1
	2	MI	42	3693	3298	2428	1721	404	644
		FM	10	352	309	207	75	108	241
		FR	3	166	117	36	36	—	—
		S & M	20	535	479	399	223	204	289
	3	DD	2	70	53	53	21	10	10
			94	8897	7910	5615	3020	1318	3249

Statement 6 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

(Rs lakhs)

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1975-76	Upto 30 June 1976
						Upto 1975-76	During 1975-76		
Orissa	1	MI	13	1554	1423	522	363	87	116
		LD	5	85	65	52	20	4	27
		FM	1	80	60	50	20	4	12
		P/H	8	244	192	140	30	6	47
	2	MI	72	2007	1846	1244	1148	228	254
		LD	3	92	77	60	27	2	9
		FM	1	25	20	14	6	7	8
		P/H	3	86	73	34	13	—	2
		F	1	39	35	7	7	—	—
		DD	1	9	8	3	1	—	—
	3	F	1	39	35	7	7	—	—
		DD	1	19	19	11	5	—	—
			110	4279	3853	2144	1647	338	475
West Bengal	1	MI	30	1211	1096	480	324	129	171
		FM	1	28	26	5	5	—	—
		P/H	6	48	44	24	11	—	4
	2	MI	11	143	129	91	41	4	41
		FM	5	86	77	47	28	19	25
		P/H	3	28	24	24	9	6	23
		F	2	2	2	2	—	—	2
		DD	3	19	18	11	7	1	4
		S & M	3	64	57	22	22	—	—
			64	1629	1473	706	447	159	270
			268	14805	13236	8465	5114	1815	3994
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	1	MI	85	6211	5601	5133	1753	924	2795
		LD	3	166	125	121	32	5	16
		FM	1	100	75	75	—	1	72
	2	MI	120	3834	3425	3376	1784	826	1336
		FM	81	764	598	390	301	176	270
		DD	2	17	13	10	10	—	—
		S&M	3	38	38	14	14	—	—
	3	S&M	1	27	20	11	11	—	—
			296	11167	9895	9130	3905	1932	4489
Uttar Pradesh	1	MI	130	15200	13754	9490	3193	1590	6305
		LD	3	58	45	9	9	—	—
		P/H	8	182	137	84	31	15	17
	2	MI	60	1565	1380	1276	599	338	583
		LD	3	942	686	678	3	30	164
		FM	137	3231	2511	1657	837	602	1089
		SB	1	8	2	2	2	—	—
		DD	10	209	173	138	52	15	47
		S&M	2	42	34	19	19	8	8
	3	DD	2	64	48	48	—	—	—
		S&M	1	155	155	155	—	—	150
			357	21651	18925	13556	4745	2598	8363
			653	32818	28820	22686	8650	4530	12852
V. WESTERN REGION									
Goa	2	MI	1	5	3	3	—	—	3
		F	21	62	51	49	5	16	21
	3	F	1	40	30	26	26	7	7
			23	107	84	78	31	23	31

Statement 6 (*Contd.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1975-76	Upto 30 June 1976
						Upto 1975-76	During 1975-76		
Gujarat	1	MI	51	6029	5427	5427	—	100	4414
		FM	1	351	263	263	—	—	233
		P/H	2	29	22	22	—	—	22
	2	MI	3	103	82	13	12	7	8
		FM	25	785	614	365	256	176	316
		F	1	11	9	7	3	7	7
		DD	11	307	257	122	86	36	114
		S&M	2	37	28	17	6	7	17
	3	F	2	198	179	13	5	—	—
		S&M	1	2	2	2	—	—	2
			99	7852	6883	6251	368	333	5133
Maharashtra	1	MI	148	8206	7357	3783	830	1128	4834
		LD	8	411	341	198	—	170	368
		FM	2	278	208	207	157	153	153
		P/H	5	165	141	61	—	—	—
	2	MI	244	2680	2141	1469	273	551	969
		FM	65	478	369	204	66	91	113
		P/H	2	11	9	5	5	—	—
		P	9	36	27	27	4	4	27
		F	3	16	9	5	5	—	7
		DD	58	613	485	219	181	142	232
		S&M	1	70	56	54	—	4	51
		AA	1	7	5	5	5	5	5
	3	F	5	180	84	84	—	—	78
			551	13151	11232	6321	1526	2248	6837
			673	21110	18199	12650	1925	2604	12001
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	1	MI	119	7757	7047	4662	2687	780	3401
		LD	21	1864	1519	1478	44	24	1309
		FM	3	880	660	232	232	233	233
		P/H	9	263	196	65	27	14	37
		SB	5	55	40	17	13	4	4
		F	1	268	201	—	—	—	—
		DD	11	215	161	18	18	19	19
	2	MI	50	987	836	659	61	73	274
		LD	1	50	38	38	—	—	38
		FM	18	406	311	152	121	41	52
		P/H	1	4	4	4	4	4	4
		P/SB	29	135	110	81	52	28	53
		DD	25	269	223	142	99	36	37
	3	F	1	58	39	39	39	39	39
			294	13211	11385	7587	3397	1295	5500
Karnataka	1	MI	15	3792	3412	3412	—	871	3048
		LD	14	1143	864	864	96	39	532
		FM	3	642	482	460	460	307	307
		P/H	32	1161	871	777	125	146	458
	2	MI	26	432	389	367	47	52	91
		LD	5	89	67	67	3	—	—
		FM	34	922	694	610	394	407	469
		P/H	92	472	388	281	59	13	149
		P/SB	15	48	40	34	6	8	27
		F	14	205	165	161	89	37	81
		DD	10	48	40	37	15	—	—
		S&M	28	655	514	310	195	35	64
	3	P/H	2	165	165	165	—	—	25
		F	2	208	143	143	—	—	137
		S&M	2	132	113	71	—	31	97
			294	10114	8347	7759	1489	1946	5485

Statement 6 (*Concld.*)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1975-76	Upto 30 June 1976
						Upto 1975-76	During 1975-76		
Kerala	1	MI	3	86	77	49	3	—	47
		LD	4	86	65	64	14	8	21
		P/H	21	698	523	191	74	55	194
	2	MI	1	39	31	31	—	2	31
		LD	2	185	177	177	138	110	150
		FM	3	46	36	30	21	13	20
		P/H	20	146	137	132	3	3	112
		F	39	69	55	55	1	8	36
		DD	5	36	23	23	10	1	2
	3	P	1	22	22	11	11	—	—
		F	3	154	154	151	66	8	56
			102	1567	1300	914	341	208	669
Pondicherry	2	MI	1	6	6	6	—	1	11
		DD	3	24	13	13	7	—	11
	3	F	2	47	34	26	11	3	15
			6	77	53	45	18	4	27
Tamil Nadu	1	MI	91	5390	4859	3842	971	750	4914
		LD	3	627	470	470	—	—	469
		FM	1	780	585	585	585	286	286
		P/H	17	967	725	314	121	14	132
	2	LD	2	53	40	4	—	—	3
		FM	9	93	73	67	67	16	16
		P/H	40	732	494	184	45	17	141
		P	4	17	13	13	13	7	8
		F	20	355	280	226	160	118	175
		DD	9	81	64	57	29	4	9
		AA	1	16	12	12	—	—	12
	3	SB	1	38	38	38	18	16	36
		F	2	104	74	74	10	—	46
			200	9253	7727	5886	2019	1228	6247
			896	34222	28812	22191	7264	4681	17928
Total (I to VI)			**2905**	**133339**	**114722**	**84778**	**29652**	**17115**	**59420**

Statement 7

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1976—AGENCYWISE

Rs lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/ Banks	Disbursement
State Land Development Banks	1071	87742 (65·8)	77081 (67·2)	10661	44969
Scheduled Commercial Banks	1784	42582 (31·9)	35000 (30·5)	7582	12813
State Co-operative Banks	50	3015 (2·3)	2641 (2·3)	374	1638
Total	**2905**	**133339 100·0**	**114722 100·0**	**18617**	**59420**

Figures in parenthesised italics are percentages of the total.

Statement 8

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED/UNDERBANKED STATES

Rs lakhs

Particulars	Schemes sanctioned			Disbursement	Percentage of total disbursement
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage of total commitment		
UTTAR PRADESH					
Upto 1970-71	32	2566	10·3	671	7·5
During 1971-72	33	2784	20·6	604	17·3
„ 1972-73	26	1573	9·1	1143	12·1
„ 1973-74	85	4012	18·2	1498	15·3
„ 1974-75	75	3714	18·2	1849	17·3
„ 1975-76	108	4172	14·1	2598	15·2
As on 30 June 1976	357	18925	16·5	8363	14·1
MADHYA PRADESH					
Upto 1970-71	19	1709	6·9	170	1·9
During 1971-72	14	877	6·5	187	5·3
„ 1972-73	18	1172	6·8	319	3·4
„ 1973-74	122	5484	24·9	645	6·6
„ 1974-75	38	795	3·9	1234	11·6
„ 1975-76	102	1242	4·2	1932	11·3
As on 30 June 1976	296	9895	8·6	4489	7·6
BIHAR					
Upto 1970-71	8	1360	5·5	193	2·2
During 1971-72	1	100	0·7	67	1·9
„ 1972-73	4	113	0·7	154	1·6
„ 1973-74	16	2738	12·4	585	5·9
„ 1974-75	28	2069	10·1	932	8·8
„ 1975-76	36	2313	7·8	1318	7·7
As on 30 June 1976	94	7910	6·9	3249	5·5
ORISSA					
Upto 1970-71	8	155	0·6	27	0·3
During 1971-72	2	80	0·6	8	0·2
„ 1972-73	8	261	1·5	11	0·1
„ 1973-74	5	792	3·6	8	0·1
„ 1974-75	38	1684	8·2	82	0·8
„ 1975-76	53	985	3·3	338	1·9
As on 30 June 1976	110	3853	3·4	475	0·8
WEST BENGAL					
Upto 1970-71	6	160	0·6	13	0·1
During 1971-72	4	30	0·2	5	0·1
„ 1972-73	4	21	0·1	4	0·1
„ 1973-74	12	247	1·1	22	0·2
„ 1974-75	9	127	0·6	69	0·6
„ 1975-76	31	997	3·4	159	0·9
As on 30 June 1976	64	1473	1·3	270	0·5
RAJASTHAN					
Upto 1970-71	11	697	2·8	161	1·8
During 1971-72	16	977	7·2	83	2·4
„ 1972-73	5	507	2·9	136	1·4
„ 1973-74	20	666	3·0	283	2·9
„ 1974-75	16	851	4·2	350	3·3
„ 1975-76	57	3353	11·3	536	3·3
As on 30 June 1976	125	6568	5·7	1548	2·6
Total of all less developed/ underbanked states* (including above 6 states) As on 30 June 1976	1083	49285	43.0	18661	31·4
Total of all states As on 30 June 1976	**2905**	**114722**	**100·0**	**59420**	**100·0**

*Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Assam and other North-Eastern States.

Statement 9

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES AS ON 30 JUNE 1976

Rs lakhs

Region/State/ Union Territory	Agency	Purpose	No. of schemes	Total financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1975-76	Upto 30 June 1976
						Upto 1975-76	During 1975-76		
I. NORTHERN REGION									
Delhi	Com. Banks	DD	4	47	46	40	23	—	2
Haryana	SLDB	LD	1	17	17	17	6	—	—
	Com. Banks	P	1	11	11	4	4	1	3
		DD	3	98	98	64	36	7	23
Himachal Pradesh	Com. Banks	P	1	6	6	4	4	—	—
		DD	2	17	16	11	8	4	4
Jammu & Kashmir	SLDB	LD	1	6	6	6	4	—	—
	Com. Banks	DD	1	7	7	1	1	—	—
Punjab	SLDB	MI	4	179	179	179	—	7	117
	Com. Banks	P	1	1	1	—	—	—	—
		DD	12	158	153	96	57	13	29
Rajasthan	SLDB	MI	10	621	604	526	205	111	315
			41	1168	1144	948	348	143	493
II. NORTH-EASTERN REGION									
Assam	Com. Banks	MI	4	114	106	37	37	3	3
		DD	1	15	13	2	2	1	1
Meghalaya	Com. Banks	P	2	5	5	—	—	—	—
Tripura	Com. Banks	MI	2	17	15	—	—	—	—
			9	151	139	39	39	4	4
III. EASTERN REGION									
Bihar	Com. Banks	MI	1	61	56	42	29	19	19
Orissa	SLDB	MI	3	242	242	112	72	—	5
	Com. Banks	MI	2	397	397	158	99	—	12
		LD	1	16	16	16	16	2	3
		P/H	2	14	14	1	1	—	—
		DD	1	5	5	2	1	—	—
	SCB	DD	1	16	16	9	5	—	—
West Bengal	SLDB	MI	5	106	101	62	36	19	35
		P/H	3	21	21	9	5	—	—
	Com. Banks	MI	4	51	47	21	6	3	13
		DD	2	15	15	8	6	1	4
			25	944	930	440	276	44	91
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	SLDB	MI	7	242	242	218	54	—	80
	Com. Banks	MI	2	24	21	21	21	—	—
		DD	1	11	8	8	8	—	—
Uttar Pradesh	SLDB	MI	7	734	734	734	118	32	557
	Com. Banks	MI	2	21	20	14	4	1	2
		DD	3	37	35	31	28	8	8
			22	1069	1060	1026	233	41	647
V. WESTERN REGION									
Gujarat	Com. Banks	DD	9	58	57	31	19	16	23
Maharashtra	SLDB	MI	9	100	96	96	—	33	42
	Com. Banks	MI	2	11	11	4	4	—	—
		DD	3	9	9	9	4	1	3
			23	178	173	140	27	50	68
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	SLDB	MI	10	715	709	425	349	147	253
	Com. Banks	MI	1	18	18	10	7	3	5
		P/H	1	4	4	4	4	4	4
		P	1	2	2	1	1	—	—
		SB	2	19	19	9	9	10	10
		DD	5	60	58	44	27	8	8
Karnataka	SLDB	MI	3	484	484	464	19	100	344
	Com. Banks	MI	2	54	53	37	16	—	—
		SB	1	4	4	3	1	—	—
Kerala	Com. Banks	F	1	2	1	1	1	—	—
		DD	3	29	27	19	12	—	—
	SCB	P	1	22	21	11	11	—	—
Pondicherry	Com. Banks	DD	1	9	6	6	—	—	6
Tamil Nadu	SLDB	MI	6	170	161	87	53	25	46
			38	1592	1567	1121	510	297	676
Total (I to VI)			**158**	**5102**	**5013**	**3714**	**1433**	**579**	**1979**

Statement 10

IDA/IBRD PROJECTS—BRIEF DESCRIPTION OF EACH PROJECT

The agricultural credit projects assisted by the World Bank envisage large investments in minor irrigation (such as dugwells, dug-cum-borewells, shallow, medium and deep tubewells, lift irrigation units and installation of pumpsets, laying of pipelines and incidental land levelling), land development and financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and combines. In the case of other projects, the names would indicate the items of development proposed to be undertaken under each of them. ARC Credit Project is of a general nature supporting the lending activities of the Corporation in minor irrigation and other approved diversified purposes.

Brief particulars of each project showing the total cost, IDA/IBRD assistance, assistance to be routed through the Corporation, agencies implementing the project, outline description of the nature of development envisaged and progress of the projects are given below :—

1. A. ARC Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 168·5 million (Rs. 135 crores)—IDA assistance $ 75 million (Rs. 60 crores) to be routed through the Corporation.

C. Financing programme of agricultural lending supporting the activities of the Corporation for investments in minor irrigation and other diversified forms of lending, training of personnel of institutions associated with the implementation of the project and a study on the feasibility of merging the short-term and long-term co-operative credit institutions in the country.

D State co-operative land development banks, state co-operative banks and scheduled commercial banks.

E. Two years—closing date 31 December 1977.

F. The ARDC has so far disbursed Rs. 47 crores under the project. A study on the training requirements of junior-level LDB staff completed and report sent to IDA—for senior and middle level staff of LDBs, etc. training courses are regularly conducted at CAB, Poona. A committee has been set up in ARDC under the Chairmanship of Dr. R. K. Hazari, Deputy Governor, RBI to study the feasibility of integration of long-term and short-term co-operative credit institutions. The work of the committee is in progress.

A. Andhra Pradesh Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 45 million (Rs. 33·8 crores)—IDA assistance $ 24·4 million (Rs. 18·3 crores)—$ 23·2 million (Rs. 18·1 crores) to be routed through the corporation.

C. Financing minor irrigation investments, land development and farm mechanization equipment.

D. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date 30 June 1974 since extended to 30 June 1975 and closed as on that date for minor irrigation and land development. Further extended to 30 June 1977 for farm mechanization equipment.

F. Project completed except for farm mechanization programme. Out of 1266 tractors, 281 have been procured.

A. Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project.* (ARDC programme).

B. Cost of the project—$ 297 million (Rs. 267 crores)—IBRD assistance $145 million (Rs. 130·5 crores)—$ 9·1 million (Rs. 8·1 crores) to be routed through the ARDC.

C. The project includes completion of the canal and drainage networks and construction of village road net-work in Nagarjunasagar Irrigation Project (NSP) and initiates Command Area Development (CAD) in NSP, Pochampad and Tungabhadra High Level Canal Command Areas.

D. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.

E. Closing date 31 December 1982.

F. The project was sanctioned recently.

4. A Bihar Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 60 million (Rs. 45 crores) —IDA assistance $ 32 million (Rs. 24 crores) to be routed through the Corporation.

C. Minor irrigation programme including sinking of tubewells, installation of diesel pumpsets for low lift pumping from surface water.

D. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date December 1976.

F. The SLDB/PCBs have made disbursement of the order of Rs. 15 crores.

5. A. Bihar Market Yards Project.

B. Cost of the Project—$ 23·3 million (Rs. 16·9 crores)—IDA assistance $ 14 million (Rs. 10.1 crores.—$ 13·8 million (Rs. 10 crores) to be routed through the Corporation.

C. For investment in market facilities in about 50 towns in Bihar including civil works such as construction of entrance roads, surfacing, fencing godowns, traders' shops, etc.

D. State Bank of India.

E. Five years—closing date 31 December 1978.

F. The ARDC has so far made disbursement of Rs. 2·9 crores under the project.

6. A. Gujarat Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 67 milllon (Rs. 50·2 crores) —IDA assistance $ 35 million (Rs. 26·3 crores) of which $ 34.7 million (Rs. 25·3 crores) to be provided through the Corporation.

C. Financing of minor irrigation investments and farm mechanization equipment (tractors) and groundwater study.

D. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.

E. Three years—closing date 30 June 1974 was extended to 31 March 1975.

F. The project has been completed.

LEGEND

A : Name of the Project. B: Cost of the Project. IDA/IBRD assistance and amount to the routed through ARDC.
C : Project description. D : Implementing agency. E : Period of implementation. F : Progress of the Project.
* Indicates projects sanctioned in 1975-76.
Rupee-dollar exchange rate obtaining at the time of negotiations of the projects has been used for conversion.

7. A. Haryana Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project— $62·2 million (Rs. 45·2 crores)— IDA assistance $25 million (Rs. 18·2 crores) to be routed through the Corporation.

C. Financing of minor irrigation investments comprising installation of shallow tubewells and imported and indigenous farm mechanisation equipment, viz., tractors, harvesters and self-propelled combines.

D. Haryana State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date 31 March 1975 since extended upto 30 June 1977.

F. Minor irrigation programme originally contemplated under the project was fully utilized. A credit reallocation of $8 million from tractor category to minor irrigation category was approved by IDA Minor irrigation programme (reallocated) has been nearly completed. Distribution of first lot of tractors (2704) has been completed. For second phase (1705 tractors) the programme has commenced after completion of formalities and 805 tractors have been procured.

8. A. Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project. (ARDC Progamme).

B. Cost of the Project— $21·5 million (Rs. 16·1 crores)—IDA assistance $13 million (Rs. 9·8 crores)—IDA assistance to be routed through the Corporation is Rs. 3·7 crores.

C. To finance improvements in the apple processing and marketing industry in Himachal Pradesh through establishment of Horticultural Produce Processing and Marketing Corporation—Assistance will cover construction of packing houses, collecting station, transhipment centre, cold storage units and juice concentrate plant. Erection of aerial ropeways and construction of new roads for timely transport of produce are also envisaged.

D. Selected Commercial Banks.

E. Four years—closing date 31 December 1978.

F. Initial delays were experienced due to managerial and technical problems.

9. A. Integrated Cotton Development Project.*

B. Cost of the project— $36 million (Rs. 28·8 crores)—IDA assistance $18 million (Rs. 14·4 crores)— $12·9 million (Rs. 10·32 crores) to be routed through the Corporation.

C. Provision of production credit for growing improved varieties of cotton, processing and ginning of cotton and cotton seeds, seed production and quality control of cotton, research, breeder and founder seed production.

D. State Co-operative Banks and selected commercial banks.

E. Five years—closing date 31 December 1981.

F. Subsidiary Loan agreement with GOI has been executed—loan applications for financing seasonal agricultural operations are being examined by ARDC.

10. A. Karnataka Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project— $75·4 million (Rs. 54·9 crores)—IDA assistance $40 million (Rs. 30·0 crores) of which $37·7 million (Rs. 27·5 crores) to be routed through the Corporation.

C. Financing of minor irrigation investments and land reclamation and purchase of tractors and land reclamation equipment.

D. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date 31 October 1975 since extended to 31 December 1976.

F. Minor irrigation component has almost been completed. Progress of disbursements under tractor component is satisfactory.

11. A. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project.

B. Cost of the Project— $13 million (Rs. 9·5 crores) —IDA assistance $8 million (Rs. 6·4 crores) — $7·9 million (Rs. 6·4 crores) to be routed through the Corporation.

C. Market facilities including civil works, structures, utilities, equipment, etc.

D. Selected commercial banks.

E Five years—closing date 31 December 1979.

F. The ARDC has approved 26 markets involving ARDC's commitment of Rs. 4·5 crores.

12. A. Karnataka Dairy Development Project.

B. Cost of the Project— $43·5 million (Rs. 34·8 crores) —IDA assistance $30 million (Rs. 24 crores) of which $20·9 million (Rs. 16·7 crores) to be routed through the Corporation.

C. An integrated programme for increasing the production of milk in rural areas of Karnataka State by providing technical services or quality cross breeding and animal health and the development of facilities for milk collection processing and marketing.

D. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd. Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Eight years—closing date 30 September 1982.

F. The ARDC drew up a banking plan or financing four dairy unions.

13. A. Madhya Pradesh Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project— $60·3 million (Rs. 45·2 crores)—IDA assistance $33 million (Rs. 25 crores) to be routed through the Corporation.

C. Financing of on-farm investment including construction of dugwells improvement in existing installation of electric and diesel pumpsets and persian wheels and incidental land levelling.

D. Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date 31 December 1976.

F. The LDB/PCBs have disbursed Rs. 33 crores.

14. A. Madhya Pradesh Dairy Development Project.

B. Cost of the Project— $31·2 million (Rs. 25 crores)—IDA assistance $16·4 million (Rs. 13·1 crores)— $13·7 million (Rs. 10·9 crores) to be routed through the Corporation.

C. Construction of 3 dairy plants, 3 cattle seed mills, cattle breeding farm etc.

D. Scheduled commercial banks.

E. Six years—closing date 30 June 1982.

F. Banking Plan has been finalised. ARDC conducted training programmes in Bhopal.

15. A. Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project.

B. Cost of the Project— $45·8 million (Rs. 36·6 crores)—IDA assistance $24 million (Rs. 19·2 crores)— $3·1 million (Rs. 2·5 crores) to be routed through the Corporation.

C. Irrigation and drainage works on-farm development, roads, ravine erosion control, mechanical equip ment and technical assistance.

D. Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd. and scheduled commercial banks.

E. Three years—closing date 31 December 1979.

F. Banking plan finalised. Two schemes have been technically cleared for implementation.

16. A. Maharashtra Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 52·4 million (Rs. 38·2 crores)—IDA assistance $ 30 million (Rs. 21·8 crores)—$ 25·4 million (Rs. 18·5 crores) to be routed through the Corporation.

C. Minor irrigation programme including tube wells, lift irrigation, dugwells, dugwell improvements, energisation of wells and land levelling investments.

D. Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date 31 December 1975. Since extended to 30 June 1976.

F. The entire programme has since been completed.

17. A. National Seed Project.*

B. Cost of the Project—$ 52·7 million (Rs. 47·4 crores)—IBRD assistance $ 25 million (Rs. 22·5 crores)—$ 18·15 million (Rs. 16·34 crores) to be routed through the ARDC.

C. The project would be the first phase for the development of National Seed Programme covering 4 states. It would provide assistance to the National Seeds Corporation to improve storage and marketing and for vegetable seed production and to Universities through ICAR. Certified variety of seed of the major cereals and certified cotton seed production have been envisaged.

D. Selected commercial banks.

E. Closing date—31 December 1980.

F. The project was sanctioned recently. Managing Director held discussions with the Chairman, National Seeds Corporation in May 1976 and broad consensus was reached on the banking plan for the project.

18. A. Punjab Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 40 million (Rs. 30·1 crores)—IDA assistance $ 27·5 million (Rs. 20 crores) to be provided through the Corporation.

C. Financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and self-propelled combines.

D. Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Two years—closing date which was earlier stipulated as 31 December 1972 was extended from time to time. Further extension has been granted upto 30 June 1977.

F. Distribution of first lot of 1025 tractors completed. Under the second lot (6975), 3329 tractors have been financed by the member-banks.

19. A. Chambal Command Area Development Project (ARDC Programme)—Rajasthan.

B. Cost of the Project—$ 12 million (Rs. 9·6 crores) —IBRD assistance $ 6·5 million (Rs. 5·2 crores) to be routed through the Corporation.

C. The Project would include drainage, lining of canals, increasing the capacity of canals, building or improving control structures, on-farm development including irrigation and drainage ditches, land shaping, construction of roads, afforestation, erosion control and supply of fertilizers.

D. Selected commercial banks.

E. Six years—closing date 30 June 1981.

F. State Government have set up a Command Area Development Authority. Technical clearance has been given for one catchment area programme.

20. A. Rajasthan Canal Command Area Development Project (ARDC Programme).

B. Cost of the Project—$ 39·8 million (Rs. 31·8 crores)—IDA assistance $ 22·5 million (Rs. 18 crores) to be routed through the Corporation.

C. The Project would cover lining of distributory canals, construction of roads, pasture development, afforestation, provision of fertilizers and on-farm development including land shaping, reclamation and lining of water courses.

D. Selected commercial banks.

E. Five years—closing date 30 June 1980.

F. State Government have set up a Command Area Development Authority. The Corporation has technically cleared 302 chaks for implementation.

21. A. Rajasthan Dairy Development Project.

B. Cost of the Project—$ 51·8 million (Rs. 41·4 crores)—IDA assistance $ 27 million (Rs. 21·6 crores)—$ 22·3 million (Rs. 17·2 crores) to be routed through the Corporation.

C. Formation of about 1,800 Dairy Co-operative Societies grouped in 5 milk producers' unions equipped with dairy and feed plants.

D. State Land Development Bank, State Co-operative Bank and scheduled commercial banks.

E. Seven years—Closing date 31 December 1982.

F. Banking Plan has been finalized. Rajasthan State Dairy Development Corporation has been set up. Key personnel appointed. Clearance has been given for financial assistance for technical component for two unions.

22. A. Tamil Nadu Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 62·3 million (Rs. 46·8 crores)—IDA assistance $ 35 million (Rs. 26·2 crores) of which $ 29·8 million (Rs. 22·9 crores) to be routed through the Corporation.

C. Financing of minor irrigation investments including sinking of filter point wells, shallow and medium tubewells, land levelling, land drainage and tractors.

D. Tamil Nadu State Co-operative Land Development Bank Ltd.

E. Three years—closing date 31 December 1974 since extended upto 31 December 1976.

F. Minor irrigation component of the credit (including amounts reallocated from land development and land drainage) has been fully drawn. Credit allocation in respect of farm mechanization programme has not been utilized; 762 tractors have been financed under the project out of 1,500 tractors.

23. A. Tarai Seeds Project—Uttar Pradesh.

B. Cost of the Project—$ 22·4 million (Rs. 16·8 crores)—IBRD assistance $ 13 million (Rs. 9·8 crores)—$ 9 million (Rs. 6·8 crores) to be routed through the Corporation.

C. Land Development in the Tarai area of Uttar Pradesh with a view to increasing the availability of high yielding varieties of foodgrains.

D. State Bank of India.

E. Closing date 30 June 1974, since extended to 31 December 1976.

24. A Uttar Pradesh Agricultural Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 72·5 million (Rs. 54·3 crores)—IDA assistance $ 38 million (Rs. 28·5 crores) to be routed through the Corporation.

C. Financing of on-farm investments such as construction of masonry wells or dugwells, shallow tubewells, medium depth tubewells, persian wheels and installation of electric and diesel pumpsets.

D. Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.

E. Three years—closing date 31 December 1976.

F. The LDB/PCBs have disbursed Rs. 25 crores.

25. A. West Bengal Agricultural Development Credit Project.

B. Cost of the Project—$ 59 million (Rs. 47 crores) —IDA assistance $ 34 million (Rs 27·2 crores) —$ 15 million (Rs. 12 crores) will be routed through the Corporation.

C. Construction of shallow and deep tubewells, establishment of agro-service centres, development of markets and completion of river lift irrigation.

D. West Bengal State Co-operative Land Development Bank Ltd., scheduled commercial banks and West Bengal State Minor Irrigation Corporation.

E. Four years—closing date 31 March 1980.

F. Banking Plan has been finalised recently.

Statement 11

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1976

Rs. lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
A. IBRD PROJECTS								
(a) Tarai Seeds Project (U.P.)	(a) 12-9-69 (b) 30-6-74 (c) 31-12-76	LD	927	675	Com. Banks	222	164	136
(b) Chambal Command Area Development Project (Rajasthan)	(a) 12-12-74 (b) 30-6-81	LD	619	520	Com. Banks	—	1	—
(c) National Seed Project (A.P., Haryana, Punjab & Maharashtra)	(a) — (b) 31-12-80		2169	1634		—	—	—
(d) Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project	(a) — (b) 31-12-82		1240	819		—	—	—
			4955	3648		222	165	136
B. IDA PROJECTS								
(a) ARC Credit Project	(a) 5-8-75 (b) 31-12-77	MI Other purposes	11100 900	5520 400	SLDBs Com. Banks SCB		3726 966 7	902
			12000	5920			4699	902
(b) Integrated Cotton Development Project	(a) 24-8-76 (b) 31-12-81	S.T. crop loan for cotton	889	600		—	—	—
		Cotton Ginning & Seed processing	720	432		—	—	—
			1609	1032				
(c) Agricultural Credit Projects								
1. Andhra Pradesh	(a) 10-5-71 (b) 30-6-74 (c) 30-6-77	MI	2111	1393	SLDB	1996 (425)	1776	1426
					Com. Banks	114 (14)	104	
		LD	230	154	SLDB	230 (63)	151	
		FM	806	431	SLDB	140	34	
					Com. Banks	30	10	
			3147	1978		2510 (502)	2075	1426

Statement 11—(*Contd.*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1976

Rs. lakhs

Project	Effective/ closing dates	Pur-pose	Total lending pro-gramme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissi-ble to ARDC	Agency	Disburse-ment by PLDBs/ PCBs@	Disburse-ment by ARDC	Amount received from Govern-ment of India
2. Bihar	(*a*) 29-3-74 (*b*) 31-12-76	MI	4473	2728	SLDB	1312 (406)	1204	758
					Com. Banks	211 (77)	224	
			4473	2728		1523 (483)	1428	758
3. Gujarat	(*a*) 14-9-70 (*b*) 30-6-74 (*c*) 31-3-75	MI	4027	2344	SLDB	4027 (7)	3635	2608
		FM	351	182	SLDB	319	239	
			4378	2526		4346 (7)	3874	2608
4. Haryana	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-3-75 (*c*) 30-6-77	MI	1962	903	SLDB Com. Banks	2660 76	1894 64	1495
		FM	1565	1002	SLDB Com. Banks	560 710	406 507	
			3527	1905		4006	2871	1495
5. Karnataka	(*a*) 25-9-72 (*b*) 31-10-75 (*c*) 31-12-76	MI	2980	1967	SLDB	2723 (680)	2404	1923
					Com. Banks	96	76	
		LD	525	315	SLDB	230 (54)	165	
		LR	195	195	—	—	—	
		Equip. FM	1575	1008	SLDB Com. Banks	350 400	306 355	
			5275	3485		3799 (734)	3306	1923
6. Madhya Pradesh	(*a*) 10-10-73 (*b*) 31-12-76	MI (including LD)	4003	2619	SLDB	2018 (194)	1739	1506
					Com. Banks	1248 (317)	1223	
			4003	2619		3266 (511)	2962	1506
7. Maharashtra	(*a*) 31- 1-73 (*b*) 31-12-75 (*c*) 30-6-76	MI	3697	2207	SLDB	3475 (193)	3140	2179
					Com. Banks	187 (23)	178	
		LD	226	108	SLDB	226	170	
		FM	211	148	SLDB	190	143	
			4134	2463		4078 (216)	3631	2179
8. Punjab	(*a*) 4-9-70 (*b*) 31-12-73 (*c*) 30-6-77	FM	4000	2380	SLDB	520	428	760
					Com. Banks	1250	854	
			4000	2380		1770	1282	760

Statement 11 (*Concld.*)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1976

Rs. Lakhs

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC @	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
9. Tamil Nadu . .	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-12-74 (*c*) 31-12-76	MI	3001	1861	SLDB	3001 (230)	2781	1955
		LD	88	61	SLDB	88	66	
		FM	780	492	SLDB	380	285	
		Earth moving machinery	243	243		—	—	
			4112	2657		3469 (230)	3132	1955
10. Uttar Pradesh . .	(*a*) 31-10-73 (*b*) 31-12-76	MI	5710	3565	SLDB	1908 (1094)	1735	1269
					Com. Banks	602 (326)	554	
			5710	3565		2510 (1420)	2289	1269
11. West Bengal . .	(*a*) 28-8-75 (*b*) 31-3-80	MI	2197	1206	SLDB	37	33	—
		FM	171	90		—	—	—
		S &M	96	54		—	—	—
			2464	1350		37	33	—
Total *c* (1 to 11) .			45223	27656		31314 (4103)	26883	15879
(*d*) Other Projects								
1. Bihar Market Yards Project	(*a*) 31-7-72 (*b*) 30-6-78 (*c*) 31-12-78		1680	1133	Com. Banks	316	287	117
2. Chambal Command Area Development Project (M.P.)	(*a*) 18-9-75 (*b*) 31-12-79		277	177		—	—	—
3. Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project	(*a*) 26-9-74 (*b*) 31-12-78		608	488		—	—	—
4. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project	(*a*) 7-9-73 (*b*) 31-12-79		891	713	Com. Banks	39	32	12
5. Karnataka Dairy Development Project	(*a*) 23-12-74 (*b*) 30-9-82		2497	1881		—	—	—
6. Madhya Pradesh Dairy Development Project	(*a*) 23-7-75 (*b*) 30-6-82		1563	1227		—	—	—
7. Rajasthan Canal Command Area Development Project	(*a*) 12-12-74 (*b*) 30-6-81		2395	1800	Com. Banks	20	14	—
8. Rajasthan Dairy Development Project	(*a*) 8-8-75 (*b*) 31-12-82		1957	1784		—	—	—
	Total *d* (1 to 8)		11868	9203		375	333	129
Total (A + B) .			**75655**	**47459**		**31911** **(4103)**	**32080**	**17046**

N.B. (1) Figures within brackets relate to disbursement to small farmers.

(2) Effective/closing dates :

(*a*) Effective date.

(*b*) Closing date.

(*c*) Revised closing date.

Statement 12

DISBURSEMENT DURING 1975-76 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. Lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total Amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
I. *NORTHERN REGION*					
Delhi	Com. Banks	Farm mechanization	39	28	11
Haryana	SLDB	minor irrigation	517	467	50
		Land Development	15	10	5
		Farm mechanization	311	234	77
	Com. Banks	Minor irrigation	551	445	106
		Farm mechanization	544	408	136
		Poultry	1	1	—
		Dairy development	4	4	—
			1943	1569	374
Himachal Pradesh	SLDB	Plantation/Horticulture	5	3	2
	Com. Banks	Farm mechanization	16	11	5
		Dairy development	2	2	—
			23	16	7
Jammu & Kashmir	SLDB	Farm mechanization	13	10	3
		Plantation/Horticulture	9	7	2
			22	17	5
Punjab	SLDB	Minor irrigation	65	59	6
		Land development	85	71	14
		Farm mechanization	419	314	105
	Com. Banks	Minor irrigation	93	74	19
		Farm mechanization	1016	760	256
		Dairy development	14	13	1
	SCB	Farm mechanization	17	15	2
			1709	1306	403
Rajasthan	SLDB	Minor irrigation	295	272	23
		Land development	3	2	1
		Plantation/Horticulture	3	2	1
	Com. Banks	Minor irrigation	76	61	15
		Land development	20	15	5
		Farm mechanization	188	150	38
		Dairy development	5	4	1
		Storage & Market yards	37	30	7
			627	536	91
II. *NORTH-EASTERN REGION*					
Assam	Com. Banks	Minor irrigation	4	4	—
		Dairy development	1	1	—
			5	5	—
Manipur	Com. Banks	Farm mechanization	6	5	1
Nagaland	SCB	Land development	2	2	—
Tripura	Com. Banks	Plantation/Horticulture	1	1	—
III. *EASTERN REGION*					
Bihar	SLDB	Minor irrigation	658	591	67
		Plantation/Horticulture	1	1	—
	Com. Banks	Minor irrigation	448	404	44
		Farm mechanization	129	108	21
		Storage & Market yards	225	204	21
	SCB	Dairy development	14	10	4
			1475	1318	157

Statement 12—(*Contd.*)

DISBURSEMENT DURING 1975-76 ACCORDING TO SATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. Lakhs

	Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
	Orissa	SLDB	Minor irrigation	96	87	9
			Land development	5	4	1
			Farm mechanization	5	4	1
			Plantation/Horticulture	8	6	2
		Com. Banks	Minor irrigation	252	228	24
			Land development	2	2	—
			Farm mechanization	9	7	2
				377	338	39
	West Bengal	SLDB	Minor irrigation	143	129	14
		Com. Banks	Minor irrigation	4	4	—
			Farm mechanization	21	19	2
			Plantation/Horticulture	7	6	1
			Dairy development	1	1	—
				176	159	17
IV.	*CENTRAL REGION*					
	Madhya Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1025	924	101
			Land development	7	5	2
			Farm mechanization	1	1	—
		Com. Banks	Minor irrigation	931	826	105
			Farm mechanization	219	176	43
				2183	1932	251
	Uttar Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1766	1590	176
			Plantation/Horticulture	20	15	5
		Com. Banks	Minor irrigation	377	338	39
			Land development	40	30	10
			Farm mechanization	750	602	148
			Dairy development	15	15	—
			Storage& Market yards	10	8	2
				2978	2598	380
V.	*WESTER REGION*					
	Goa	Com. Banks	Fisheries	21	16	5
		SCB	Fisheries	10	7	3
				31	23	8
	Gujarat	SLDB	Minor irrigation	112	100	12
		Com. Banks	Minor irrigation	9	7	2
			Farm mechanization	224	176	48
			Fisheries	12	7	5
			Dairy development	41	36	5
			Sotrage& Market yards	9	7	2
				407	333	73
	Maharashtra	SLDB	Minor irrigation	1250	1128	122
			Land development	226	170	56
			Farm mechanization	205	153	52
		Com. Banks	Minor Irrigation	697	551	146
			Farm mechanization	124	91	33
			Poultry/Sheep breeding	5	4	1
			Dairy development	211	142	69
			Storage & Market yards	5	4	1
			Agricultural aviation	7	5	2
				2730	2248	482

Statement 12 (*Concld.*)

DISBURSEMENT DURING 1975-76 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated /loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh	SLDB	Minor irrigation	850	780	70
		Land development	32	24	8
		Farm mechanization	310	233	77
		Plantation/Horticulture	19	14	5
		Poultry/Sheep breeding	6	4	2
		Dairy development	25	19	6
	Com. Banks	Minor irrigation	86	73	13
		Farm mechanization	48	41	7
		Plantation/Horticulture		4	—
		Poultry/Sheep breeding	32	28	4
		Dairy development	48	36	12
	SCB	Fisheries	39	39	—
			1499	1295	204
Karnataka	SLDB	Minor irrigation	956	871	85
		Land development	52	39	13
		Farm mechanization	408	307	101
		Plantation/Horticulture	195	146	49
	Com. Banks	Minor irrigation	65	52	13
		Farm mechanisation	481	407	74
		Plantation/Horticulture	19	13	6
		Poultry/Sheep breeding	12	8	4
		Fisheries	48	37	11
		Storage & Market yards	39	35	4
	SCB	Storage & Market yards	31	31	—
			2306	1946	360
Kerala	SLDB	Land development	10	8	2
		Plantation/Horticulture	74	55	19
	Com. Banks	Minor irrigation	3	2	1
		Land development	110	110	—
		Farm mechanization	16	13	3
		Plantation/Horticulture	3	3	—
		Fisheries	10	8	2
		Dairy development	1	1	—
	SCB	Fisheries	8	8	—
			235	208	27
Pondicherry	Com. Banks	Minor irrigation	1	1	—
	SCB	Fisheries	3	3	—
			4	4	—
Tamil Nadu	SLDB	Minor irrigation	830	750	80
		Farm mechanization	380	286	94
		Plantation/Horticulture	20	14	6
	Com. Banks	Farm mechanization	22	16	6
		Plantation/Horticulture	24	17	7
		Fisheries	150	118	32
		Poultry/Sheep breeding	12	7	4
		Dairy development	7	4	3
	SCB	Poultry/Sheep breeding	16	16	—
			1461	1228	233
Total (I to VI)			**20239**	17115	**3124**

Statement 13

SCHEMES UNDER CONSIDERATION AS ON 30 JUNE 1976

Region/State/Union Territory	No. of Schemes under consideration		
	Total	Complete in most respects	Additional data required
I. *NORTHERN REGION*			
Delhi	1	—	1
Haryana	24	3	21
Himachal Pradesh	7	2	5
Punjab	10	—	10
Rajasthan	47	14	33
	89	19	70
II. *NORTH-EASTERN REGION*			
Assam	12	3	9
Meghalaya	3	—	3
Manipur	1	1	—
	16	4	12
III. *EASTERN REGION*			
Bihar	22	9	13
Orissa	33	4	29
West Bengal	13	4	9
	68	17	51
IV. *CENTRAL REGION*			
Madhya Pradesh	54	6	48
Uttar Pradesh	15	10	5
	69	16	53
V. *WESTERN REGION*			
Goa	4	1	3
Gujarat	64	4	60
Maharashtra	132	20	112
	200	25	175
VI. *SOUTHERN REGION*			
Andhra Pradesh	57	28	29
Karnataka	96	25	71
Kerala	59	8	51
Tamil Nadu	36	9	27
	248	70	178
Total (I to VI)	**690**	**151**	**539**

Statement 14

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1976

I. RESERVE BANK OF INDIA

II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

1. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
3. Bihar State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
4. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
5. Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd.
6. Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
7. Jammu & Kashmir Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
8. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd.
9. Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
10. Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd.
11. Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd.
12. Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd.
13. Pondicherry State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
14. Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
15. Rajasthan Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
16. Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Ltd.
17. Tripura Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
18. Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19. West Bengal Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.

III. STATE CO-OPERATIVE BANKS (24)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
3. Bihar State Co-operative Bank Ltd.
4. Delhi State Co-operative Bank Ltd.
5. Goa State Co-operative Bank Ltd.
6. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
7. Haryana State Co-operative Bank Ltd.
8. Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
9. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.
10. Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd.
11. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
12. Madhya Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
13. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
14. Manipur State Co-operative Bank Ltd.
15. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
16. Nagaland State Co-operative Bank Ltd.
17. Orissa State Co-operative Bank Ltd.
18. Pondicherry State Co-operative Bank Ltd.
19. Punjab State Co-operative Bank Ltd.
20. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
21. Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd.
22. Tripura State Co-operative Bank Ltd.
23. Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd.
24. West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (62)

1. State Bank of India.
2. State Bank of Bikaner and Jaipur
3. State Bnak of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore
9. Allahabad Bank
10. Bank of Baroda
11. Bank of India.
12. Bank of Maharashtra
13. Canara Bank
14. Central Bank of India
15. Dena Bank
16. Indian Bank
17. Indian Overseas Bank
18. Punjab National Bank
19. Syndicate Bank
20. Union Bank of India.
21. United Bank of India
22. United Commercial Bank
23. Andhra Bank Ltd.
24. Bank of Karad Ltd.
25. Bank of Madura Ltd.
26. Bank of Rajasthan Ltd.
27. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
28. Benares State Bank Ltd.
29. Catholic Syrian Bank Ltd.
30. Corporation Bank Ltd.
31. Federal Bank Ltd.
32. Hindustan Commercial Bank Ltd.
33. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
34. Karnataka Bank Ltd.
35. Karur Vysya Bank Ltd.
36. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
37. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
38. Laxmi Vilas Bank Ltd.
39. Narang Bank of India Ltd.
40. Nedungadi Bank Ltd.
41. New Bank of India Ltd.
42. Oriental Bank of Commerce Ltd.
43 Punjab & Sind Bank Ltd.
44. Purbanchal Bank Ltd.
45. Ratnakar Bank Ltd.
46. Sangli Bank Ltd.
47. South Indian Bank Ltd.
48. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
49. United Industrial Bank Ltd.
50. United Western Bank Ltd.
51. Tanjore Permanent Bank Ltd.
52. Vijaya Bank Ltd.
53. Vysya Bank Ltd.
54. Algemene Bank Netherlands N.V.
55. American Express International Banking Corporation
56. Bank of America National Trust and Savings Association
57. Bank of Tokyo Ltd.
58. Banque National De Paris
59. Chartered Bank
60. Grindlays Bank Ltd.
61. Mercantile Bank Ltd.
62. Mitsui Bank Ltd.

V. RURAL BANKS (5)

1. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
2. Gaur Gramin Bank, Malda
3. Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani
4. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
5. Samyut Kshetriya Gramin Bank, Belaisa

VI. LIFE INSURANCE CORPORATION, INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES, ETC. (3)

1. Life Insurance Corporation of India.
2. New India Assurance Company Ltd.
3. United India Fire & General Insurance Company Ltd.

REPORT OF THE AUDITORS

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance and Development Corporation as at 30th June, 1976 and also the annexed Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date, and report that :

1. We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory.
2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Corporation the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

23 August 1976
National Insurance Building
Dadabhoy Naoroji Road
Bombay 400001

BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIABILITIES	Rs P	Rs P	*As at 30-6-1975* Rs
1. Capital			
Authorised 25,000 shares of Rs 10,000 each		25,00,00,000·00	25,00,00,000·00
Issued, Subscribed and Paid-up 25,000 shares of Rs 10,000 each paid up		25,00,00,000·00	20,00,00,000·00
2. Reserves and Surplus			
Reserve Fund			
Balance as per last Balance Sheet (Note 1)	2,72,36,000·00		1,49,73,000·00
Add : (*i*) 10% of current profit transferred (In terms of Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)	59,47,000·00		45,00,000·00
(*ii*) Transfer from Profit and Loss Account	1,07,68,000·00		77,63,000·00
		4,39,51,000·00	2,72,36,000·00
Profit and Loss Account			
Profit brought forward	332·71		775·18
Profit for the year	2,16,82,773·43		1,66,23,173·97
	2,16,83,106·14		1,66,23,949·15
Less Transferred to Reserve Fund	1,07,68,000·00		77,63,000·00
	1,09,15,106·14		88,60,949·15
Transferred to Provision for Dividends	1,09,14,275·96		88,60,616·44
		830·18	332·71
3. Special Deposit		2,29,98,510·92	1,78,92,036·54
4. Payment by Central Government in respect of Guaranteed Dividend		—	—
5. Bonds and Debentures :			
5¾% ARDC Bonds 1982 I Series	10,93,77,000·00		
5¾% ARDC Bonds 1982 II Series	8,52,50,000·00		
5¾% ARDC Bonds 1984 III Series	8,25,00,000·00		
5¾% ARDC Bonds 1985 IV Series	11,00,00,000·00		
5¾% ARDC Bonds 1985 V Series	16,50,00,000·00		
5¾% ARDC Bonds 1986 VI Series	11,00,00,000·00		
6% ARDC Bonds 1984 VII Series	16,50,00,000·00		
6% ARDC Bonds 1985 VIII Series	16,50,00,000·00		
6% ARDC Bonds 1985 IX Series	11,00,00,000·00		
6% ARDC Bonds 1986 X Series	27,50,00,000·00		
		137, 71,27,000·00	99,21,27,000·00
6. Loans from the Central Government			
(*a*) Under Section 19 of the Act	5,00,00,000·00		5,00,00,000·00
(*b*) Other Loans	245,09,30,955·00		191,62,14,655·00
		250,09,30,955·00	196,62,14,655·00
Carried Forward		419,50,08,296·10	320,34,70,074·25

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE, 1976

ASSETS				As at 30-6-1975
	Rs P	Rs P		Rs P
1. Cash				
(a) In hand	3,939·82			2,385·24
(b) With Reserve Bank of India	36,57,208·97			24,83,717·07
(c) With others :				
(i) In India	68,308·46			74,454·63
(ii) Outside India	—			—
		37,29,457·25		25,60,556·94
2. Loans				
(a) By way of refinance	123,56,90,206·00			63,04,61,375·00
(b) Others	—			—
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts	—			—
		123,56,90,206·00		63,04,61,375·00
3. Debentures		425,81,86,776·13		343,13,15,482·38
4. Investment in Central Government Securities (At Cost)		—		—
5. Interest Accrued on Investments		—		—
6. Other Assets				
(a) Furniture, Fixture and Fittings, Office Equipment, etc. (Cost upto 30-6-1975)	13,95,999·08			10,64,731·41
Add Additions during the year	2,62,243·92			3,36,704·01
	16,58,243·00			14,01,435·48
Less Items sold/adjusted	—			5,436·40
	16,58,243·00			13,95,999·08
Less Depreciation to date	5,71,726·51			4,36,619·00
	10,86,516·49			9,59,380·08
(b) Deposits with Government Departments and other institutions	1,59,216·66			1,48,391·66
Carried Forward	12,45,733·15	549,76,06,439·38		406,43,37,414·32

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIABILITIES	Rs P	Rs P	As at 30-6-1975 Rs P
Brought Forward		419,50,03,296·10	320,34,70,074·25
7. Other Borrowings			
(*a*) From the Reserve Bank of India.			
(*i*) Long-Term	138,40,00,000·00		88,20,00,000·00
(*ii*) Short-Term (Note 2)	1,70,00,000·00		4,50,00,000·00
		140,10,00,000·00	92,70,00,00000
(*b*) From Others			
(*i*) In India		—	—
(*ii*) Outside India		—	—
8. Fixed Deposits			
(*a*) From Central or State Governments		—	—
(*b*) Others		..	—
9. Provision for Dividends (Amount transferred from Profit and Loss Account)		1,09,14,275·96	88,60,616·44
10. Provision for Taxation (Note 3)		2,20,10,240·00	1,60,59,341·00
11. Other Liabilities			
Sundry Creditors	93,53,711·42		48,07,366·53
Interest accrued but not due on :			
(*a*) Loans from Central Government	4,28,27,814·88		3,09,07,893·77
(*b*) Bonds and Debentures	1,81,62,564·90		1,48,99,231·56
		7,03,44,091·20	5,06,14,491·86
Contingent Liabilities :			
(*a*) On account of guarantees given against deferred payments in connexion with purchase of capital goods from outside India		—	—
(*b*) Other items		—	—
Total Rupees		569,92,76,903·26	420,60,04,523·55

Notes : 1. Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961 .. .. Rs. 1,25,97,000/-

2. Short-term borrowings are secured by pledge of debentures.

3. Provision for Taxation is after adjustment of advance tax paid and tax deducted at source.

M. N. Patel
Senior Director
Finance and Administration
Bombay, 10 *August* 1976

As per our Report of even date attached
BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants
Bombay, 23 *August* 1976

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE, 1976

ASSETS				As at 30-6-1975
	Rs P	Rs P		Rs P
Brought forward	12,45,733·15	549,76,06,439·38		406,43,37,414·32
(c) Sundry Advances	24,35,703·76			78,55,059·25
(d) Interest accrued on loans by way of refinance	3,29,68,214·49			1,51,50,880·33
(e) Interest accrued on debentures	15,84,58,701·37			11,44,01,897·91
(f) Discount on ARDC Bonds	65,62,111·11			31,51,500·00
		20,16,70,463·88		14,16,67,109·23
Total Rupees		569,92,76,903·26		420,60,04,523·55

R. K. HAZARI, K. P. A. MENON, B. S. VISHWANATHAN, C. D. DATEY — *Directors*

M. A. CHIDAMBARAM — *Managing Director*

Bombay, 21 *August* 1976

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	Previous Year	
	Rs P	Rs P
1. Interest Paid	22,05,88,274·32	16,22,04,806·83
2. Salaries and Allowances	1,16,51,817·58	93,27,112·28
3. Contribution to Staff Provident, Pension and other Funds	9,59,648·47	7,63,027·81
4. Directors' and Committee Member's Fees	1,200·00	1,100·00
5. Travelling and Other Allowances in connexion with Directors' and Committee Members' Meetings	29,788·50	20,973·00
6. Rent, Rates, Insurance, Lighting etc.	9,22,594·46	8,03,697·54
7. Travelling Expenses	6,66,010·75	7,31,761·69
8. Printing and Stationery	2,25,239·52	2,37,301·44
9. Postage, Telegrams and Telephones	2,70,494·08	1,94,272·14
10. Repairs to Property	34,293·76	23,160·18
11. Auditors' Fees	10,000·00	10,000·00
12. Legal Charges	16,357·49	9,899·76
13. Miscellaneous Expenses (Note 1)	50,92,149·72	28,09,281·59
14. Depreciation	1,35,107·51	1,20,000·68
15. Transfer to Special Reserve being 10% of the current profit (In terms of Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)	59,47,000·00	45,00,000·00
16. Provision for Taxation	3,09,07,550·00	2,30,41,923·00
17. Net Profit carried to Balance Sheet	2,16,82,773·43	1,66,23,173·97
Total Rupees	29,91,40,299·59	22,14,21,491·91

Notes : 1. Includes : (*i*) Stamp duty on Bonds and Shares .. .. .. Rs 38,50,182·00
and (*ii*) Bond Discount VII to X Series .. .. .. Rs 4,39,388·89

2. Includes Discount received on debentures subscribed to .. .. Rs 30,822·35

M. N. Patel
Senior Director
Finance and Administration
Bombay, 10 *August* 1976

As per our Report of even date attached
BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants
Bombay, 23 *August* 1976

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE, 1976

			Previous Year
	Rs P	Rs P	Rs P
1. Interest Received			
(a) On Loans and Debentures	28,72,57,524·74		21,14,69,035·49
(b) On Investments (Net) (Tax deducted at source Rs. 44,11,234·00)	89,04,145·17		98,81,563·65
		29,61,61,669·91	22,13,50,599·14
2. Discount, Commission etc. ..	—		—
3. Other Items			
(a) Share Transfer Fees	2·00		—
(b) Miscellaneous Receipts (Note 2)	31,565·68		38,117·98
(c) Commitment Charges	5,052·00		32,774·79
(d) Profit on Sale of Investments	29,42,010·00		—
		29,78,629·68	70,892·77
Total Rupees ..		29,91,40,299·59	22,14,21,491·91

(Previous year Rs 19,80,333·25)
(Previous year Rs 1,48,500·00)
(Previous year Rs 37,790·55)

Bombay, 21 *August* 1976

R. K. HAZARI *Chairman*
K. P. A. MENON, B. S. VISHWANATHAN, C. D. DATEY *Directors*
M. A. CHIDAMBARAM *Managing Director*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976